



# क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

## बादशाहपुर ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
उत्तर प्रदेश सरकार



गोरखपुर







# कललडडेत सुडलरुतु गुरलड डुंकलडत करुडडुऑनल



डलदशलहडुर गुरलड डुंकलडत

डरुडलवरण, वन ँवं ऑलवलडु डरलवतन वलडलग  
उतुतर डुरदलश सरकर



## प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार  
ईमेल: doeuplko@yahoo.com वेबसाइट: upenv.upsdc.gov.in

## तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन  
गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (जीईएजी)

## मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव

श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

श्री कृष्णा करुणेश, आईएएस, जिलाधिकारी (डीएम), गोरखपुर

श्री संजय कुमार मीना, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), गोरखपुर

श्री विकास यादव, आईएफएस, प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ), गोरखपुर

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ

श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक

डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ सलाहकार

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

## लेखक

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मेखला शास्त्री, सुश्री कृति लूथरा, सुश्री शिविका सोलंकी

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

## शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

बादशाहपुर, ग्राम पंचायत

सुश्री सरिता देवी, ग्राम प्रधान

## क्षेत्रीय शोध समर्थन

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

सुश्री अंजू पांडे, श्री राम सूरत

## डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री ससधार रॉय, श्री रोहिण कुमार, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया







कृष्णा करुणेश  
आई.ए.एस.  
जिलाधिकारी,  
जनपद गोरखपुर।

दिनांक—


—:: संदेश ::—

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत—बादशाहपुर, विकास खण्ड—कैम्पियरगंज, जनपद—गोरखपुर की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिये ज़मीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें, समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के नाते जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था सब आपस में जुड़े हैं और हमारे लिये ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हों।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है जो पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, तथा स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर, उ0प्र0 को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनने में सहयोगी होगी।

धन्यवाद !

  
( कृष्णा करुणेश )







संजय कुमार मीना  
आई.ए.एस.  
मुख्य विकास अधिकारी,  
जनपद गोरखपुर

दिनांक-

:- संदेश :-

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली तथा स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर, उ०प्र० के समर्पित प्रयासों के लिये हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारी पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ाये।

यह कार्ययोजना हमारी ग्राम पंचायत में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करे। साथ मिलकर हम प्रभावी जलवायु नीतियों को लागू कर सकते हैं, स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि सामाजिक रूप में भी न्यायसंगत हो।

एक बार फिर क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये आप सभी को धन्यवाद। हम योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करते हैं।

धन्यवाद !

( संजय कुमार मीना )



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर  
पत्रांक २०६४/२-६ दिनांक, गोरखपुर नवम्बर ०५ /२०२४

विकास यादव  
(आई.एफ.एस.)  
प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर

दिनांक:

—: संदेश :-

“जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना” एक आवश्यक संसाधन है जिसे हमारी ग्राम पंचायत की विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) को तैयार करने और लागू करने में सहायता करने के लिये यह रूप-रेखा तैयार की गयी है जो टिकाऊ और जलवायु अनुकूल दोनों है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि जलवायु परिवर्तन हमारी समय की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है, जो न केवल पर्यावरण को अपितु आजीविका, खाद्य सुरक्षा, जल संसाधन और समग्र विकास को भी प्रभावित कर रहा है। हमारे गाँव इन चुनौतियों की अग्रिम पंक्ति में है, और यह महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें इस बदलती दुनिया में अनुकूलन और पनपने के लिये तैयार करें।

जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना व्यावहारिक रणनीतियों और समाधानों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है जिन्हें ज़मीनी स्तर पर सम्मिलित किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे समुदाय न केवल जलवायु अनुकूल हों अपितु टिकाऊ और आत्मनिर्भर भी हों।

ग्राम पंचायत-बादशहपुर, विकास खण्ड-कैम्पियरगंज, जनपद-गोरखपुर की यह कार्ययोजना केवल एक तकनीकी मार्गदर्शिका से कहीं अधिक है; यह प्रत्येक ग्राम पंचायत सदस्य, समुदाय के नेता और नागरिक को जलवायु अनुकूल गांवों के निर्माण में सक्रिय रूप से सम्मिलित करने का प्रयास है। यह समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है जहां किसानों, महिलाओं, युवाओं और उपेक्षित समूहों की आवाज़ सुनी जाती है और योजना प्रक्रिया में उन पर विचार किया जाता है।

आइये हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिये कार्य करें कि हमारे गांव जलवायु स्मार्ट विकास के मॉडल बनें, जो न केवल राज्य के लिये बल्कि पूरे देश के लिये उदाहरण स्थापित करें।

इसके साथ ही मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी होगी।

हार्दिक शुभकामनायें,

  
( विकास यादव )



# ग्राम पंचायत-बादशाहपुर, वि० ख०-कैम्पियरगंज

जनपद-गोरखपुर (उ० प्र०)

**सरिता देवी**  
ग्राम प्रधान

निवास :-

ग्राम-बादशाहपुर, पो०-रामचौरा

कैम्पियरगंज, गोरखपुर

Mob. 8858581162, 9125605480

पत्रांक .....

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत बादशाहपुर, विकास खण्ड कैम्पियरगंज,  
जनपद गोरखपुर.



आभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान, ग्राम पंचायत **बादशाहपुर**, विकास खण्ड **कैम्पियरगंज**, जनपद **गोरखपुर**, की ओर से सादर नमस्कार और अभिनंदन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वास्थ्य होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर हेतु बढ़ाये गये प्रथम कदम/प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियाँ हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिये उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिये सामुदायिक सहभागिता के साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्र किया गया। आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिये मैं स्थानीय सहयोगी संस्थागोरखपुर एनवायरमेंट **एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी)**, गोरखपुर उ०प्र० का आंकड़ें एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिये हृदय से धन्यवाद। हम सभी साथ मिलकर हमारी पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेंगे जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, का/की भी आभारी हूँ जिन्होंने एकत्र किये गये आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिये हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता/करती हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें और दूसरों के लिये उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद !

सरिता देवी  
(प्रधान)



ग्राम पंचायत .....



# विषय-वस्तु

1	<b>कार्यकारी सारांश</b>	1
2	<b>ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल</b>	5
	▪ बादशाहपुर ग्राम पंचायत एक नज़र में	5
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	6
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	7
	▪ कार्यरत महिलाएं	8
	▪ कृषि	9
	▪ प्राकृतिक संसाधन	9
	▪ बादशाहपुर में सुविधाएं	10
3	<b>कार्बन फुटप्रिंट</b>	11
4	<b>व्यापक मुद्दे</b>	12
5	<b>प्रस्तावित मुझाव</b>	13
	1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	14
	2. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	20
	3. सतत कृषि	25
	4. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	30
	5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच	35
	6. सतत और उन्नत गतिशीलता	39
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	45
6	<b>विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची</b>	53
7	<b>अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव</b>	59
8	<b>आगे की राह</b>	65
9	<b>अनुलग्नक</b>	66

## चित्र

चित्र 1:	बादशाहपुर ग्राम पंचायत, गोरखपुर ज़िले का भूमि उपयोग मानचित्र	6
चित्र 2:	बादशाहपुर में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस), 1990-2019	7
चित्र 3:	बादशाहपुर में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2019	7
चित्र 4:	बादशाहपुर में परिवारों की आय के स्रोत	7
चित्र 5:	बादशाहपुर में घरेलू स्तर पर आय का वितरण	8
चित्र 6:	बादशाहपुर में राशन कार्ड वाले परिवार	8
चित्र 7:	बादशाहपुर में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	8
चित्र 8:	बादशाहपुर में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण	9
चित्र 9:	2023 में बादशाहपुर में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	11
चित्र 10:	2023 में बादशाहपुर के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	11



उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले की बादशाहपुर ग्राम पंचायत उत्तर पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। बादशाहपुर की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु गतिविधियों/प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और पंचायत को वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत में लचीलापन लाने, अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ-साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत के कार्ययोजनाओं के विकास के उद्देश्य से तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर इस कार्ययोजना को तैयार किया गया है। बादशाहपुर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस तरह से तैयार की गई है कि इसे बादशाहपुर की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

इस कार्ययोजना में प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, उत्तर पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति को सम्मिलित किया गया है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, समूह केंद्रित चर्चाओं, संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों और बादशाहपुर ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधार रेखा बनाने और बादशाहपुर ग्राम पंचायत के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में सहायता मिली है।

## दृष्टिकोण

### प्राथमिक सर्वेक्षण उपकरण का विकास

**सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करना:** पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन (पीआरए) की गतिविधियों यथा समूह केंद्रित चर्चा (एफजीडी), गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से आंकड़ें एकत्र किए गए।

### आंकड़ों का विश्लेषण और योजना तैयार करना:

- ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करना: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत की रूपरेखा विकसित की गई। इस रूपरेखा में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और बादशाहपुर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित है।
- मुख्य मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- अनुमानित कार्बन फुटप्रिंट: बादशाहपुर में प्रमुख गतिविधियों\* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया।
- प्रस्तावित गतिविधियाँ: चिह्नित पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर बादशाहपुर के लिए संस्तुतियाँ तैयार की गईं। इन संस्तुतियों में उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, बादशाहपुर की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना तैयार किए जाने के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

\* गतिविधियों में शामिल हैं- आवासीय खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फ़सल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन और खतरा जोखिम संवेदनशीलता एवं क्षमता मूल्यांकन (एचआरवीसीए) के पहलू शामिल हैं।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान यह बताया गया है कि इस ग्राम पंचायत में 1 राजस्व गांव और 8 मजरे और 310 परिवार हैं, जिनकी कुल आबादी 2,007<sup>2</sup> है। कृषि, पशुपालन और दिहाड़ी-मजदूरी ग्राम पंचायत की मुख्य आर्थिक गतिविधियां हैं। एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि बादशाहपुर ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट ~768 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO<sub>2</sub>e) है।

ग्राम पंचायत बादशाहपुर में तत्काल कार्यवाही हेतु चिह्नित किए गए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न हैं:

- जलजमाव को रोकने के लिए जल निकासी और सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और कुशल अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली का निर्माण।
- नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और ऊर्जा दक्षता समाधानों का उपयोग करना जैसे की सोलर रूफटॉप पर सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप और घरों एवं सार्वजनिक उपयोगिताओं में ऊर्जा कुशल फिक्सचर आदि।
- आजीविका विविधीकरण के माध्यम से आय में सुधार, हरित नौकरियों के क्षेत्र में अतिरिक्त अवसर प्रदान करना।

संवेदनशील क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षण से उभरने वाले मुद्दों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। गतिविधियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाना, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, उन्नत गतिशीलता और आजीविका और हरित उद्यमशीलता के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इन संस्तुतियों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है- चरण I (2024-27), चरण II (2027-30) और चरण III (2030-35)। चरणबद्ध लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरणबद्ध लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

बादशाहपुर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस तरह से तैयार की गई है कि इसे ग्राम पंचायत बादशाहपुर की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) निम्नलिखित द्वारा बादशाहपुर जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगा:

- जलवायु परिपेक्ष के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय बनाना।

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को बादशाहपुर की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकासी कार्यालय से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

2 जनगणना 2011 के आंकड़ें: कुल जनसंख्या- 1,626

इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से बचाई गई या कम की गई कुल उत्सर्जन प्रति वर्ष 1,327 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (tCO<sub>2</sub>e) से अधिक होने का अनुमान है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 90,400 tCO<sub>2</sub> तक बढ़ जाती है। तीन चरणों में इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹16.6 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग सम्मिलित है। इसमें से, आवश्यक फंडिंग का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹5 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशनों/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी निधि से सुरक्षित की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएसआर को सम्मिलित करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।




# वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना








## क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



## बादशाहपुर

## बादशाहपुर ग्राम पंचायत एक नज़र में†

	<b>स्थान</b>	कैम्पियरगंज ब्लॉक, गोरखपुर जिला
	<b>कुल क्षेत्रफल</b>	71.30 हेक्टेयर
	<b>संयोजन</b>	1 राजस्व गांव और 8 मजरे
	<b>कुल जनसंख्या<sup>3</sup></b>	2,007
	<b>पुरुषों की संख्या</b>	1,097
	<b>महिलाओं की संख्या</b>	910
	<b>कुल परिवार<sup>4</sup></b>	310
	<b>पंचायत अवसंरचना</b>	2-(पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय)
	<b>प्राथमिक आर्थिक गतिविधि</b>	कृषि
	<b>जल संसाधन</b>	1 तालाब 16 कुएँ

भूमि उपयोग<sup>5</sup>

कृषि भूमि - 62 हेक्टेयर

सार्वजनिक भूमि - 0.35 हेक्टेयर

अन्य भूमि - 8.9 हेक्टेयर (बस्तियां और जलाशय)

कृषि-जलवायु क्षेत्र<sup>6</sup>

- उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र
- जलवायु परिस्थितियाँ: अधिक वर्षा के साथ आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय
- अधिकतम तापमान: 44.2 °C
- न्यूनतम तापमान: 4.9 °C
- वार्षिक वर्षा: 1240 मिमी
- मिट्टी का प्रकार: रेतीली दोमट/जलोढ़ और चूनायुक्त मिट्टी

जिले की समग्र संवेदनशीलता<sup>7</sup>

मध्यम

## जिले के क्षेत्रीय संवेदनशीलता



- वन संवेदनशीलता: बहुत अधिक
- ऊर्जा संवेदनशीलता: उच्च
- कृषि संवेदनशीलता: मध्यम
- ग्रामीण विकास संवेदनशीलता: मध्यम
- आपदा प्रबंधन संवेदनशीलता: मध्यम
- जल संवेदनशीलता: निम्न
- स्वास्थ्य संवेदनशीलता: निम्न

† योजना के विकास के लिए किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण के आंकड़ों से प्राप्त (सितम्बर, 2024)


3 क्षेत्र सर्वेक्षण के आंकड़ें; जनगणना 2011 के आंकड़ें: कुल जनसंख्या- 1,626

4 205 पक्के घर और 105 कच्चे घर (क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार)

5 एचआरवीसीए के आधार पर और ग्राम प्रधान और सचिव के साथ चर्चा के अनुसार

6 उत्तर प्रदेश कृषि विभाग

7 उत्तर प्रदेश एसएपीसीसी 2.0



**बादशाहपुर ग्राम पंचायत**  
कैम्पियरगंज ब्लॉक  
गोरखपुर जिला  
उत्तर प्रदेश राज्य

Source: Space Based Information Support for Decentralized Planning  
<https://bhuvan-panchayat3.nrsc.gov.in/>

<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:red; border:1px solid black;"></span> निर्मित भूमि	<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:grey; border:1px solid black;"></span> साफ़ खुली भूमि
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow; border:1px solid black;"></span> फसल भूमि	<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:blue; border:1px solid black;"></span> नदी/जल निकाय
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:green; border:1px solid black;"></span> फसल भूमि	<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; border:1px solid yellow;"></span> नदी/जल निकाय

चित्र 1: बादशाहपुर ग्राम पंचायत, गोरखपुर ज़िले का भूमि उपयोग मानचित्र

## जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)<sup>8</sup> से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता के आंकड़ों (तापमान और वर्षा) के अनुसार, वर्ष 1990 और 2019 के बीच क्षेत्र (गोरखपुर जिला) में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है (चित्र 2 देखें)। उसी समयावधि के दौरान, वार्षिक वर्षा में भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया (चित्र 3 देखें)। तथापि, आईएमडी के आंकड़ों पंचायत स्तर पर तापमान परिवर्तनशीलता को सम्मिलित नहीं करते हैं और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया सम्पूर्ण विश्व की भूमि और महासागर के सापेक्ष औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020<sup>9</sup> के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है। इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)<sup>10</sup> और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (MoES)<sup>11</sup> के द्वारा भी की गयी है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और केंद्रित समूह चर्चा से मौसम परिवर्तन पर समुदायों की धारणा से पता चलता है कि वर्ष 2010-2020 के दशकों में, ग्राम पंचायत ने गर्मी के दिनों की संख्या में वृद्धि देखी है; पहले गर्मी का मौसम मई-जून के बीच सीमित था, लेकिन अब यह मार्च से शुरू होता है और सितंबर तक जारी रहता है। सर्दियों के मामले में, इसकी अवधि 5 से 6 महीने (अक्टूबर से मार्च तक) थी, लेकिन अब यह नवंबर में शुरू होता है और फरवरी के पहले भाग में समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बारिश के महीनों की संख्या में भी लगभग 2 महीने की कमी आई है।


ग्राम पंचायत हेतु किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा को ध्यान में रखा गया है।

8 बादशाहपुर के लिए दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) और दैनिक वर्षा के आंकड़ें बस्ती, गोरखपुर आईएफ और गोरखपुर पीबीओ के मौसम केंद्रों से लिए गए हैं


9 एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)

10 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)

11 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES), भारत सरकार की एक रिपोर्ट | सिंगर




चित्र 2: बादशाहपुर में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस), 1990-2019



चित्र 3: बादशाहपुर में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2019


## प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में अधिकांश परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि (50 प्रतिशत) पर निर्भर हैं। इसके बाद गैर-कृषि मजदूरी (28 प्रतिशत), पशुपालन (14 प्रतिशत) और स्थानीय व्यवसाय (2 प्रतिशत) का स्थान आता है (चित्र 4 देखें)।




चित्र 4: बादशाहपुर में परिवारों की आय के स्रोत

प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त घरेलू स्तर की आय के अनुमानों से पता चला है कि 81 प्रतिशत परिवार प्रति वर्ष ₹50,000 से ₹1,00,000 के बीच कमाते हैं, 7 प्रतिशत परिवार ₹1,00,000 से ₹2,00,000 के बीच और ₹5,00,000 से अधिक कमाते हैं, जबकि 3 प्रतिशत परिवार ₹50,000 से कम कमाते हैं और कुल परिवारों में से केवल 2 प्रतिशत परिवार ₹2,00,000 से ₹5,00,000 के बीच कमाते हैं (चित्र 5 देखें)।



चित्र 5: बादशाहपुर में घरेलू स्तर पर आय का वितरण


सर्वेक्षण के समय, 82 परिवार, यानी कुल परिवारों का 26.4% गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) था। राशन कार्ड के आंकड़ों के अनुसार लगभग 93 प्रतिशत (282) परिवार सार्वजनिक वितरण योजना से लाभान्वित होते हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं, इनमें से 27 प्रतिशत परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड<sup>12</sup> हैं (चित्र 6 देखें)।



चित्र 6: बादशाहपुर में राशन कार्ड वाले परिवार

## कार्यरत महिलाएं

क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार बादशाहपुर ग्राम पंचायत में 163 कामकाजी महिलाएँ हैं। ये महिलाएँ ज्यादातर कृषि, पशुपालन और गैर-कृषि मज़दूरी में संलग्न हैं (चित्र 7 देखें)। कुछ महिलाएँ व्यवसाय और सेवा क्षेत्र में भी संलग्न हैं। 22 महिला प्रधान<sup>13</sup> घर हैं जो ग्राम पंचायत में कुल घरों का लगभग 7 प्रतिशत हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 10 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सक्रिय हैं, जिनमें से 09 बैंकों से जुड़े हुए हैं। वे किसी भी आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं हैं।



चित्र 7: बादशाहपुर में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या

12 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल ([https://nfsa.gov.in/portal/Ration\\_Card\\_State\\_Portals\\_AA](https://nfsa.gov.in/portal/Ration_Card_State_Portals_AA))

13 महिला प्रधान परिवार वे परिवार हैं, जहां महिलाएं एकमात्र/मुख्य कमाने वाली होती हैं।




## कृषि

ग्राम पंचायत में लगभग 50 प्रतिशत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, जैसा कि चित्र 4 में देखा जा सकता है। बादशाहपुर में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 62 हेक्टेयर है जबकि सकल फसल क्षेत्र ~109 हेक्टेयर है। चित्र 8 में ग्राम पंचायत में सकल फसल क्षेत्र (हेक्टेयर) का फसलवार वितरण दिया गया है। उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें धान (~1,600 किंटल), सब्जियाँ (400 किंटल) और केला (~1,080 किंटल) हैं। उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसलें गेहूँ (~1,050 किंटल), सरसों (~35 किंटल), आलू (~200 किंटल), मटर (~100 किंटल) और फूलगोभी (~450 किंटल) हैं।

सिंचाई के मुख्य स्रोतों में वर्षा जल, भूजल और ट्यूबवेल सम्मिलित हैं। ग्राम पंचायत में ~7.5 एचपी वाले 50 डीजल पंप उपयोग में हैं।

ग्राम पंचायत की लगभग 14 प्रतिशत आबादी पशुपालन में सम्मिलित है। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी लगभग 337 (17 गाय, 105 भैंस, 215 बकरियाँ) है।



चित्र 8: बादशाहपुर में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण

## प्राकृतिक संसाधन

क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार बादशाहपुर में 1 तालाब और 16 कुएं हैं। तालाब गंदे पानी से भरा हुआ है, तथा जलजमाव और पेयजल समस्या के समाधान के लिए इसका जीर्णोद्धार आवश्यक है। ग्राम पंचायत में कुल 16 कुएं हैं, जिनमें 2 खेतों में हैं और मिट्टी से भरे हैं। साथ ही, 12 कुएं मिट्टी, कचरा, और प्लास्टिक से पटे हुए हैं। पंचायत में 31 इंडिया मार्का हैंडपंप हैं, जिनमें से 16 खराब हैं, और 15 हैंडपंपों से प्राप्त पानी की गुणवत्ता खराब है। जल जीवन मिशन के तहत बादशाहपुर पुरवा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। अधिकांश घरों में नल कनेक्शन हैं, और सभी घरों तक पहुँचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने और ओवरहेड टैंक के निर्माण का कार्य जारी है। ग्राम पंचायत में 2 निजी बाग हैं, जिनमें आम, अमरूद, शीशम, लीची और लगभग 40-50 अन्य फलदार पेड़ शामिल हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 0.35 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि है, जिसमें से 0.002 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, ग्राम पंचायत के भीतर कोई वन भूमि नहीं है।

## बादशाहपुर में सुविधाएं

### बिजली तथा रसोई गैस (एलपीजी)

- बिजली कनेक्शन- 96.7% परिवार
- रसोई गैस कनेक्शन- 98% परिवार



### पेयजल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत-भूजल
- 31 इंडिया मार्क हैंडपंप




### अपशिष्ट

- खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) पंचायत का दर्जा प्राप्त
- घरेलू शौचालय कवरेज: 96.7%



### आवागमन और बाज़ार तक पहुंच

- राष्ट्रीय राजमार्ग (गोरखपुर-सोनौली एनएच-24): 0 किमी
- राज्य राजमार्ग (एसएच 46): 25 किमी
- रेलवे स्टेशन: 04 किमी
- बस स्टॉप: 04 किमी
- कृषि बाजार: 04 किमी
- ग्राम पंचायत के अंदर राशन की दुकान
- बैंक: 04 किमी
- सरकारी बीज की दुकान: 04 किमी



### शैक्षिक संस्थान


- 1 प्राथमिक विद्यालय



ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की आधारभूत रूपरेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालाँकि, संस्तुतियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या हवा में कार्बन से होने वाले प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में इसलिए ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) अनुमान सम्मिलित नहीं किये गए हैं।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु संस्तुतियाँ प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, वर्ष 2023 में, बादशाहपुर ग्राम पंचायत ने कई तरह की गतिविधियों से लगभग 768 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO<sub>2</sub>e) उत्सर्जित किया है (चित्र 9 देखें)।

ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों में घटित गतिविधियों का बादशाहपुर ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट में मुख्य योगदान दिया है। ऊर्जा क्षेत्र के उत्सर्जन में खाना पकाने के लिए लकड़ी और रसोई गैस (एलपीजी) के उपयोग, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग, तथा परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग के कारण होता है। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन तथा फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाले उत्सर्जन सम्मिलित हैं। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।



चित्र 9: 2023 में बादशाहपुर में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

बादशाहपुर के कुल उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 52 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में पशुधन उत्सर्जन (~207 tCO<sub>2</sub>e) मुख्य उत्सर्जक है और इसके बाद धान की खेती (~137 tCO<sub>2</sub>e) है। ऊर्जा क्षेत्र के कुल उत्सर्जन में 37 प्रतिशत का योगदान दिया, जिसमें परिवहन (~134 tCO<sub>2</sub>e) प्रमुख योगदानकर्ता है, इसके बाद आवासीय खाना पकाने (~100 tCO<sub>2</sub>e) का स्थान है। वहीं, कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत है (चित्र 10 देखें)।



चित्र 10: 2023 में बादशाहपुर के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत से एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के लिए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गयी है। जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे एवं गतिविधियां अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध हैं।

## व्यापक मुद्दे

- मौसमी अवधि में परिवर्तन और अनियमित वर्षा के कारण बुवाई का समय, कटाई का समय और फसलों की सिंचाई की ज़रूरतें प्रभावित होती हैं।
- जलजमाव की घटनाएं जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में लगातार हो रही हैं, जिसके कारण सड़क का बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया है।
- अस्थायी कृषि और पशुपालन पद्धतियाँ
- सीमित स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियाँ
- जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव में कमी
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी
- आजीविका विकल्पों में विविधता लाना और हरित नौकरियों के अवसर पैदा करना

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई सुझावों/संस्तुतियों को शामिल किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करते हैं। सुझावों/संस्तुतियों को चरणबद्ध लक्ष्यों और लागत अनुमानों<sup>14</sup> (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण - I (2024-25 से 2026-27); चरण - II (2027-28 से 2029-30); और चरण - III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)' दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारकों द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

पहचाने गए वित्तपोषण के विकल्पों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत गतिविधियां निम्नलिखित अनुभाग में हैं।

## कार्ययोजना में मुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
3. सतत कृषि
4. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच
6. सतत और उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, सुझावों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित पहलों/प्रयासों/नवाचरों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये पहल/प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में शामिल नहीं है, इसलिए इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण से इन्हें मुख्य सुझावों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

14 लागत का अनुमान निम्नलिखित के आधार पर लगाया गया है, जैसे: ग्राम पंचायत के मुख्य सदस्यों से प्राप्त जानकारीयां, या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार अनुमानित लागत, या आवश्यक आदानों की प्रति इकाई की अनुमानित लागत या विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूची।



## 1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

### संदर्भ एवं मुद्दे<sup>15</sup>

- बादशाहपुर में जलजमाव एक बड़ी समस्या है। पंचायत में जल निकासी के लिए एक मात्र प्राकृतिक नाला है, जिस पर अतिक्रमण हो चुका है। रखरखाव के अभाव से नाले में पानी जमा हो जाता है, जिससे खेतों और बस्तियों में जलजमाव हो जाता है।
- जलजमाव की समस्या के समाधान में तालाबों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम पंचायत में मात्र एक तालाब है, जिसके कारण जलजमाव की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए मौजूदा तालाब की मरम्मत कर नया तालाब बनवाने की आवश्यकता है।
- ग्राम पंचायत में 16 कुएं हैं, जिनमें से 02 खेतों में हैं और वे मिट्टी से भरे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, 14 कुएं गंदे पानी, कूड़े-कचरे और खरपतवार से भरे हुए हैं।
- बादशाहपुर ग्राम पंचायत में 31 इंडिया मार्क हैंडपंप और करीब 250 निजी हैंडपंप हैं। 31 में से 16 खराब हैं और शेष से पंप किया जाने वाला पानी की गुणवत्ता खराब है। जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। अधिकांश घरों में पानी के नल के कनेक्शन हैं, और सभी घरों तक पाइप से पानी पहुँचाने का कार्य चल रहा है। साथ ही ओवरहेड पानी का टैंक का निर्माण भी कराया जा रहा है।
- ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय राजमार्ग (गोरखपुर-सोनौली) और मजरो में अन्य ऊँचे रास्तों के निर्माण से जलजमाव की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, उचित जल निकासी प्रणाली की कमी इस समस्या को और बढ़ा रही है।

भूजल पर निर्भरता और पिछले पांच वर्षों में जलजमाव की लगातार घटनाएं होने से जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को पुनः भरने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता है। ग्राम पंचायत बादशाहपुर में संवेदनशीलता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल सुरक्षा में सुधार करने हेतु निम्नलिखित संस्तुतियां प्रस्तावित हैं।

<sup>15</sup> क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि के अनुसार



## वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच)

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>सभी सरकारी भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना</li> <li>सभी नये भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>50% पक्के घरों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना</li> <li>सभी नए निर्माणों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>50% पक्के घरों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना</li> <li>सभी नए निर्माणों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</li> </ol>
लक्ष्य	सरकारी भवनों में 2 आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना - पंचायत भवन, 1 प्राथमिक विद्यालय	103 पक्के घरों में 10 घनमीटर की औसत भंडारण क्षमता वाली आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना	102 पक्के घरों में 10 घनमीटर की औसत भंडारण क्षमता वाली आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना
अनुमानित लागत	आरडब्ल्यूएच (10 घनमीटर क्षमता की 2 आरडब्ल्यूएच संरचनाएं): ₹70,000 कुल लागत: ₹70,000	103 आरडब्ल्यूएच संरचनाएं : ₹36,05,000 कुल लागत: ₹36,05,000	102 आरडब्ल्यूएच संरचनाएं : ₹35,70,000 कुल लागत: ₹35,70,000



## जल निकायों का कायाकल्प एवं संरक्षण

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>तालाबों का कायाकल्प</li> <li>कुओं की सफाई और मरम्मत</li> <li>जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जल निकायों का नियमित रखरखाव</li> <li>जल निकायों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण का कार्य</li> <li>उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना का अद्यतन करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जल निकायों का नियमित रखरखाव</li> <li>उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना का अद्यतन करना</li> </ol>

## सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

4. मौजूदा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) और निर्माण कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी)<sup>16</sup> की निम्न हेतु क्षमता निर्माण:
  - » जल संरक्षण में सुधार हेतु विभिन्न प्रमुख सामुदायिक समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाना
  - » विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करना/अद्यतन करना

## लक्ष्य

1. 1 तालाब की सफाई और बाउंड्री निर्माण
2. 10 कुओं (कुल 16 कुओं में से) की सफाई और मरम्मत
3. ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ लगाना (जल निकायों के आसपास)

1. 1 तालाब का रखरखाव
2. कुओं और अन्य बुनियादी ढांचे का रखरखाव
3. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ अतिरिक्त 1,000 पेड़ लगाना

1. तालाब का रखरखाव
2. नहरों और अन्य बुनियादी ढांचे का रखरखाव

## अनुमानित लागत<sup>17</sup>

1. तालाबों का कायाकल्प: ₹3,00,000
2. 10 कुओं की सफाई और मरम्मत कार्य: ₹10,00,000
3. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: 'हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना' अनुभाग में सम्मिलित: कुल लागत: ₹13,00,000

1. 1 तालाब का रखरखाव: ₹3,75,000
2. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: 'हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना' अनुभाग में सम्मिलित: कुल लागत: ₹3,75,000

- 1 तालाब का रखरखाव: ₹3,75,000
- कुल लागत: ₹3,75,000

16 वीडब्ल्यूएससी हैंडबुक, <https://phed.cg.gov.in/sites/default/files/gphandbook-0.pdf>

17 एचआरवीसीए के अनुसार लागत





## जल निकासी और सीवेज अवसंरचना को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>जल निकासी नेटवर्क का निर्माण (बादशाहपुर से रेलवे लाइन तक और विभिन्न अन्य स्थानों तक<sup>18</sup>)</li> <li>गंदे पानी के निकासी के लिए चयनित स्थानों पर साइफन लगाना</li> <li>जलजमाव को रोकने के लिए मौजूदा नालों की सफाई</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>मौजूदा नालियों की नियमित सफाई और रखरखाव</li> <li>मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव</li> </ol>	सभी बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>जल निकासी नेटवर्क का निर्माण               <ul style="list-style-type: none"> <li>» बादशाहपुर से रेलवे लाइन: ~0.4 किमी</li> <li>» आरसीसी नालियाँ<sup>19</sup>: ~2.5 किमी</li> </ul> </li> <li>चयनित स्थानों पर साइफन लगाना</li> <li>मौजूदा नालों की सफाई</li> </ol>	मौजूदा बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव	सभी बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव
अनुमानित लागत <sup>20</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>कुल ~2.9 किलोमीटर लंबे ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण: ₹23,00,000</li> <li>साइफन: ₹25,00,000</li> <li>मौजूदा नालों की सफाई: आवश्यकतानुसार</li> </ol> कुल लागत: ₹48,00,000	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

18 स्थान विशिष्ट विवरण के लिए एचआरवीसीए देखें

19 स्थान विशिष्ट विवरण के लिए एचआरवीसीए देखें

20 एचआरवीसीए के अनुसार लागत



## भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना और पेयजल की उपलब्धता में सुधार करना

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>भूजल प्रबंधन के लिए पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण</li> <li>पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर हैंडपंपों की मरम्मत करना (जिसमें आसपास के प्लेटफॉर्म को उंचा करना भी शामिल है)</li> </ol>	सभी पुनर्भरण गड्ढों नियमित का रखरखाव	सभी बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>चयनित स्थानों पर 50 पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण<sup>21</sup></li> <li>16 हैंडपंपों की मरम्मत</li> </ol>	आवश्यकतानुसार अधिक पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण	आवश्यकतानुसार अधिक पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> <li>50 पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण: ₹5,00,000</li> <li>हैंडपंपों की मरम्मत: ₹5,00,000</li> </ol> कुल लागत: ₹10,00,000	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार



## अपशिष्ट जल प्रबंधन

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>विकेंद्रित अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (DEWATS) की स्थापना</li> <li>सोखते गड्ढों का निर्माण (DEWATS से जुड़े न होने वाले घरों के लिए)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>मौजूदा DEWATS का नियमित रखरखाव</li> <li>सोखते गड्ढों का नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सोखते गड्ढों का निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>भविष्य की जनसंख्या वृद्धि के अनुसार अपशिष्ट जल उपचार इकाई का सुदृढीकरण</li> <li>वर्तमान DEWATS का नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सोखते गड्ढों का निर्माण</li> </ol>

21 स्थान विशिष्ट विवरण के लिए एचआरवीसीए देखें

## लक्ष्य

1. 200 KLD क्षमता वाला 1 DEWAT स्थापित
2. चयनित स्थानों पर सोखते गड्डों का निर्माण

1. अपशिष्ट जल उपचार अवसंरचना का रखरखाव
2. सोखते गड्डों का नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सोखते गड्डों का निर्माण

1. अपशिष्ट जल उपचार अवसंरचना का रखरखाव
2. सोखते गड्डों का नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सोखते गड्डों का निर्माण

## अनुमानित लागत

1 DEWAT की लागत: ₹60,00,000<sup>22</sup>  
कुल लागत: ₹60,00,000

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान के माध्यम से उपलब्ध कराए गए प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- पीएमकेएसवाई के तहत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के तहत वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर की स्वच्छता गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- सोख गड्डों के निर्माण के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन को जल शक्ति अभियान: सुजलाम 2.0 अभियान के माध्यम से चैनलाइज़ किया जा सकता है।


## वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रख-रखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/सीएसआर को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वाटरशेड विकास निधि के माध्यम से वाटरशेड विकास से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग

22 DEWATS की लागत तकनीक और अन्य संबंधित मापदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है



## 2. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

### संदर्भ एवं मुद्दे<sup>23</sup>

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थान, तथा वाणिज्यिक क्षेत्र) से उत्पन्न कुल अपशिष्ट<sup>24</sup> लगभग ~161 किलोग्राम प्रतिदिन है, जिसमें लगभग 93 किलोग्राम प्रतिदिन जैव निम्नीकरणीय/जैविक अपशिष्ट और 77 किलोग्राम प्रतिदिन गैर-जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट सम्मिलित है।
- कचरा प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त है; कचरा पृथक्करण केंद्र, नाडेप पिट, प्लास्टिक संग्रह केंद्र उपलब्ध नहीं हैं, और सोखते गड्ढों की भी कमी है।
- बड़ी मात्रा में कृषि और पशु अपशिष्ट भी अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ाते हैं। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन की संख्या 337 (17 गाय, 105 भैंस, 215 बकरियां) है और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 1.8 टन प्रतिदिन<sup>25</sup> है जिसे बादशाहपुर में खाद, वर्मीकम्पोस्ट खाद, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थायी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है।

इस पृष्ठभूमि में, ग्राम पंचायत में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

23 क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि के अनुसार

24 अनुमान पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें

25 अनुमानित है कि गायें प्रतिदिन 10 किलोग्राम गोबर, भैंसें प्रतिदिन 15 किलोग्राम गोबर, और बकरियाँ प्रतिदिन 150 ग्राम गोबर पैदा करती हैं



## अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत-स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा की स्थापना</li> <li>कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए किराए पर ली गई इलेक्ट्रिक कचरा संग्रह वैन और कर्मचारी: <ul style="list-style-type: none"> <li>घरों और सार्वजनिक सुविधाओं से अलग-अलग कचरे का डोर-टू-डोर संग्रह</li> <li>घरों से ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण सुविधा तक</li> </ul> </li> <li>चयनित स्थानों (राशन की दुकानें, बाजार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कूड़ेदानों की स्थापना</li> <li>पंचायत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्कैप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच साझेदारी स्थापित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत स्तरीय प्रथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव</li> <li>मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए चयनित स्थानों पर कूड़ेदानों की अतिरिक्त स्थापना</li> <li>ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत स्तर पर पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव</li> <li>मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव किया जाना</li> <li>ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>विशिष्ट स्थान पर अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा स्थापना</li> <li>प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले लगभग 161 किलोग्राम कचरे को एकत्रित करने के लिए 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन (क्षमता 310 किलोग्राम) का प्रावधान</li> <li>चयनित स्थानों पर 32 कूड़ेदानों की स्थापना<sup>26</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना</li> <li>मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना</li> <li>मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव</li> </ol>

26 स्थान विशिष्ट विवरण के लिए एचआरवीसीए देखें

## अनुमानित लागत

1. अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा की स्थापना: ₹20,00,000
2. इलेक्ट्रिक कचरा वैन: ₹1,00,000
3. 32 कूड़ेदान<sup>27</sup> : ₹65,000  
कुल लागत: ₹21,65,000

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



## बेहतर स्वच्छता प्रबंधन

### चरण



2024-25 से 2026-27



2027-28 से 2029-30



2030-31 से 2034-35

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

1. व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण
2. सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय का निर्माण

1. आवश्यकतानुसार सामुदायिक शौचालय का निर्माण
2. सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय का निर्माण

1. मौजूदा बुनियादी ढाँचे का रखरखाव
2. सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय का निर्माण

### लक्ष्य

160 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण

आवश्यकतानुसार सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं रखरखाव

आवश्यकतानुसार सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं रखरखाव

### अनुमानित लागत<sup>28</sup>

160 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण:  
₹20,00,000  
कुल लागत: ₹20,00,000

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



## जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन

### चरण



2024-25 से 2026-27



2027-28 से 2029-30



2030-31 से 2034-35

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

1. नाडेप कम्पोस्ट गड्डों और वर्मिकम्पोस्ट गड्डों की स्थापना
2. ग्राम पंचायत में खाद मूल्य श्रृंखला संस्थापित करने के लिए पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी का निर्माण

1. कम्पोस्ट गड्डों का नियमित रखरखाव
2. भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक बढ़ाना

1. कम्पोस्ट गड्डों का नियमित रखरखाव
2. भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक बढ़ाना

27 एचआरवीसीए के अनुसार लागत

28 एचआरवीसीए के अनुसार लागत

## लक्ष्य

1. 20 नाडेप कम्पोस्ट गड्डों और 10 वर्मीकम्पोस्ट गड्डों की स्थापना<sup>29</sup>
2. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल (जिसका विस्तार से "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में वर्णन किया गया है):
  - » खाद का उत्पादन और बिक्री
  - » कृषि अपशिष्ट की बिक्री

1. कम्पोस्ट गड्डों का रखरखाव
2. साझेदारी को बढ़ाना

1. कम्पोस्ट गड्डों का रखरखाव
2. साझेदारी को बढ़ाना

## अनुमानित लागत<sup>30</sup>

वर्मीकम्पोस्ट गड्डे और नाडेप कम्पोस्ट गड्डे: ₹4,00,000  
कुल लागत: ₹4,00,000

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



## एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

## चरण



2024-25 से 2026-27

1. निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन:
  - » ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)
  - » छात्र एवं युवा समूह
  - » समुदाय के सदस्य एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान
2. प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद बनाने के लिए पंचायत के सदस्यों, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल (आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से समझाया गया है)



2027-28 से 2029-30

1. नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम
2. भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक बढ़ाना



2030-31 से 2034-35

1. नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम
2. भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक बढ़ाना

## सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

<sup>29</sup> स्थान विशिष्ट विवरण के लिए एचआरवीसीए देखें  
<sup>30</sup> एचआरवीसीए के अनुसार लागत

1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध
2. 100-120 महिलाओं को प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में सम्मिलित करना

1. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध बरकरार
2. इस ग्राम पंचायत एवं आस-पास के गांवों से बढ़ी सहभागिता:
  - » अतिरिक्त 200 महिलाएँ
  - » अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

1. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध बरकरार
2. विकल्प आसानी से विकल्प उपलब्ध होने के कारण उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का उपयोग कम हो जाता है

## मौजूदा योजनाएँ और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद बनाने की सुविधाओं के निर्माण हेतु मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है।
- स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के तहत अवसंरचना के विकास और प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- प्लास्टिक के लिए वैकल्पिक उत्पादों, खाद बनाने की प्रक्रियाओं के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक के लिए वैकल्पिक उत्पादों, खाद बनाने की प्रक्रियाओं के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक अवसंरचना को विकसित करने के लिए ग्राम पंचायत के अपने संसाधनों, बंधे और खुले निधियों सहित, का उपयोग किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड





## 3. सतत कृषि

### संदर्भ एवं मुद्दे

- बादशाहपुर में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र 62 हेक्टेयर है और सकल फसली क्षेत्र लगभग 109 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 50 प्रतिशत परिवार कृषि पर निर्भर हैं और 14 प्रतिशत परिवार आय के स्रोत के रूप में पशुपालन पर निर्भर हैं।
- खरीफ, रबी और जैद मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें धान (~40.5 हेक्टेयर), केला (~4.8 हेक्टेयर) सब्जियां (~8 हेक्टेयर), गेहूं (~35 हेक्टेयर), सरसों (~4 हेक्टेयर), मटर (~4 हेक्टेयर), आलू (~8 हेक्टेयर) और फूलगोभी (~4 हेक्टेयर) हैं। सब्जियों में तुरई, करेला, मूली, टमाटर और प्याज भी सम्मिलित हैं।
- ग्राम पंचायत ने 2022 और 2018 के जून महीने में सूखे जैसी स्थितियों का अनुभव किया। सूखे के कारण फसल की पैदावार और चारे की उपलब्धता पर भी असर पड़ता है।
- पशु नस्ल सुधार, पशु बीमा और फसल बीमा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी सीमित है।
- धान की बुवाई और रोपाई अब पहले की जा रही है, साथ ही सूखा सहिष्णु हाइब्रिड चावल की किस्मों की खेती की जा रही है। सर्दियों में देरी के कारण गेहूं और सरसों की बुवाई का समय अक्टूबर/नवंबर से बदलकर नवंबर/दिसंबर हो गया है।
- वर्ष 2018 से 2023 के बीच, ग्राम पंचायत को अक्सर धान और गेहूं की फसलों को प्रभावित करने वाले माहो और जोराई जैसे कीटों की समस्या का सामना करना पड़ा।
- वर्ष 2018 से 2023 के वर्षों में, बीमारियों और कीटों के कारण फसल का नुकसान हुआ है। नुकसान लगभग 1,440 किंटल उपज या लगभग ₹102 लाख<sup>31</sup> का है।
- किसान प्रति वर्ष ~24 टन यूरिया और अन्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे प्रति वर्ष ~45 टन CO<sub>2</sub>e का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं। बादशाहपुर में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।
- कृषि सलाहकार सेवाओं और मौसम की जानकारी/अलर्ट/चेतावनी प्रणालियों की अनुपस्थिति समुदाय को चरम मौसम की घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।
- क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार कृषि जल की मांग बढ़ गई है, जिससे जल संरक्षण और उन्नत सिंचाई तकनीकों की आवश्यकता बढ़ जाती है।

उपरोक्त बिन्दु अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए सतत और सूखा-रोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

31 क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि के अनुसार



## कृषि के लिए सूखा प्रबंधन

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कृषि क्षेत्रों के चारों ओर पेड़ों से मेड़बंधी का निर्माण</li> <li>2. उपयुक्त फसलों के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाना<sup>32</sup></li> <li>3. कृषि तालाबों का निर्माण</li> <li>4. फसलों में आवश्यकता आधारित पोषक तत्व प्रबंधन (जैसे जैविक पुनर्चक्रण, पत्तियों पर छिड़काव के लिए पोषक तत्व, आदि)<sup>33</sup></li> <li>5. सिंचित क्षेत्रों से वाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मल्लिंग का उपयोग</li> <li>6. किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना</li> <li>7. कृषि क्षेत्र में चयनित स्थानों पर स्वचालित/मिनी मौसम स्टेशन की स्थापना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. मेड़बंधी का विस्तार</li> <li>2. सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का विस्तार</li> <li>3. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण किया जाना</li> <li>4. मौजूदा कृषि तालाबों और मेड़बंधी का नियमित रखरखाव</li> <li>5. जागरूकता पैदा करने की पहल जारी रखना और किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान रखना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. मेड़बंधी और वृक्षारोपण का रखरखाव</li> <li>2. सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का विस्तार</li> <li>3. मौजूदा कृषि तालाबों का नियमित रखरखाव</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 31 हेक्टेयर कृषि भूमि पर पेड़ों के साथ मेड़बंधी (कुल कृषि भूमि का 50%)</li> <li>2. 9 हेक्टेयर उपयुक्त भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई (उपयुक्त भूमि का 30%)</li> <li>3. जहाँ संभव हो, वहाँ कृषि तालाबों का निर्माण</li> <li>4. ग्राम पंचायत में उपयुक्त स्थान पर 1 मिनी मौसम निगरानी स्टेशन की स्थापना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 31 हेक्टेयर (100% कवरेज) की पूरी कृषि भूमि पर पेड़ों के साथ मेड़बंधी</li> <li>2. 12 हेक्टेयर उपयुक्त भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई (उपयुक्त भूमि का 70%)</li> <li>3. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण और मौजूदा कृषि तालाबों का रखरखाव किया जाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9 हेक्टेयर उपयुक्त भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई (उपयुक्त भूमि का 100%)</li> </ol>

32 यहाँ सब्जी, केला, आलू, मटर और फूलगोभी (~30 हेक्टेयर) उपयुक्त फसलें मानी गई हैं

33 सूखा मैनुअल (2020), <https://vedas.sac.gov.in/static/pdf/Drought%20Manual-2020.pdf>

## अनुमानित लागत

1. मेड़बंधी: ₹83,516
2. सूक्ष्म सिंचाई: ₹9,00,000
3. कृषि तालाब: आवश्यकतानुसार
4. 1 मिनी मौसम स्टेशन: ₹1,50,000  
कुल लागत: ₹11,33,516

1. मेड़बंधी: ₹83,516
  2. सूक्ष्म सिंचाई: ₹12,00,000
- कुल लागत: ₹12,83,516

- सूक्ष्म सिंचाई: ₹9,00,000  
कुल लागत: ₹9,00,000



## प्राकृतिक खेती अपनाना

### चरण

I  
2024-25 से 2026-27

II  
2027-28 से 2029-30

III  
2030-31 से 2034-35

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

1. जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से निम्न की सहायता से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना
  - » प्रशिक्षण और प्रदर्शन
  - » प्राकृतिक/जैविक खेती प्रमाणन आरंभ किया गया
  - » बाजार पहुंच और संपर्कों की खोज
2. वाष्पीकरण को कम करके और नमी बनाए रखकर मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने हेतु मिश्रित फसल, फसल चक्र, घास-पात (मल्टिचिंग), शून्य जुताई जैसी विविध फसल प्रणालियों को बढ़ावा देना

1. कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणीकरण तंत्र और बाजार संपर्क संस्थापित करना) में परिवर्तित करना जारी रखना
2. चरण I में क्रियान्वित प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना

100% कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करने का विस्तार

### लक्ष्य

9 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

25 हेक्टेयर (अतिरिक्त 40% कवरेज) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

28 हेक्टेयर (100% कवरेज) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

### अनुमानित लागत

1. प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण: ₹60,000
  2. प्राकृतिक खेती के लिए कृषि भूमि का परिवर्तन: ₹22,98,030
- कुल लागत: ₹23,58,030

1. प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण: ₹60,000
  2. प्राकृतिक खेती के लिए कृषि भूमि का परिवर्तन: ₹61,28,080
- कुल लागत: ₹61,88,080

1. प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण: ₹60,000
  2. प्राकृतिक खेती के लिए कृषि भूमि का परिवर्तन: ₹68,94,090
- कुल लागत: ₹69,54,090



## सतत पशुधन प्रबंधन

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण</li> <li>पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षित करना</li> </ol> <p>पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए हस्तक्षेप हेतु "विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची" खंड को देखें</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार</li> <li>आवश्यकतानुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण का विस्तार करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार</li> <li>आवश्यकतानुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण का विस्तार करना</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>पशुपालन में सम्मिलित परिवारों के लिए सतत पशुपालन पद्धतियों, रोग की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएं आयोजित करना</li> <li>2 पैरा-वेट्स का प्रशिक्षण<sup>34</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन पद्धतियों पर अतिरिक्त कार्यशालाएं आयोजित करना</li> <li>पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन पद्धतियों पर अतिरिक्त कार्यशालाएं आयोजित करना</li> <li>पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</li> </ol>
अनुमानित लागत	कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

34 समुदाय आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या ग्राम पंचायत की आवश्यकता पर आधारित है

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उत्तर प्रदेश बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफिंग प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा की स्थापना और संचालन ("स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप) करना।
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- इसके अतिरिक्त, बादशाहपुर में सतत कृषि में सम्मिलित किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों की क्षमता निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कॉर्पोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- कृषि विभाग
- एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (सीआईएमपी)
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केंद्र, गोरखपुर



## 4. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

### संदर्भ एवं मुद्दे<sup>35</sup>

- ग्राम पंचायत में सीमांकित वन भूमि नहीं है और इसमें सीमित हरित क्षेत्र हैं।
- ग्राम पंचायत में पाए जाने वाले पेड़ों में आम, अमरूद, शीशम, लीची आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, 10 दशमलव भूमि में आम और अमरूद के लगभग 40-45 पेड़ों के साथ 2 बाग हैं।
- जलजमाव के कारण पशुओं को खुजली, खुरपका, मुंहपका, गलाघोंटू, चर्म रोग आदि कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। खेतों में घास और घर में रखे चारे के नष्ट हो जाने से पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत पौधरोपण गतिविधियाँ हुईं और पोषण वाटिका बनाई गई।

बादशाहपुर ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की क्षमता है। इससे न केवल थर्मल आराम में सुधार होगा और छाया मिलेगी बल्कि ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अतिरिक्त लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।

<sup>35</sup> क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि के अनुसार



## हरित आवरण में सुधार

### चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>निम्न विभिन्न पहलों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित वृक्षारोपण गतिविधियाँ:<sup>36</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>छात्रों के लिए <b>ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम</b><sup>37</sup> (5 छात्रों का चयन)</li> <li>देशी फलों के पेड़ लगाकर <b>खाद्य वन</b> का निर्माण</li> </ul> </li> <li><b>आरोग्य वन</b> का विकास - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और वृक्षारोपण<sup>38</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>मौजूदा वृक्षारोपण और नर्सरी का रखरखाव</li> <li><b>बाल वन</b> के निर्माण के साथ वृक्षारोपण गतिविधियों को जारी रखना और बढ़ाना<sup>39</sup></li> <li>किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना</li> <li><b>आरोग्य वन</b> की स्थापना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार और रखरखाव- बाल वन, खाद्य वन और अन्य वृक्षारोपण</li> <li>कृषि वानिकी पहल के तहत क्षेत्र का विस्तार</li> <li><b>आरोग्य वन</b> में प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयों स्थापित करना (जैसा कि 'आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग में बताया गया है)</li> </ol>

### लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> <li>सामान्य और लुप्तप्राय पेड़ों के 1,000 पौधे लगाना और 65% जीवित रहने की दर सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड का उपयोग करके) पृथक्करण क्षमता : 15-20 वर्षों में 5,600 tCO<sub>2</sub> से 10,000 tCO<sub>2</sub><sup>40</sup></li> <li>आरोग्य वन की स्थापना के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि आवंटित/चिह्नित</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों और जल निकायों के किनारे 1,000 से 1,500 अन्य पौधे लगाना पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 8,400 tCO<sub>2</sub> से 15,000 tCO<sub>2</sub></li> <li>आरोग्य वन की स्थापना और रखरखाव</li> <li>लगभग 14 हेक्टेयर भूमि पर कृषि-वानिकी अपनाना, 1,400 पौधे<sup>41</sup> लगाना पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 7,840 tCO<sub>2</sub> से 14,000 tCO<sub>2</sub></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>अतिरिक्त 1,500 से 2,000 पौधे लगाना पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 11,200 tCO<sub>2</sub> से 20,000 tCO<sub>2</sub></li> <li>शेष 21 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी अपनाना और 2,100 पौधे लगाना पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 11,760 tCO<sub>2</sub> से 21,000 tCO<sub>2</sub></li> <li>आरोग्य वन का रखरखाव करना तथा प्राकृतिक औषधियों और पूरकों का उत्पादन जारी रखना</li> </ol>
---	---	--

36 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियाँ

37 विद्यालय के छात्रों को वृक्षारोपण में लगाया जाएगा तथा प्रत्येक कक्षा से छात्र नेता चुने जाएँगे जो अपने साथियों के साथ-साथ GP समुदाय को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करेंगे।

38 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध उपयुक्त वृक्ष प्रजातियाँ

39 नए माता-पिता को उनके बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में देशी सदाबहार वृक्षों के पौधे उपहार में दिए जाएँगे तथा उन्हें अपने बच्चों के जीवन भर पौधों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

40 सागौन की प्रजातियों के आधार पर पृथक्करण क्षमता का अनुमान लगाया गया

41 गेहूँ के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि (~35 हेक्टेयर) कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त मानी गई

<b>लक्ष्य</b>		4. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के विनिर्माण और विपणन के लिए एफपीओ, महिला समूहों, युवा समूहों का क्षमता निर्माण	
<b>अनुमानित लागत</b>	वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹12,70,000 कुल लागत: ₹12,70,000	1. वृक्षारोपण: 12,70,000 - ₹19,05,000 2. कृषि वानिकी: ₹5,60,000 कुल लागत: ₹18,30,000- ₹24,65,000	1. वृक्षारोपण: ₹19,05,000 - ₹25,40,000 2. कृषि वानिकी: ₹8,40,000 कुल लागत: ₹27,45,000 - ₹33,80,000



## नर्सरी स्थापित करना

<b>चरण</b>	<b>I</b> 2024-25 से 2026-27	<b>II</b> 2027-28 से 2029-30	<b>III</b> 2030-31 से 2034-35
<b>मुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ</b>	1. ग्राम पंचायत के लिए एसएचजी द्वारा एक नर्सरी स्थापित करना 2. नर्सरी के रखरखाव और संचालन के लिए एसएचजी को प्रशिक्षित करना	नर्सरी का रखरखाव	नर्सरी का रखरखाव
<b>लक्ष्य</b>	हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए ग्राम पंचायत की भूमि पर एक नर्सरी स्थापित करना और महिलाओं को अतिरिक्त आय भी प्रदान करना	1 नर्सरी का रखरखाव	1 नर्सरी का रखरखाव
<b>लक्ष्य</b>	नर्सरी के निर्माण और संचालन : ₹2,00,000 कुल लागत: ₹ 2,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार





## जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का अद्यतन</li> <li>जागरूकता बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का अद्यतन जारी</li> <li>जागरूकता बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का अद्यतन जारी</li> <li>जागरूकता बढ़ाना</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन और क्षमता वृद्धि</li> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन</li> </ol>	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी
अनुमानित लागत	जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन और प्रशिक्षण लागत <sup>42</sup> : ₹25,000		

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उत्तर प्रदेश राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
  - ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
  - कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाएं।
  - वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय औषधीय एवं सुसंगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन संस्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।


42 जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण।  
<http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>

## वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (ओएसआर) से एकत्र राजस्व।
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' की संस्तुतियों में वर्णित है।

## प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ
- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग



## 5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

### संदर्भ एवं मुद्दे<sup>43</sup>

- ग्राम पंचायत बादशाहपुर में 96.7 प्रतिशत घरों में बिजली का कनेक्शन है, लेकिन समुदाय के सदस्यों की समझ से बिजली आपूर्ति 24x7 नहीं है। क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार, ग्राम पंचायत में औसतन प्रतिदिन 4-5 घंटे बिजली कटौती होती है।
- बिजली कटौती के कारण, ग्राम पंचायत में बिजली बैकअप के लिए 30 इनवर्टर और 70 आपातकालीन लाइट उपयोग में हैं।
- ग्राम पंचायत में 50 डीजल पंप हैं जो सालाना ~19.5 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- सभी घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में कम दक्षता वाले विद्युत जुड़नार और उपकरण उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट (50 स्ट्रीट लाइट) की आवश्यकता व्यक्त की है।
- लगभग 310 घरों में खाना पकाने के लिए गोबर और लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिनकी औसत खपत लगभग 30 किलोग्राम प्रति माह है। खाना पकाने के लिए स्वच्छ समाधान अपनाने की आवश्यकता है, जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि घर के अंदर की वायु गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी होंगे।

ग्राम पंचायत की पहचान की गई ऊर्जा संबंधी समस्याओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए और साथ ही चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, उत्तर प्रदेश राज्य सौर नीति 2022, के संयोजन में, बादशाहपुर में क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं। सुझाई गई गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी।

43 क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि के अनुसार



## सोलर रूफटॉप की स्थापना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाना-पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय	1. पक्के घरों की छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना <sup>44</sup> 2. सभी नय भवनों पर छत पर सोलर पैनल लगाना (चरण II के दौरान निर्मित)	1. पक्के घरों पर छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना का विस्तार 2. सभी नय भवनों (चरण III के दौरान निर्मित) पर छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना 3. सोलर छतों का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	निम्न पर सोलर छत क्षमता स्थापना: पंचायत भवन: 10 kWp <sup>45</sup> इस चरण में स्थापना कुल सोलर छत क्षमता: 10 kWp बिजली उत्पाद: 13,392 kWh प्रति वर्ष (~37 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन में कमी: 11 tCO <sub>2</sub> e प्रति वर्ष हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अति आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के मद्देनजर, कुछ परिवार भी सौर पीवी स्थापना के इस चरण का हिस्सा बन सकते हैं	82 (~40%) पक्के घरों की छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना सोलर रूफटॉप की स्थापित क्षमता: 82 kWp कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: ~1,09,814 kWh प्रति वर्ष (~301 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन में कमी: लगभग 90 tCO <sub>2</sub> e प्रति वर्ष	123 (~100%) पक्के घरों की छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना सोलर रूफटॉप की स्थापित क्षमता: 123 kWp कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: ~1,64,722 kWh प्रति वर्ष (~451 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष लगभग 135 tCO <sub>2</sub> e
अनुमानित लागत	कुल लागत: ₹5,00,000	लागत (प्रति किलोवाट): ₹41,00,000 सांकेतिक सब्सिडी <sup>46</sup> : ~40% (राज्य + सीएफए) सांकेतिक लागत: ₹24,60,000	लागत: ₹61,50,000 सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए) सांकेतिक लागत: ₹36,90,000

44 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम पंचायत में अधिकांश पक्के घर छोटे हैं और इसलिए घरों के लिए छत पर सौर ऊर्जा क्षमता 1 kWp उपयुक्त मानी गई है

45 पंचायत में स्थित सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना की अधिकतम सीमा 10 kWh है।

46 सब्सिडी परिवर्तनशील होती है और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और मौजूदा समय में सटीक नहीं हो सकती है।



## कृषि-फोटोवोल्टिक

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
दुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	किसानों, किसान समूहों, महिला समूहों आदि के बीच जागरूकता पैदा करना	उपयुक्त कृषि भूमि के क्षेत्र भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक संस्थापित (बागवानी और फलीदार फसलों के अंतर्गत)	उपयुक्त कृषि भूमि के क्षेत्र भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक संस्थापित (बागवानी और फलीदार फसलों के अंतर्गत)
लक्ष्य	किसानों के बीच कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और अभिविन्यास सत्र आयोजित करना	2 हेक्टेयर में कृषि-फोटोवोल्टिक संस्थापित संस्थापित क्षमता: 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 549 tCO <sub>2</sub> e प्रति वर्ष	2 हेक्टेयर में कृषि-फोटोवोल्टिक संस्थापित संस्थापित क्षमता: 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 549 tCO <sub>2</sub> e प्रति वर्ष
अनुमानित लागत	आवश्यकतानुसार	कुल लागत <sup>47</sup> : ₹5 करोड़ <sup>48</sup>	कुल लागत: ₹5 करोड़



## सौर पंप

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
दुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में मौजूदा डीज़ल पंप सेटों को सौर पंपों से बदला जाना*  *यदि सौर पंप संभव नहीं है, तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है।	मौजूदा किसी भी अतिरिक्त डीज़ल पंप को सौर पंप से बदलना	सभी नए पंपों के उपयोग/खरीद को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना

47 प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, कृषि-फोटोवोल्टिक की लागत कम हो रही है। हालांकि, उच्चतर लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा, यह माना गया है कि किसान बागवानी और अन्य समान फसलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फसल चक्र अपनाते हैं। इसलिए, बागवानी के तहत उपलब्ध भूमि का केवल एक प्रतिशत ही कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना के लिए ध्यान में रखा गया है।

48 प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण कृषि-फोटोवोल्टिक की लागत में कमी आ रही है। हालांकि, उच्च स्तर पर लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अनुमान लगाया गया है कि किसान बागवानी और उस तरह की फसलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फसल चक्र अपनाते हैं। इसलिए, कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना के लिए बागवानी के अंतर्गत उपलब्ध भूमि के एक प्रतिशत पर ही विचार किया गया है।

## लक्ष्य

50 डीजल पंपों को सौर पंपों से बदलना  
संस्थापित क्षमता: ~275 kWp  
बिजली उत्पादन क्षमता:  
3,68,280 kWh प्रति वर्ष  
जीएचजी उत्सर्जन में कमी: 53 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष

आवश्यकतानुसार क्षमता

आवश्यकतानुसार क्षमता

## अनुमानित लागत

कुल लागत: ₹1,50,000-  
₹2,50,00,000

सब्सिडी: ~60% (राज्य +  
सीएफए)

प्रभावी लागत: ₹60,00,000-  
₹1,00,00,000

आवश्यकतानुसार क्षमता

आवश्यकतानुसार क्षमता



## रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

## चरण



2024-25 से 2026-27

परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)

परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)

परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)

सभी नए घरों में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुकस्टोव और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र सम्मिलित हैं



2027-28 से 2029-30

परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)

परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)

परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)

सभी नए घरों में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुकस्टोव और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र सम्मिलित हैं



2030-31 से 2034-35

परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)

परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)

परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)

सभी नए घरों में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुकस्टोव और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र सम्मिलित हैं

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

## चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
परिदृश्य 1: 18 परिवार बायोगैस संयंत्र का उपयोग (25% परिवार जिनके पास मवेशी हैं)	परिदृश्य 1: 17 अतिरिक्त घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (कुल 50% परिवार जिनके पास मवेशी हैं)	परिदृश्य 1: अतिरिक्त 15 परिवार बायोगैस संयंत्र का उपयोग (100% परिवार जिनके पास मवेशी हैं)	
परिदृश्य 2: 15 परिवारों सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुकस्टोव (उच्च आय वर्ग के 50% परिवार) <sup>49</sup>	परिदृश्य 2: 15 परिवारों में सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुकस्टोव (उच्च आय वर्ग में 50% घर)	परिदृश्य 2: शीर्ष आय वर्ग में कोई भी अतिरिक्त परिवार सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग	
परिदृश्य 3: 78 परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग (25% परिवार वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं)	3. परिदृश्य 3: 156 अतिरिक्त परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग (वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले घरों का अतिरिक्त 25%)	परिदृश्य 3: 154 अतिरिक्त परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग (शीर्ष आय वर्ग में अतिरिक्त 50% परिवार)	
इसमें ग्राम पंचायत में एलपीजी का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है	इसमें शेष घरों में ग्राम पंचायत में एलपीजी का उपयोग भी सम्मिलित है	इसमें ग्राम पंचायत में एलपीजी का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है	

## लक्ष्य

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र: ₹9,00,000	परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र: ₹ 8,50,000	परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र: ₹7,50,000
परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुकस्टोव: ₹6,75,000	परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुकस्टोव: ₹6,75,000	परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुकस्टोव: ₹45,000
परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हे: ₹2,34,000	परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हे: ₹4,68,000	परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हे: ₹4,62,000
औसत कुल लागत: ₹6,03,000	औसत कुल लागत: ₹6,64,333	औसत कुल लागत: ₹4,04,000

## अनुमानित लागत

49 ₹2 लाख से ₹5 लाख के बीच और ₹5 लाख से अधिक आय वाले परिवार (30 परिवार)



## चरण दुम्माई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>सभी पीआरआई भवनों में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदलना</li> <li>ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम 1 सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब और/या एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</li> <li>निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटेड) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सीएफएल बल्बों की जगह एलईडी बल्बों का उपयोग बढ़ाना</li> <li>घरों में पारंपरिक पंखों को ऊर्जा कुशल पंखे से बदलना</li> <li>निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना</li> </ol>	घरों में पारंपरिक पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदलने का विस्तार करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>सभी पंचायती राज संस्थाओं/ सरकारी भवनों में 100% मौजूदा फिक्स्चर को एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा कुशल पंखों से बदलना</li> <li>मौजूदा 310 सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्बों से बदलना (प्रत्येक घर में 1) और 310 ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदलना (प्रत्येक घर में 1)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>कम से कम 310 सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से बदलना (प्रत्येक घर में 1)</li> <li>310 पारंपरिक पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदलना (प्रत्येक घर में 1)</li> </ol>	शेष 310 (100% कवरेज) पारंपरिक पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदलना (प्रत्येक घर में 1)
अनुमानित	310 एलईडी बल्ब: ₹21,700 310 एलईडी ट्यूब लाइट: ₹68,200 कुल लागत: ₹89,900	310 एलईडी बल्ब: ₹21,700 310 ऊर्जा कुशल पंखें: ₹3,44,100 कुल लागत: ₹4,34,000	310 ऊर्जा कुशल पंखें: ₹3,44,100 कुल लागत: ₹3,44,100

50 क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी और ग्राम प्रधान के साथ चर्चा के आधार पर





चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना</li> <li>सड़कों, फुटपाथों, सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जलाशयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>नई सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना</li> <li>अधिक हाई-मास्ट सौर एलईडी की स्थापना</li> <li>मौजूदा स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव और मरम्मत</li> </ol>	मौजूदा स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव और आवश्यकतानुसार अधिक सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>50 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना</li> <li>आवश्यकतानुसार हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकतानुसार सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना</li> <li>आवश्यकतानुसार हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकतानुसार सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना</li> <li>आवश्यकतानुसार हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना</li> </ol>
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> <li>50 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट: ₹10,00,000</li> <li>हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट: आवश्यकतानुसार</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹10,00,000</p>	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकतानुसार

51 क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी और ग्राम प्रधान के साथ चर्चा के आधार पर

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022<sup>52</sup> में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :
  - » आवासीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा की स्थापना पर सब्सिडी: एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹30,000/- प्रति उपभोक्ता तक
  - » स्वयं के द्वारा रेस्को<sup>53</sup> मोड में संस्थानों में या यूपीएनईडीए के परामर्श के साथ संयंत्र की 3 प्रतिशत लागत के परामर्श शुल्क के साथ सौर ऊर्जा की स्थापना के प्रावधान
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
  - » 3 किलोवाट क्षमता तक के आरटीएस सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत तक सीएफए दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले आरटीएस (RTS) सिस्टम के लिए, 40 प्रतिशत का सीएफए केवल पहले 3 किलोवाट की क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से अधिक (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए सीएफए 20 प्रतिशत तक ही होगा।
  - » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सीएफए आम सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आरटीएस संयंत्र की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत तक सीमित है। जीएचएस/आरडब्ल्यूए के लिए सीएफए के लिए पात्र क्षमता प्रति घर 10 किलोवाट तक सीमित है और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं है
  - » गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किये जा सकते हैं<sup>54</sup>। यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए प्रणाली लागत का 60% तथा 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता को 3 किलोवाट पर सीमित किया गया है। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी है।
- पीएम कुसुम योजना में निम्न प्रावधान किया गया है :
  - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना का घटक A, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने को बढ़ावा देती है।
  - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक B और C के तहत, केंद्र और राज्य सरकार प्रति पंप के आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10 प्रतिशत की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान बैंक को किस्तों में किया जा सकता है।
- पीएम कुसुम योजना में यूपी सरकार का योगदान:
  - » घटक C -1 के तहत: किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सौरीकरण (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी); यह एमएनआरई (MNRE) की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है
  - » घटक C-2 के तहत: एमएनआरई (MNRE) की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार द्वारा ₹50 लाख प्रति मेगावाट की वार्डिबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ (VGF)) प्रदान करके अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं<sup>55</sup>
  - » EESL पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को अपनी स्वयं की लागत पर LED स्ट्रीट लाइटों से बदलता है और 7 वर्षों तक LED बल्बों का मुफ्त प्रतिस्थापन और रखरखाव करता है।
  - » अटल ज्योति योजना और MNRE सौर ऊर्जा स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम 12 वाट की LED और 3 दिनों की बैटरी बैक-अप के साथ सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु सब्सिडी प्रदान करते हैं।

52 [https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/उत्तर\\_प्रदेश\\_सोलर\\_एनर्जी\\_पॉलिसी\\_2022.pdf](https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/उत्तर_प्रदेश_सोलर_एनर्जी_पॉलिसी_2022.pdf)

53 तृतीय पक्ष (RESCO मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

54 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

55 ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम।

- ग्राम उजाला योजना<sup>56</sup>
  - » रू 10 प्रति बल्ब की सस्ती कीमत पर LED बल्ब उपलब्ध हैं।
  - » ग्रामीण ग्राहकों को काम कर रहे बल्बों के बदले में तीन साल की वारंटी के साथ 7-वाट और 12-वाट के LED बल्ब दिए जाएंगे
- कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए सब्सिडी
  - » परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
    - » कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) कार्यान्वित कर रहा है।
    - » राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) बागवानी के उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश सब्सिडी "नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना पर घटक 35 प्रतिशत की दर से अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसे गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला<sup>57</sup> के साथ बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण हेतु प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ-साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है। ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण के लिए सौर-आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों की बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है।
- EESL कार्बन फाइनेंसिंग का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग सलूशन के लिए बाजार आधारित हस्तक्षेपों को शुरू करने की योजना बना रहा है।
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिंग धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
  - » स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन योजना 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों<sup>58</sup> की स्थापना हेतु प्रति जिला 50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- उत्तर प्रदेश जैव-ऊर्जा नीति 2022<sup>59</sup> गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहन के अतिरिक्त CBG संयंत्रों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
  - » कंप्रेसड बायोगैस (CBG) उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर रू. 75 लाख प्रति टन से अधिकतम रू. 20 करोड़ तक का प्रोत्साहन
  - » विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रभारित विकास शुल्क पर छूट
  - » स्टांप ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
  - » यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है
  - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता रू. 0.25 करोड़ प्रति 12000 m<sup>3</sup>/दिन है<sup>60</sup>
- पीएम-सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य भारत में उन घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जो सोलर रूफटॉप स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं<sup>61</sup>।

56 ग्राम उजाला योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए (फरवरी 2023), पीआईबी।

57 यानी फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन करना, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान वाला कोल्ड स्टोरेज, CA स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, IQF, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग यूनिट्स

58 <https://pib.gov.in/PressReleaseframePage.aspx?PRID=1883926>

59 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

60 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

61 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

## वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप आदि की खरीद हेतु ऋण के लिए स्थानीय बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ संबंध का पता लगाना।
- एग्रो-फोटोवोल्टिक के लिए सोलर डेवलपर्स के साथ साझेदारों का पता लगाना।
- सीएसआर (CSR) निधियों का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिया जा सकता है:
  - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम हेतु सब्सिडी के अतिरिक्त सोलर रूफटॉप/एग्रो-फोटोवोल्टिक्स/सोलर पंप की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत सुरक्षित करना
  - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/SHG के सदस्यों को संचालन एवं रखरखाव" का प्रशिक्षण प्रदान करना
  - » रूफटॉप सोलर (उत्तर प्रदेश सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (प्रधानमंत्री-कुसुम, उत्तर प्रदेश सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली वर्तमान सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान का आयोजन करना

## प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग



## 6. सतत और उन्नत गतिशीलता

### संदर्भ एवं मुद्दे<sup>62</sup>

- बादशाहपुर में कुल 280 आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहन हैं; 265 दोपहिया वाहन, 6 कार, 2 जीप, 5 ट्रैक्टर और 2 ऑटो-रिक्शा। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 2 ई-रिक्शा भी हैं।
- आईसीई वाहनों द्वारा प्रति वर्ष कुल ईंधन की खपत ~14.5 किलो लीटर (kL) डीजल और ~44 kL पेट्रोल की खपत है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन के कारण ~134 tCO<sub>2</sub>e उत्सर्जन हुआ है।
- इसके अतिरिक्त, जलजमाव के कारण गाँव की ओर जाने वाली कई सड़कें कई क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त हैं।

इस कारण से, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों में बदलाव की पहल की संभावना है।

### मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	सड़कों का निर्माण और मौजूदा सड़कों मरम्मत का कार्य, जिसमें सड़क का उच्चीकरण और इंटरलॉकिंग आरसीसी कार्य सम्मिलित है	ग्राम पंचायत में सभी सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव	ग्राम पंचायत में सभी सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव
लक्ष्य	लगभग 3 किमी मौजूदा सड़क का निर्माण और मरम्मत के कार्य, जिसमें सड़क का उच्चीकरण और इंटरलॉकिंग आरसीसी कार्य सम्मिलित है	ग्राम पंचायत में सभी सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव	ग्राम पंचायत में सभी सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव

62 क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि के अनुसार

## अनुमानित लागत

सड़क कार्य: ₹50,00,000 कुल लागत: ₹50,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
--	---------------	---------------



## मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में ऑटो-रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना	ग्राम पंचायत में अंतिम छोर तक आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु अधिक ई-रिक्शा शुरू करना	मांग के आधार पर अधिक ई-ऑटोरिक्शा खरीद जा
लक्ष्य	2 ऑटो-रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना	आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जाना	आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जाना
अनुमानित लागत	एक ई-ऑटोरिक्शा की कीमत लगभग <sup>63</sup> : ₹3,00,000 प्रति वाहन ₹12,000 तक की सब्सिडी उपलब्ध प्रभावी लागत: ₹5,76,000 जीएचजी उत्सर्जन में कमी <sup>64</sup> : 4 tCO <sub>2</sub> e	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

63 ई-ऑटोरिक्शा की लागत ₹1,50,000 - ₹4,00,000 और उससे अधिक के बैंड में होती है, जो कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार, आदि पर निर्भर करती है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मुख्य रूप से परोपकारी संस्थाओं और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान/सीड कैपिटल/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखते हुए मूल्य बैंड के मध्य में मानी जाती है।

64 समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रति वाहन जीएचजी उत्सर्जन में कमी का अनुमान ~1.8 tCO<sub>2</sub>e प्रति ऑटो लगाया गया है। डीजल ऑटोरिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलने से यह उत्सर्जन कम होगा और ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेगा और हवा में कार्बन से होने वाले प्रदूषण को समाप्त करने में सहायता करेगा।



## ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टर<sup>65</sup>

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों/उद्यमियों) को आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति संवेदनशील बनाकर डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्प को बढ़ावा देना</li> <li>ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा संस्थापित करना ('आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' खंड में विस्तार से समझाया गया है)</li> </ol>	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ हेतु उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ हेतु उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना
लक्ष्य	कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक की खरीद	नियमित जागरूकता कार्यक्रम और/या पहचानी गई आवश्यकताओं के अनुसार	नियमित जागरूकता कार्यक्रम और/या पहचानी गई आवश्यकताओं के अनुसार
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> <li>5 ई-ट्रैक्टर के लागत: ₹30,00,000</li> <li>5 ई-माल वाहक के लागत: ₹25,00,000 – ₹50,00,000</li> </ol> कुल लागत: ₹55,00,000 – ₹80,00,000	लागत बाज़ार दर पर आधारित	लागत बाज़ार दर पर आधारित

65 आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के सहयोग से सड़क बुनियादी ढांचे की मरम्मत और वृद्धि की जा सकती है।
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 प्रदान करती है:
  - » खरीदारों को 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)।
  - » 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों<sup>66</sup> को शुरुआती प्रोत्साहन के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 10% @; 2-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15%; 3-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹12000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15%।
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (FAME II) योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठाया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और स्वयं की आय के स्रोत (ओएसआर)।
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) समर्थन के साथ बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों से ऋण।

## प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)

<sup>66</sup> सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, लाभार्थियों की संख्या और मात्रा दोनों के संदर्भ में समय-समय पर बदलती रहती है। इसलिए, इस योजना के किसी भी भाग में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक है, और खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।





## 7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इस ग्राम पंचायत का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन है और 50 प्रतिशत से अधिक परिवार इन गतिविधियों में सम्मिलित हैं। दोनों ही क्षेत्र आजीविका की असुरक्षा से भरे हुए हैं, विशेष रूप से लगातार सूखे, जलवायु परिवर्तन और पशुपालन वर्तमान में असंतुलित उत्पादन प्रथाओं के कारण। इस प्रकार, आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य मुख्य स्रोत गैर-कृषि मजदूरी और स्थानीय व्यवसाय/दुकानें चलाना हैं।

वर्तमान में, उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत के भीतर नौकरियों के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित सुझाव आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए कई रास्ते प्रदान करते हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

### सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

- प्लास्टिक के विकल्प वाली सामग्रियों (बैग, घर की सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) से उत्पादों के निर्माण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना
- क्षमता निर्माण:
  - » उत्पाद रेंज का विविधीकरण
  - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

लक्ष्य

- प्रारंभिक सहभागिता में:
  - » 100 महिलाएँ
  - » 10 स्वयं सहायता समूह (वर्तमान में पशुपालन गतिविधियों में सम्मिलित )
  - » स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग
- इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:
  - » अतिरिक्त 200 महिलाएँ
  - » अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी



## जैविक कचरे से खाद बनाकर उसे उर्वरक के रूप में बेचना

सुझाई गई जलवायु  
स्मार्ट गतिविधियाँ

- खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
- समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता विकास
  - » खाद और वर्मिकंपोस्टिंग तकनीक
  - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

लक्ष्य

### 1. तत्काल लक्ष्य:

- » घरेलू अपशिष्ट (जैविक) से उत्पादित कम्पोस्ट/वर्मिकम्पोस्ट 47 किग्रा प्रतिदिन; 1,410 किग्रा प्रतिमाह (वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)

### 2. दीर्घकालिक लक्ष्य:

- » जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार कम्पोस्ट/वर्मिकम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



## ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

सुझाई गई जलवायु  
स्मार्ट गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टरों की वाणिज्यिक किराये पर (किराये के आधार पर) उत्तर प्रदेश ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के तहत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों) को संवेदनशील बनाना

लक्ष्य

### 1. तत्काल लक्ष्य

- » 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: प्रति ई-ट्रैक्टर ₹6 लाख)
- » 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)

### 2. मध्यावधि लक्ष्य

- » 2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद



## सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार

सुझाई गई जलवायु  
स्मार्ट गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों में) को सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज स्थान किराए पर देने के माध्यम से उद्यमिता के अवसर
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच व्यापार मॉडल/गठबंधन

लक्ष्य

5 से 10 मेट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना  
(सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर टन)  
लागत: ₹8 से ₹15 लाख



## प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

सुझाई गई जलवायु  
स्मार्ट गतिविधियाँ

1. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन के विकास और रखरखाव के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन
2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी

लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि पर आरोग्य वन की स्थापना



## विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्थापनाओं का क्रियान्वयन एवं रखरखाव (O&M)

सुझाई गई जलवायु  
स्मार्ट गतिविधियाँ

1. समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों को नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
2. ग्राम पंचायत के भीतर सौर और बायो-गैस स्थापना और ओ एंड एम व्यवसायों की स्थापना में केंद्र और राज्य सरकार की सीएसआर, अपस्किनिंग योजनाओं से समर्थन करना

## वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमिता और आजीविका का समर्थन करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से)।
- सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन, मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से आवश्यक कौशल विकास प्रदान किया जाता है।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

## 1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

यह गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण<sup>67,68,69</sup>:

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

## 2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में सतत डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्युबलाइट आदि के उपयोग को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी)।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

67 [https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium\\_Updated\\_20230922.pdf](https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf)

68 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

69 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय<sup>70</sup>, थार रेगिस्तान, राजस्थान का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़<sup>71</sup>:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

### 3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र<sup>72</sup>:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

70 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

71 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

72 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

## 4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्तुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, भटिंडा और तरनतारन, पंजाब<sup>73,74</sup>

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेड जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

### निर्मल गुजरात अभियान<sup>75</sup>

- गुजरात के हिममतनगर में पशु आश्रय स्थल गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु आवास) में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)<sup>76</sup>" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशित द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

## 5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर<sup>77</sup>

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच" अनुभाग से जुड़ी है।

73 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

74 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

75 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

76 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/csssscspssc>

77 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

## 6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है<sup>78</sup>।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

## 7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में<sup>79</sup>

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

## 8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

78 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

79 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>



## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना <sup>80</sup>

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

## 9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एम्पिफिसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ा है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले<sup>81</sup>

स्वयं शिक्षान प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

## 10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे जबकि स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

80 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

81 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)<sup>82</sup>

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

## 11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में<sup>83</sup>

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

82 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

83 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>

## जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>84</sup>
क. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है</li> <li>बेहतर भूजल पुनर्भरण</li> <li>पानी की गुणवत्ता में वृद्धि</li> <li>सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना</li> <li>कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार</li> <li>स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा</li> </ul>	<b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.1</li> <li>लक्ष्य 6.3</li> <li>लक्ष्य 6.4</li> <li>लक्ष्य 6.5</li> </ul>
ख. जल निकायों का कायाकल्प एवं संरक्षण 		<b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.4</li> </ul>
ग. जल निकासी और सीवेज अवसंरचना को बढ़ाना 		<b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> </ul>
घ. भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना और पेयजल की उपलब्धता में सुधार करना 		<b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> </ul>
ङ. अपशिष्ट जल प्रबंधन 		<b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> <li>लक्ष्य 15.5</li> </ul>






84 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुबंध V में दी गई है


## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलभराव कम हुआ</li> <li>जल और भूमि प्रदूषण में कमी/स्वच्छता में सुधार</li> <li>100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 3.3</li> <li>लक्ष्य 3.9</li> </ul>
<p>ख. बेहतर स्वच्छता प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>आजीविका और आय सृजन</li> <li>राजस्व और लाभ सृजन</li> <li>सतत कृषि के लिए उन्नत इनपुट</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.3</li> <li>लक्ष्य 6.8</li> </ul> <p><b>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 8.3</li> </ul>
<p>ग. जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन</p> 		<p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul>
<p>घ. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 		<p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.4</li> <li>लक्ष्य 12.5</li> <li>लक्ष्य 12.8</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul> <p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> </ul>





## सतत कृषि

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. कृषि के लिए सुखा प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि<sup>85</sup></li> <li>मृदा स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 2: शून्य भूख</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 2.3</li> <li>लक्ष्य 2.4</li> <li>लक्ष्य 2.ए ; अनुच्छेद 10.3.ई</li> </ul>
<p>ख. प्राकृतिक खेती अपनाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि जल सुरक्षा में सुधार</li> <li>शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.4</li> <li>लक्ष्य 13.1</li> </ul>
<p>ग. सतत पशुधन प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>





## हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना


सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. हरित आवरण में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र</li> <li>सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी</li> <li>औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.7</li> <li>लक्ष्य 11.4</li> </ul>
<p>ख. नर्सरी स्थापित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस)</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> </ul>





85 पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी

<p>ग. जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>पशुधन उत्पादकता में सुधार</li> <li>कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन</li> <li>जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul> <p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> <li>लक्ष्य 15.2</li> <li>लक्ष्य 15.3</li> <li>लक्ष्य 15.5</li> <li>लक्ष्य 15.9</li> </ul> 
---	--	--

## स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सोलर रूफटॉप की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऊर्जा सुरक्षा</li> <li>उष्ण से राहत</li> <li>आजीविका के उन्नत विकल्प</li> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> <li>उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है</li> <li>विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट</li> <li>पे-बैंक अवधि के बाद आर्थिक लाभ</li> <li>घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी</li> <li>विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है</li> <li>आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b> लक्ष्य 6.4</p> <p><b>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 7.1</li> <li>लक्ष्य 7.2</li> <li>लक्ष्य 7.3</li> <li>लक्ष्य 7.ए</li> <li>लक्ष्य 7.बी</li> </ul> <p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul> 
<p>ख. कृषि-फोटोवोल्टिक</p> 		
<p>ग. सौर पंप</p> 		
<p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग</p> 		

ड. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर		
		
च. सौर स्ट्रीट लाइट		
		

## सतत और उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
क. मौजूदा सड़क बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना 	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है</li> <li>जोखिम वाले और संवेदनशील लोगों के लिए बेहतर पहुंच</li> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> </ul>	<b>एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 7.2</li> </ul> <b>एसडीजी 11: सस्ती शहर और समुदाय</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.2</li> </ul>
ख. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना 	<ul style="list-style-type: none"> <li>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> <li>जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के माध्यम से लचीलेपन में सुधार</li> </ul>	<b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul> <b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
ग. ई-वाहनों और ई-ट्रेक्टर 		   

## आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जल एवं भूमि प्रदूषण में कमी</li> <li>स्थायी कृषि के लिए उन्नत इनपुट</li> <li>100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण</li> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> <li>आजीविका के उन्नत विकल्प</li> <li>औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ</li> <li>कृषिवानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन।</li> <li>जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि</li> <li>स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है</li> <li>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 5.5</li> </ul> <p><b>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 8.3</li> </ul> <p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> <li>लक्ष्य 12.4</li> <li>लक्ष्य 12.5</li> <li>लक्ष्य 12.8</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
<p>ख. जैविक कचरे से खाद बनाना और उसे उर्वरक के रूप में बेचना</p> 		
<p>ग. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराये पर लेने की सुविधा</p> 		
<p>घ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका को बेहतर बनाना</p> 		
<p>ङ. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 		
<p>च. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्थापनाओं का क्रियान्वयन एवं रखरखाव (O&amp;M)</p> 		





**क्रि**यान्वयन में प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियों से बादशाहपुर के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। बादशाहपुर के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर बादशाहपुर को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, बादशाहपुर क्लाइमेट कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और क्रियान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के क्रियान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही बादशाहपुर को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

## अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

### पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के अंतर्गत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया<sup>86</sup>। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

बादशाहपुर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना<sup>87</sup> का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

### कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़ील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।

86 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

87 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- हितधारकों को जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
  - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
  - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
  - » बादशाहपुर ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें जलवायु-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

# अनुलग्नक II: प्रश्नावली



उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत सर्वेक्षण प्रश्नावली

ग्राम पंचायत: बादशाहपुर

ब्लॉक: कैम्पियरगंज

जिला: गोरखपुर

## I. सामान्य प्रोफाइल

		संख्या (सूचना का राज्य स्रोत - समुदाय के सदस्यों का अनुमान (1))
1	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	71.30 हे०
2	राजस्व गांवों की संख्या	1
	बस्तियों/मज्रों की संख्या	8
3	ए कुल जनसंख्या	2007
	बी कुल पुरुष जनसंख्या	1097
	सी कुल महिला जनसंख्या	910
4	ए कुल घरों की संख्या	310
	बी बीपीएल परिवारों की संख्या	82
	सी पक्के मकानों की संख्या	205
	डी कच्चे मकानों की संख्या (मुख्य रूप से प्रयुक्त सामग्री बताएं)	105 (मिट्टी, फूस, खपरैल, टीनशेड)
5	ग्राम पंचायत के क्षेत्रफलवार कुल घरों का विवरण (वर्ग फुट)	
	1. 500 वर्ग फीट से कम	46
	2. 500 से 1000 वर्ग फीट	249
	3. 1000 से 2000 वर्ग फीट	15
	4. 2000 से 4000 वर्ग फीट	---
	5. 4000 वर्ग फीट से अधिक	---

## II. सामाजिक-आर्थिक

6	घरेलू आय का स्तर	
	निम्नलिखित आय श्रेणियों के अंतर्गत परिवारों की संख्या (वार्षिक आय)	
	₹ 50,000 से कम	10
	₹ 50,000 से ₹ 1 लाख	250
	1 लाख से 2 लाख	20
	2 लाख से 5 लाख	7
	5 लाख से अधिक	23
7	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल घरों की संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: शिक्षण, बैंक, सरकारी नौकरी, आदि)	30



	लघु/कुटीर उद्योग	0
	कृषि*	250
	कला/हस्तशिल्प	0
	पशुपालन	70
	व्यवसाय (स्थानीय दुकानें)	10
	उद्यमशीलता	0
	मजदूरी (गैर-कृषि)	140
	अन्य	0
	*अतिरिक्त जानकारी (बताएं कि क्या परिवार एक से अधिक प्रकार की कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं - भूमि मालिक, किरायेदार, ठेका किसान, मजदूरी मजदूर)	0

<b>8</b>	पलायन	
<b>ए</b>	पिछले 5 वर्षों में पलायन करने वाले परिवारों/व्यक्तियों की संख्या (विवरण दें)	0 (पलायन नहीं है।)
<b>बी</b>	किस स्थान को पलायन किया है ( अन्य गांव, निकटवर्ती कस्बे, राज्य के प्रमुख शहरी केंद्र, देश के प्रमुख महानगर)	-
<b>सी</b>	पलायन करने का मुख्य कारण क्या है ?	-
<b>डी</b>	पिछले 5 सालों में कितने परिवार आपके GP में आए हैं? परिवारों की संख्या जो वापस आए हैं ? नए परिवारों की संख्या यदि कोई आए हैं ? इसका मुख्य कारण क्या है?	5 परिवार  हाईवे पास होने से दुकान, व्यवसाय स्थापित करने आदि के कारण
<b>9</b>	महिलाओं की स्थिति	
<b>ए</b>	महिला मुखिया वाले परिवारों की संख्या (अर्थात महिलाएं मुख्य/एकमात्र कमाने वाली हैं)	
<b>बी</b>	कार्यरत महिलाओं के व्यवसाय का विवरण	महिलाओं की संख्या
	सेवा/नौकरी (उदाहरण: शिक्षण, बैंक, सरकारी नौकरी, आदि)	8
	लघु/कुटीर उद्योग	0
	कृषि	80
	कला/हस्तशिल्प	0
	पशुपालन	60
	व्यवसाय (स्थानीय दुकानें)	5
	मजदूरी (गैर-कृषि)	10
	अन्य	0
<b>10</b>	समुदाय आधारित संगठन	
<b>ए</b>	ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या	10





	सदस्यों की कुल संख्या	120
	महिलाओं की संख्या	120
	समूह द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का विवरण	पशुपालन एवं खेती के लिए समूह से लेन-देन करते हैं।
	समूह का खाता बैंक से लिंक किया गया है या नहीं	9 समूह का खाता बैंक से लिंक है।
<b>बी</b>	<b>एफपीओ की कुल संख्या</b>	0
	एफ.पी.ओ. सदस्यों की कुल संख्या	0
<b>सी</b>	<b>अन्य सीबीओ (समुदाय आधारित संगठन)</b>	0
	नाम तथा सदस्यों की कुल संख्या	-
<b>11</b>	<b>लोगों की संख्या</b> जिनके पास <b>सक्रिय बैंक खाते</b> हैं	1600
<b>12</b>	<b>ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान ऐप्स/यूपीआई का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या</b>	439
<b>13</b>	<b>निकटवर्ती कृषि -मंडी/खरीद केन्द्र तथा ग्राम पंचायत से उनकी दूरी</b>	भगवानपुर कृषि मण्डी (8 किलोमीटर) (निजी कृषिमण्डी)
<b>14</b>	पंचायत में निर्मित सरकारी/गैर-सरकारी शैक्षिक संरचनाएँ	
	<b>प्राथमिक विद्यालय</b>	<b>माध्यमिक स्कूलों</b>
	<b>हाई स्कूल/इंटरमिडिएट</b>	<b>कॉलेज/व्यावसायिक/आईटी आई/कौशल संस्थान आदि</b>
	भवनों की संख्या	कुल छत क्षेत्र (मी <sup>2</sup> या फ़ीट <sup>2</sup> )
	भवनों की संख्या	कुल छत क्षेत्र (मी <sup>2</sup> या फ़ीट <sup>2</sup> )
	भवनों की संख्या	कुल छत क्षेत्र (मी <sup>2</sup> या फ़ीट <sup>2</sup> )
	भवनों की संख्या	कुल छत क्षेत्र (मी <sup>2</sup> या फ़ीट <sup>2</sup> )
<b>4</b>	<b>3000 फ़ीट<sup>2</sup></b>	-

<b>15</b>	<b>राज्य/राष्ट्रीय राजमार्गों तक पहुंच</b>			
	<b>राजमार्ग का नाम</b>	<b>ग्राम पंचायत से दूरी</b>	<b>संपर्क सड़क की स्थिति</b> अच्छा (1) खराब (2) गरीब (3) बहुत खराब (4)	
	राज्य राजमार्ग (1)	-	-	-
	राष्ट्रीय राजमार्ग (2)	1 (गोरखपुर से सोनौली हाईवे)	0	अच्छा (1)

### III. भूमि संसाधनों पर जानकारी

<b>16</b>	<b>ग्राम पंचायत में भूमि उपयोग</b>	
<b>ए</b>	ग्राम पंचायत के भीतर वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0 (वन क्षेत्र नहीं है।)
<b>बी</b>	उपलब्ध सार्वजनिक भूमि (एकड़ में)	.885 एकड़
<b>सी</b>	सार्वजनिक भूमि का कितना हिस्सा अतिक्रमित है?	.005
<b>डी</b>	ग्राम पंचायत में कृषि भूमि	62 हे०
<b>ई</b>	जीपी में कोई भी खनन गतिविधि	नहीं
<b>एफ</b>	खनन गतिविधि किस प्रकार की है?	कोई नहीं
	अतिरिक्त जानकारी	





17		जल निकायों का विवरण	
		विवरण	संख्या
1		कितने तालाब हैं?	1
2		कितनी झीलें हैं?	0
3		कितने अमृत सरोवर हैं?	0
4		कितने कुएँ?	16
5		क्या जल निकाय के आसपास की भूमि पर अतिक्रमण है? - विवरण	नहीं
6		क्या जल निकायों पर कोई अतिक्रमण है?	नहीं

18		पेयजल आपूर्ति का विवरण	
ए		ग्राम पंचायत में पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है ? नहर (1) वर्षा जल (2) भूजल (3) सतही जल - तालाब/झील (4) अन्य (5)	भूजल (3) इण्डिया मार्का हैण्डपम्प एवं व्यक्तिगत उथले हैण्डपम्प
बी		क्या उपरोक्त स्रोत मौसमी है या बारहमासी?	बारहमासी
सी		घरों में पानी की आपूर्ति कैसे की जाती है? (कई विकल्प चुन सकते हैं) पाइप द्वारा जलापूर्ति (1) ग्राम पंचायत के भीतर सामान्य संग्रहण बिंदु (2) महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया जाना (3) हैंडपंप (4) वेल्स (5) अन्य (6) - विवरण दें  *यदि 3 है, तो प्रतिदिन तय की गई औसत दूरी कितनी है?	हैंडपंप (4)  अधिकांश व्यक्तिगत हैण्डपम्प घरों में हैं। 31 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प है जिसमें से 16 खराब पड़े हैं। इनसे 4-5 मीटर की दूरी वाले घर में पानी ले जाने का काम महिलाएं एवं बच्चे करते हैं।
डी		पाइप से जलापूर्ति वाले घरों की संख्या?	0
ई		क्या प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	NA  (जलजीवन मिशन के तहत अधिकांश घरों तक पाइप लाइन पहुंच गई है। किन्तु अभी टंकी नहीं बनने के कारण जलापूर्ति नहीं है।)
ए फ		पाइप से जलापूर्ति की समयवधि 24*7 (1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	NA
जी		ग्राम पंचायत में सिंचाई के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है ? नहर (1) वर्षा जल (2) भूजल : ट्यूबवेल (3 ए); कुआँ (3 बी); तालाब/झीलें (4) अन्य (5)	वर्षा जल (2) भूजल : ट्यूबवेल (3 ए);
ए च		क्या उपरोक्त स्रोत मौसमी है या बारहमासी?	मौसमी
मैं		सिंचाई के लिए पम्पों की संख्या:	50 पंपिंग सेट





	<p>सिंचाई के लिए उपयोग किये जाने वाले डीजल पंपों की संख्या सिंचाई के लिए उपयोग किये जाने वाले विद्युत पंपों की संख्या उपयोग होने वाले पम्पसेट कितने हॉर्स पावर के है ? (एचपी में)</p>	<p>डीजल से चलने वाले 50 पम्प है औसतन 7.5 एचपी के है।</p>
<b>जे</b>	<p>अतिरिक्त जानकारी ( उदाहरणार्थ, क्या घरों, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों, उद्योगों के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है ; क्या पिछले कुछ वर्षों में भूजल, नदी या नहर से पानी की उपलब्धता बढ़ी है, घटी है या वही रही है? क्या शुष्क या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?</p>	<p>मई-जून में जलस्तर कम होने के कारण पानी की कमी हो जाती है। पिछले वर्षों में भूजल स्तर घटा है। टंकी बनने की प्रक्रिया में है।</p>







#### IV. जलवायु संबंधी जानकारी

तापमान एवं वर्षा में बड़े परिवर्तन				
<b>19</b>	<b>गर्मी</b>			
<b>ए</b>	पारंपरिक ग्रीष्म महीने	अप्रैल – जून		
<b>बी</b>	ग्रीष्म ऋतु के तापमान में कोई परिवर्तन आया है क्या ? (पिछले 5 वर्षों में)	गर्म दिनों की संख्या में वृद्धि <input checked="" type="checkbox"/>	गर्म दिनों की संख्या में कमी <input type="checkbox"/>	गर्म दिनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
<b>सी</b>	कितने दिनों का अंतर आया है ?	90 दिनों का गर्मी बढ़ गया।		
<b>डी</b>	अतिरिक्त जानकारी (गर्मी के महीनों में कोई भी देखा गया बदलाव)	समुदाय के लोगों ने बताया कि पहले गर्मी अप्रैल, मई, जून तक रहती थी किन्तु अब मार्च से सितम्बर तक होती है।		
<b>20</b>	<b>सर्दी</b>			
<b>ए</b>	पारंपरिक सर्दियों के महीने	अक्टूबर – फरवरी		
<b>बी</b>	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन आया है क्या ? (पिछले 5 वर्षों में)	ठंडे दिनों की संख्या में वृद्धि <input type="checkbox"/>	ठंडे दिनों की संख्या में कमी <input checked="" type="checkbox"/>	ठंडे दिनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
<b>सी</b>	कितने दिनों का अंतर आया है ?	60		
<b>डी</b>	अतिरिक्त जानकारी (सर्दियों के महीनों में कोई भी देखा गया बदलाव)	लोगों ने बताया कि दिनों की संख्या में कमी आई है। पहले 120 दिन, मध्य अक्टूबर से फरवरी तक ठंड होती थी, किन्तु अब सर्दी नवम्बर मध्य से जनवरी भर ही सर्दी रहती है।		
<b>21</b>	<b>मानसून</b>			
<b>ए</b>	पारंपरिक मानसून महीने	जून-जुलाई-अगस्त		
<b>बी</b>	मानसून ऋतु के तापमान में कोई परिवर्तन आया है क्या ? (पिछले 5 वर्षों में)	बरसात के दिनों की संख्या में वृद्धि <input type="checkbox"/>	बरसात के दिनों की संख्या में कमी <input checked="" type="checkbox"/>	बारिश के दिनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
<b>सी</b>	कितने दिनों का अंतर आया है ?	40 दिन		
<b>डी</b>	अतिरिक्त जानकारी (मानसून के महीनों में कोई परिवर्तन/वर्षा की तीव्रता में कोई परिवर्तन)	पहले बरसात का मौसम जून से अगस्त तक होता था और मानसून की पहली बारिश जून में होती ही थी। लेकिन अब बरसात का मौसम जुलाई के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर अक्टूबर तक खिंच जाता है, और इस अवधि में अचानक भारी बारिश होती है। पिछले सात वर्षों में हर साल जून में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो किसानों के लिए गंभीर चुनौती है। एक समान वर्षा अब नहीं हो रही है।		
<b>22</b>	<b>कुल वर्षा</b>			
<b>ए</b>	क्या गैर-मानसून मौसम में वर्षा में कोई परिवर्तन हुआ है (पिछले 5 वर्षों में)	बरसात के दिनों की संख्या में वृद्धि <input type="checkbox"/>	बरसात के दिनों की संख्या में कमी <input checked="" type="checkbox"/>	बारिश के दिनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
<b>बी</b>	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में परिवर्तन देखा गया	बरसात के दिनों की संख्या में वृद्धि <input type="checkbox"/>	बरसात के दिनों की संख्या में कमी <input checked="" type="checkbox"/>	बारिश के दिनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
<b>सी</b>	दिनों की संख्या	20		
<b>डी</b>	शीत ऋतु की वर्षा में परिवर्तन देखा गया	बरसात के दिनों की संख्या में वृद्धि <input type="checkbox"/>	बरसात के दिनों की संख्या में कमी <input checked="" type="checkbox"/>	बारिश के दिनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
<b>ई</b>	दिनों की संख्या	3-5 दिनों		
<b>ए फ</b>	वर्षा की तीव्रता के बारे में अतिरिक्त जानकारी	बरसात के दिनों में कमी आई है लेकिन जब वर्षा होती है तो बहुत तीव्र गति से होती है।		





### चरम मौसम की घटनाएँ

23 सूखा							
ए	सूखे की घटना	2023	2022	2021	2020	2019	2018
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
बी	कौन से महीनों में सूखा पड़ा?		जून				जून
डी	सूखे की आवृत्ति: सूखे की घटनाओं की घटना (पिछले 5 वर्षों में)	वृद्धि हुई है।					
ई	अतिरिक्त जानकारी (i) कोई भी बड़ी पुरानी घटना; (ii) कोई भी स्वास्थ्य प्रभाव	आंशिक सूखा प्रत्येक वर्ष की घटना है। जब वर्षा एक बार होकर 15-20 दिनों तक नहीं होती है तो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गांव की मिट्टी बलुई होने के कारण जलधारण क्षमता कम होती है जिससे कि फसल जल्दी सूख जाती है।					
24 पानी की बाढ़							
ए	बाढ़ की घटना (नहीं)	2023	2022	2021	2020	2019	2018
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
बी	बाढ़ किन महीनों में आई?						
डी	बाढ़ की आवृत्ति: बाढ़ की घटनाएं (पिछले 5 वर्षों में)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ई	अतिरिक्त जानकारी (i) कोई भी बड़ी पुरानी घटना; (ii) कोई भी स्वास्थ्य प्रभाव						
25 ओलावृष्टि							
ए	ओलावृष्टि की घटना	2023	2022	2021	2020	2019	2018
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
बी	ओलावृष्टि किस महीने में देखी गई?		जनवरी, फरवरी, मार्च			जनवरी, फरवरी, मार्च	
डी	ओलावृष्टि की आवृत्ति: ओलावृष्टि की घटनाएं (पिछले 5 वर्षों में)	वृद्धि हुई है।					
25 जल भराव							
ए	जलभराव की घटना	2023	2022	2021	2020	2019	2018
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
बी	जलभराव किन महीनों में देखा गया?	जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर	अगस्त सितम्बर	अगस्त सितम्बर	जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर	अगस्त सितम्बर अक्टूबर	अगस्त सितम्बर अक्टूबर
डी	जलभराव की आवृत्ति: जलभराव की घटनाएं (पिछले 5 वर्षों में)	वृद्धि हुई है।					
ई	ग्राम पंचायत के जलभराव से प्रभावित क्षेत्र (एकड़ या हेक्टेयर में क्षेत्रफल)		62 Hec				
26 कीट/फसल रोग							
ए	कीटों/रोगों का प्रकोप	2023	2022	2021	2020	2019	2018
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
बी	कीट/रोग किस महीने देखे गए?	जनवरी फरवरी मार्च	जनवरी फरवरी मार्च	जनवरी फरवरी मार्च	जनवरी फरवरी मार्च	जनवरी फरवरी मार्च	जनवरी फरवरी मार्च





		सितम्बर अक्टूबर	सितम्बर अक्टूबर	सितम्बर अक्टूबर	सितम्बर अक्टूबर	सितम्बर अक्टूबर	सितम्बर अक्टूबर
	कौन से कीट/रोग देखे गए?	माहो - सरसों में थ्रिप्स - प्याज, बैंगन, मिर्च में गंधी कीट - धान में हर्दिया-धान	माहो - सरसों में थ्रिप्स - प्याज, बैंगन, मिर्च में गंधी कीट - धान में हर्दिया-धान	माहो - सरसों में थ्रिप्स - प्याज, बैंगन, मिर्च में गंधी कीट - धान में हर्दिया-धान टिडडी का प्रकोप	माहो - सरसों में थ्रिप्स - प्याज, बैंगन, मिर्च में गंधी कीट - धान में हर्दिया-धान	माहो - सरसों में थ्रिप्स - प्याज, बैंगन, मिर्च में गंधी कीट - धान में हर्दिया-धान	माहो - सरसों में थ्रिप्स - प्याज, बैंगन, मिर्च में गंधी कीट - धान में हर्दिया-धान
सी	कीटों/रोगों का प्रबंधन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता, आदि)	....	निजी सहायता दुकान से लेते हैं।				
डी	कीटों/रोगों की आवृत्ति: कीट/रोग प्रकरणों की घटना (पिछले 5 वर्षों में)	वृद्धि हुई है।					
	अतिरिक्त जानकारी						

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (पिछले 5 वर्षों में)						
27 फसल हानि						
ए	घटना का वर्ष	नुकसान का मौसम खरीफ (1) रबी (2) जायद/ अन्य समय (3)	फसल का नाम	हानि का कारण (बीमारी, चरम घटना - गर्मी, सर्दी, बारिश, ओले, मिट्टी आदि)	अनुमानित हानि मात्रा (किंटल)	आय में परिणामी हानि (औसत रु. में)
	2023	खरीफ (1)	धान	हर्दिया-धान गंधी कीट - धान में बीमारी है।	150	225000/-
	2022	खरीफ (1)	धान	हर्दिया-धान गंधी कीट - धान में	140	210000/-
	2021	खरीफ (1)	धान	हर्दिया-धान गंधी कीट - धान में	400	600000/-
	2020	..	--	--	--	--
	2019	खरीफ (1)	धान	हर्दिया-धान गंधी कीट - धान में	150	225000/-
	2018	खरीफ (1)	धान	सूखा से प्रभावित - धान में	600	9000000/-
नोट : हानि का कारण बीमारी एवं कीट हैं।						
बी	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हाँ	नहीं			
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा कराने वाले व्यक्ति कौन हैं - बड़े भूस्वामी, छोटे व मध्यम किसान आदि) फसल बीमा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का संतुष्टि स्तर क्या है?				जानते हैं पर कोई कराता नहीं है।	

28	फसल पैटर्न में परिवर्तन
----	-------------------------





		खरीफ:	रबी:	जायद / अन्य मौसम:	
ए	पंचायत में उगाई जाने वाली फसलों के नाम	धान केला, सब्जी	गेंहू, सरसों, मटर आलू, सब्जिया	लतादार सब्जियां, साग, बोझ	
बी	फसलों की बुआई के समय में आया परिवर्तन	पारंपरिक बुआई का समय	पिछले 5 वर्षों में बुवाई के समय में क्या परिवर्तन देखा गया?	नई बुआई का समय	परिवर्तन के लिए कारण
	खरीफ:	धान - 15 जून केला - अप्रैल	धान की बोवाई- रोपाई अब पहले की जा रही है।	20 मई तक बीज की बोवाई कर देते हैं।	वर्षा न होने के कारण प्रजाति में परिवर्तन किया गया है। सिंचाई का संसाधन बढ़ गया है।
	रबी:	गेंहू - 15 नवम्बर	अब देर से बोवाई होती है	दिसम्बर के आखिरी में	सर्दी के महीनों में परिवर्तन होने से बुवाई का समय बदल गया है।
	जायद / अन्य मौसम:	कोई बदलाव नहीं			
डी	खरीफ और रबी मौसम के दौरान सिंचाई आवृत्ति में देखे गए परिवर्तन	धान की फसल पहले 2-3 सिंचाई करते थे किन्तु अब सिंचाई की संख्या 4-6 बार हो गई है। रबी में गेंहू की सिंचाई एक बार बढ़ गई है।			
ई	अतिरिक्त जानकारी (जो भी फसल नष्ट हो गई हो)	धान की फसल में विमारियां और सूखा लगने से फसल नष्ट हो जा रही है।			

29 पशुधन/ पशुपालन						
ए	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन एवं पशुपालन प्रथाएँ डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन/जलकृषि (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य - निर्दिष्ट करें (6)		डेयरी (1) मुर्गी पालन (2)			
बी	मौसम परिवर्तन का डेयरी पर प्रभाव	पशु खोया गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	खोए गए पशुओं की संख्या (प्रत्येक पशु के लिए निर्दिष्ट करें)	हानि का कारण (तापमान, बाढ़, रोग, आयु, दुर्घटनाएं आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) कोई परिवर्तन नहीं (3)
	2023	(2)	भैंस - 12	तापमान में वृद्धि	गर्मी	कमी (2) गाय को बुखार भैंस का थन सूखना दूध में कमी
	2022	(2)	भैंस - 10	तापमान में वृद्धि	गर्मी	कमी (2) गाय को बुखार भैंस का थन सूखना दूध में कमी
	2021	---	---	---	---	---
	2020	(1) (2)	गाय - 3 भैंस - 4	बरसात में संचारी रोग होने से	बरसात में	---



	2019	---	---	---	---	---
	2018	(1) (2)	गाय - 3 भैंस - 5	तापमान में वृद्धि	गर्मी	कमी (2) गाय को बुखार भैंस का थन सूखना दूध में कमी
	अतिरिक्त जानकारी					
<b>सी</b>	पोल्ट्री पर प्रभाव	खोया हुआ जानवर मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	खोए गए पशुओं की संख्या (प्रत्येक पशु के लिए निर्दिष्ट करें)	हानि का कारण	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) कोई परिवर्तन नहीं (3)
	2023	मुर्गी (1) बत्तख (2)	मुर्गी (1) - 10 बत्तख (2) - 2	बीमारी से	गर्मी	कमी (2)
	2022	मुर्गी (1) बत्तख (2)	मुर्गी (1) - 8 बत्तख (2) - 5	बीमारी से	गर्मी	कमी (2)
	2021	मुर्गी (1) बत्तख (2)	...	...	...	कमी (2)
	2020	मुर्गी (1) बत्तख (2)	...	...	...	कमी (2)
	2019	मुर्गी (1)	मुर्गी (1) - 8	बीमारी से	गर्मी	कमी (2)
	2018	मुर्गी (1)	मुर्गी (1) - 15	बीमारी से	गर्मी	कमी (2)
	अतिरिक्त जानकारी	...	...	...	...	कमी (2) बीमारी होने से
<b>डी</b>	बकरियों और भेड़ों पर प्रभाव	खोया हुआ पशु बकरियां (1) भेड़ (2)	खोए गए पशुओं की संख्या (प्रत्येक पशु के लिए निर्दिष्ट करें)	हानि का कारण	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) कोई परिवर्तन नहीं (3)
	2023	(1) बकरी	(1) बकरी - 8	शीतलहर एवं तापमान में वृद्धि	सर्दी एवं गर्मी	कमी (2) दूध में कमी बकरी को सर्दी लगना, पोकनी बीमारी से दूध में कमी
	2022	(1) बकरी	(1) बकरी - 10	शीतलहर एवं तापमान में वृद्धि	सर्दी एवं गर्मी	कमी (2) दूध में कमी बकरी को सर्दी लगना, पोकनी बीमारी से दूध में कमी
	2021	--	--	--	--	--
	2020	--	--	--	--	--
	2019	(1) बकरी	(1) बकरी - 2	तापमान में वृद्धि	गर्मी	--





	2018	(1) बकरी	(1) बकरी - 12	शीतलहर एवं तापमान में वृद्धि	सर्दी एवं गर्मी	कमी (2) दूध में कमी बकरी को सर्दी लगना, पोकनी बीमारी से दूध में कमी
	अतिरिक्त जानकारी					
डी	अन्य जानवरों पर प्रभाव	पशु खो गया (पशु बताएं)	खोए गए पशुओं की संख्या (प्रत्येक पशु के लिए निर्दिष्ट करें)	हानि का कारण	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) कोई परिवर्तन नहीं (3)
	2023	-----	----	-----	----	-----
	2022	-----	----	-----	----	-----
	2021	-----	----	-----	----	-----
	2020	-----	----	-----	----	-----
	2019	-----	----	-----	----	-----
	2018	-----	----	-----	----	-----
	अतिरिक्त जानकारी	-----	----	-----	----	-----





## V. कृषि एवं पशुधन

### 30 ए उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें और उनसे संबंधित जानकारी

फ़सल उत्पादन	उर्वरक का उपयोग				कीटनाशक का उपयोग		खरपतवारनाशक का उपयोग			
	फसल का नाम (कृषि भूमि पर उगाई जाने वाली फसलें, बागवानी, पुष्पकृषि आदि शामिल हैं)	मौसम	क्षेत्रफल (एकड़)	उपज (किलो/एकड़)	प्रयुक्त उर्वरक का प्रकार	उपयोग की गई औसत मात्रा (किलोग्राम/एकड़)	प्रयुक्त कीटनाशक का प्रकार	उपयोग की गई औसत मात्रा (किलोग्राम/एकड़)	प्रयुक्त खरपतवार नाशक का प्रकार	उपयोग की गई औसत मात्रा (किलोग्राम/एकड़)
1	धान	खरीफ	100	16 कु0 / एकड़	DAP	50 kg	मैलाथियान	3 kg	नान्नी गोल्ड	500 ml
		-----	----	----	यूरिया	90 kg	अल्फामेथालिन	250 ml	रिफिट	500 ml
		-----	----	----	पोटश	15 kg	.....	-----	.....	---
2	गेहूँ	रबी	87.5	12 कु0 / एकड़	DAP	50 kg	.....	-----	क्लोडिनोफा प	0.160 kg
		-----	----	----	यूरिया	75 kg	....	-----	सल्फोसल्फ यूडोन	13.5 ml
		-----	----	----	पोटश	30 kg	.....	-----	.....	-----
बी	क्या ग्राम पंचायत में फसल जलाने की प्रथा है?	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	विभिन्न फसलों के अंतर्गत जलाया गया क्षेत्र (एकड़):	क्या यह ऐतिहासिक प्रथा रही है? (हाँ/नहीं)	हाँ	यदि नहीं, तो इसकी शुरूआत कब हुई?	क्या आप फसल अवशेष प्रबंधन की योजनाओं से अवगत हैं? (हाँ/नहीं)	हाँ जानते हैं परन्तु प्रयोग नहीं करते हैं।	



सी	क्या ग्राम पंचायत में प्राकृतिक खेती की जाती है?	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	वह क्षेत्र जहाँ विभिन्न फसलों की प्राकृतिक खेती होती है?	प्राकृतिक खेती कब शुरू की गई? (वर्ष और फसलो)	क्या कोई प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन आयोजित किया गया?	क्या प्राकृतिक खेती के लिए कोई योजना या संस्थागत सहायता उपलब्ध कराई गई है?
				नहीं	नहीं	नहीं	नहीं





३१ कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, बंजर भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियाँ

वृक्षारोपण गतिविधि का प्रकार	कवर किया गया क्षेत्र	जगह	योजना का उपयोग: राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (2) वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3) मनरेगा (4) वृक्षारोपण जन आंदोलन (5) अन्य (6) - विवरण दें	रोपित प्रजातियाँ	आरंभ की तिथि	% सफलता	कृषि-वानिकी गतिविधि का उपयोग करने या उससे लाभ उठाने के अवसर/पहुंच
सामाजिक वानिकी	45 Dismil	पंचायत भवन एवं गोली टोला	राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन	आम, अमरुद, नीम, केला, आंवला, सहजन, आदि।	15 जुलाई 2024	90 प्रतिशत सफल	अभी नहीं



## VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

32 जल की गुणवत्ता (पेयजल या घरों में आपूर्ति किये जाने वाले जल की)							
ए	आपूर्ति किये जाने वाले जल की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
बी	पानी का स्वाद कैसा है?	कड़वा	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
सी	आपूर्ति किये जाने वाले जल में क्या सामान्य प्रदूषक हैं?	लवण	गंदगी	रंग बिगाड़ना	कीचड़/रेत	गंध	
	यदि हाँ तो कौन से हैं ?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
				पीला रंग	थोड़ी मात्रा में रेत किसी किसी हैण्डपम्प से		
डी	जल को शुद्ध करने के लिए आप कौन सी विधि अपनाते हैं?	उबलना	पानी शुद्ध करने वाला यंत्र	आयोडीन (फिटकरी) का योग	सौर शुद्धिकरण	मिट्टी के बर्तन निस्पंदन	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/> 5 प्रतिषत घरों में आर ओ लगे हैं।

33 ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबंधन							
ए	आपके घर से प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला औसत अपशिष्ट।	लोगों ने बताया कि छोटे घरों से आधा किलो तो बड़े घरों से 2 किलो तक कूड़ा निकलता है।					
बी	आपकी पंचायत में अपशिष्ट का संग्रहण कैसे किया जाता है?	कुछ लोगों ने बताया कि जला देते हैं तो बहुत लोगों ने बताया कि आस-पास के गडदों में डाल देते हैं।					
सी	अपशिष्ट संग्रहण कितनी बार होता है?	<input type="checkbox"/> दैनिक	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन	नहीं होता है।		
डी	कचरा संग्रहण के लिए प्रति घर कितना शुल्क दिया जाता है?	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ई	क्या पंचायत में आरआरसी सेंटर (संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र) है?	हाँ	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>				
एफ	क्या आपके इलाके में कोई ऐसी जगह है जहाँ कचरा फेंका जा सके? अगर हाँ, तो कृपया उस जगह का स्थान या पंचायत से दूरी बताएँ।	हाँ	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	पंचायत से दूरी /पंचायत के अंदर स्थान _____	-----	-----	
जी	क्या पंचायत क्षेत्र में कोई सामान्य कूड़ेदान रखे गए हैं?	हाँ	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>				
एच	क्या घरेलू कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में अलग किया जाता है?	हाँ	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>				





मै	घरेलू स्तर पर अपशिष्ट का निपटान कैसे किया जाता है?	पुनर्चक्रण	खाद	कृमि खाद	निपटान/डंपिंग	जलाना <input checked="" type="checkbox"/>	अन्य (विवरण दें) अधिकांश घरों के आस-पास खेत है लोग कूड़ा उसमें ही डालते हैं। दबा देते हैं अथवा जला देते हैं।
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
जे	सामुदायिक स्तर पर अपशिष्ट का निपटान कैसे किया जाता है?	पुनर्चक्रण	खाद	कृमि खाद	निपटान/डंपिंग	जलाना	अन्य (विवरण दें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>34 ओडीएफ स्थिति</b>							
ए	क्या आपका गांव ओडीएफ/ओडीएफ+ घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं				
बी	स्वयं के शौचालय वाले घरों की संख्या	300					
सी	सामुदायिक शौचालयों की संख्या	1	<input type="checkbox"/>		प्रमुख स्थान	पंचायत भवन	
डी	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है? (हाँ/नहीं)	पंचायत भवन पर बने सामुदायिक शौचालय पर साफ-सफाई होती है। आवश्यकता होने पर ताला खोला जाता है।					
ई	यदि शौचालयों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो क्यों? (सफाई का अभाव, रखरखाव का अभाव, बहुत दूर होना आदि)	ग्राम पंचायत ओडीएफ0 घोषित होने के उपरांत भी सड़कों के किनारे मानव मल दिखाई दे रहा है।					

<b>35 अपशिष्ट</b>						
ए	अपशिष्ट जल के स्रोत क्या हैं?	घरेलू <input checked="" type="checkbox"/>	वाणिज्यिक <input type="checkbox"/>	औद्योगिक <input type="checkbox"/>	कृषि पद्धतियाँ <input checked="" type="checkbox"/>	सीवेज <input type="checkbox"/>
बी	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (प्रतिदिन लीटर में अनुमानित)	200 L प्रति परिवार			500 लीटर जानवरों के नहलाने एवं सब्जी आदि धोकर बेचने हेतु (पासी टोले पर)	
सी	गांव में अपशिष्ट जल उपचार सुविधा, यदि कोई हो	नहीं है।				
डी	अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग प्रथाएँ, यदि कोई हों	नहीं है।				
ई	ग्राम पंचायत में सोख गड्डों की संख्या	5				

<b>36 स्वास्थ्य सुविधाएं</b>				
	स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों की उपलब्धता	हाँ	नहीं	उपलब्ध छत क्षेत्र (मी <sup>2</sup> )
ए	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
बी	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
सी	स्वास्थ्य उप-केंद्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
डी	आंगनवाड़ी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45 मी <sup>2</sup>





## VII. ऊर्जा

37						
ए	आपकी ग्राम पंचायत में कुल कितने घरों में बिजली पहुंची है?					300
बी	प्रति परिवार क्षेत्रवार फिक्सचर की औसत संख्या					
	घर का क्षेत्रफल	ट्यूबलाइट की संख्या	एल ई डी की संख्या	सी एफ अल की संख्या	इंक्रन्देस्केंत लैम्प की संख्या	पंखों की संख्या
	500 वर्ग फीट से कम	0-1	1	2		0-1
	500 से 1000 वर्ग फीट	1-2	1-2	2-3		2
	1000 से 2000 वर्ग फीट	1-2	2-3	3-4		5
	2000 से 4000 वर्ग फीट					
	4000 वर्ग फीट से अधिक					
सी	क्या पंचायत की सभी सरकारी इमारतें विद्युतीकृत हैं? हां					
डी	सभी सरकारी इमारतों जैसे पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि का छत क्षेत्रफल ( वर्ग फुट) पंचायत भवन 2000 वर्ग फुट					
ई	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइटों की संख्या कितनी है? नहीं है। ट्रांजेक्ट वॉक के दौरान पाया गया कि समुदाय ने स्वयं के बल्ब खम्भों के पास सरकारी बिजली के तार से लगा रखा है। इसकी संख्या लगभग 10 होगी।					
एफ	ग्राम पंचायत में सौर स्ट्रीट लाइटों की संख्या कितनी है? सरकारी विभाग से एक भी नहीं लगा है। ट्रांजेक्ट वॉक के दौरान 2 सौर लाइट देखा गया जो व्यक्ति भूमि में खम्भे के साथ लगे हैं।					
जी	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट/हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट की अतिरिक्त आवश्यकता ट्रांजेक्ट वॉक के दौरान पाया गया कि अत्यंत आवश्यकता है।					

38 बिजली कटौती की आवृत्ति		
ए	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	कोई बिजली कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
बी	प्रतिदिन कितने घंटे बिजली गुल रहती है?	4-5 घण्टे

39	बिजली कटौती के दौरान उपयोग होने वाले उपकरणों का विवरण	संख्या
	डीजल जनरेटर	0
	सौर	2
	इमजैसी लाइट	70
	इन्वर्टर	30
	अन्य साधन (निर्दिष्ट करें)	लोग मोबाइल का टार्च जलाकर कार्य करते हैं।

40	ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत
----	-------------------------





ए	क्या गांव में निम्नलिखित की कोई स्थापनाएं हैं?	स्थापनाओं की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घरों में सौर छत की स्थापना	0	
	स्कूलों में सौर छतों की स्थापना	0	
	अस्पतालों में सौर छतों की स्थापना	0	
	ग्राम पंचायत भवनों में सौर छत स्थापना	1	0.575 KW
	अन्य सौर छत स्थापनाएँ	0	
	सौर स्ट्रीट लाइट	0	
	बायोगैस	0	
	विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा / मिनी ग्रिड?	0	
ब	क्या आप सौर ऊर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध सब्सिडी के बारे में जानते हैं? (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में बताएं)	कुछ लोग जानते हैं। पर पूर्ण जानकारी नहीं है।	

41	खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाले ईंधन का विवरण	घरों की संख्या	प्रति परिवार औसत उपयोग मात्रा (किग्रा/माह)
	पारंपरिक बायोमास (गाय का गोबर/ईंधन लकड़ी)	310	30 (किग्रा/माह)
	बायोगैस	0	
	रसोई गैस	305	6-8 (किग्रा/माह)
	बिजली	0	
	सौर	0	
	अन्य (कोयला, केरोसिन, चारकोल आदि)	0	
42	वाहन संख्या		
	वाहन का प्रकार	पंचायत में वाहनों की संख्या (लगभग)	प्रयुक्त ईंधन का प्रकार
ए	जीप	2	डीजल
बी	कारें	6	डीजल एवं पेट्रोल
सी	दो पहिया वाहन	265	पेट्रोल
डी	ईवीएस	2	इलेक्ट्रिक
ई	ऑटो	2	डीजल
एफ	ई-रिक्शा	2	इलेक्ट्रिक
जी	अन्य	---	
			औसत यात्रा दूरी (किमी/दिन)
			50-60 किमी महीने में 2-5 दिन आवश्यकता पड़ने पर
			20 (किमी/दिन)
			25 (किमी/दिन)
			10 (किमी/दिन)
			50-60 (किमी/दिन)
			20-30 (किमी/दिन)





43	कृषि मशीनरी	पंचायत में मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन का प्रकार	औसत यात्रा दूरी (किमी/दिन)
	ए ट्रैक्टर	5	डीजल	15 किमी कृषिगत आवश्यकतानुसार
	बी फ़सल काटने की मशीन	--		
	सी अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)	3 थ्रेसर	डीजल	साल में 10-15 दिन साल में कृषिगत आवश्यकतानुसार

44	उद्योग/इंडस्ट्रीज			
	उद्योग का प्रकार	संख्या	ऊर्जा का स्रोत ग्रिड बिजली (1) डीजल जनरेटर (2) नवीकरणीय ऊर्जा (3)	ऊर्जा की खपत प्रति माह प्रयुक्त बिजली (किलोवाट घंटा) प्रयुक्त ईंधन (लीटर/दिन)
	--	--	--	--
	--	--	--	--



# अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट

2024-25

## क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायत – बादशाहपुर

विकासखण्ड – कैम्पियरगंज

जनपद – गोरखपुर



## (क) खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण

### जलवायु परिवर्तनशीलता – प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां/ झटके एवं तनाव

गांव योजना के संदर्भ में HRVCA (Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Assessment) एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका उपयोग गांवों में जलवायु परिवर्तन और आपदा के परिप्रेक्ष्य में संभावित खतरों, जोखिमों, कमजोरियों और क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया जलवायुगत आपदाओं और उसके संभावित खतरों के प्रति गांव की तैयारी और प्रतिरोधक क्षमता को समझने में मदद करती है। खतरा, जोखिम, नाजुकता व क्षमता विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य है, समुदाय के मध्य, समुदाय के द्वारा आपदा की तीव्रता एवं बारम्बारता को दृष्टिगत रखते हुए समुदाय की विभिन्न परिस्थितियों का संसाधन एवं क्षमताओं की जानकारी प्राप्त करना।

बादशाहपुर, उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल में स्थित गोरखपुर जिले के कैम्पियरगंज विकास खण्ड की एक राजस्व ग्राम पंचायत है। यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय गोरखपुर से उत्तर की ओर 35 किमी तथा विकासखण्ड मुख्यालय कैम्पियरगंज से 4 किमी दूर स्थित है।

ग्राम पंचायत में उत्तरी भारत के पारंपरिक तीन प्रमुख मौसम— सर्दी, गर्मी, और बरसात का स्पष्ट प्रभाव प्रतीत होता है। समुदाय के साथ की गई चर्चा से यह ज्ञात हुआ कि लगभग 20–25 वर्ष पूर्व, सर्दी का मौसम अक्टूबर के मध्य से लेकर मार्च के प्रारम्भ तक होता था। बुजुर्गों के अनुसार, सर्दी की शुरुआत दुर्गापूजा से होती थी और होली तक सर्दी रहती थी, यानी अक्टूबर से मार्च तक ठंड का अनुभव होता था। लेकिन वर्तमान में सर्दी केवल तीन महीनों तक सीमित रह गई है। अब ठंड नवंबर के मध्य से लेकर जनवरी के अंत तक रहती है, और फरवरी के शुरुआती दिनों में कभी-कभी हल्की सर्दी महसूस होती है, लेकिन बाद में गर्मी का असर दिखाई देने लगता है।

गर्मी के मौसम में भी बदलाव हुआ है। पहले गर्मी मई-जून तक सीमित रहती थी, पर अब यह मार्च से लेकर सितंबर तक रहती है। खासकर अप्रैल से जून के बीच, अत्यधिक गर्मी का अनुभव होता है और तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। पहले बरसात का मौसम जून से अगस्त तक होता था और मानसून की पहली बारिश जून में होती ही थी। लेकिन अब बरसात का मौसम जुलाई के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर अक्टूबर तक खिंच जाता है, और इस अवधि में अचानक भारी बारिश होती है। पिछले सात वर्षों में हर साल जून में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो किसानों के लिए गंभीर चुनौती है।

खेती-किसानी के संदर्भ में, धान की फसल में मौसम परिवर्तन के कारण किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। वर्षा के दिनों में कमी के कारण सिंचाई की लागत में वृद्धि हो गई है। पहले, किसानों को केवल 1–2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब 4–5 बार सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे कृषि लागत बढ़ रही है।

ग्राम पंचायत का कुल 62 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है, जो सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर है। इस ग्राम पंचायत ने विपरीत मौसम स्थितियों का सामना किया है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2017–18 में इस क्षेत्र को सूखा-ग्रस्त घोषित किया गया था, जबकि 1998 और 2007 में यहां बाढ़ आई थी। हालांकि अब राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के बाद इस पंचायत में बाढ़ की समस्या नहीं है, लेकिन बादशाहपुर का वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र प्रत्येक वर्ष जलजमाव से प्रभावित रहता है। हर साल भारी बारिश के कारण गांव के ऊँचे स्थानों से पानी कुछ घंटों में निकल जाता है, लेकिन निचले भाग में स्थित खेतों में 10 से 20 दिनों तक जलजमाव की स्थिति बनी रहती है। खासकर गांव के पूर्वी हिस्से में, राष्ट्रीय राजमार्ग बनने के बाद बाढ़ तो नहीं आई है, लेकिन जलनिकास की उचित व्यवस्था न होने के कारण जलजमाव की समस्या हर वर्ष बनी रहती है।



बादशाहपुर ग्राम पंचायत भ्रमण के दौरान समुदाय चर्चा एवं सहभागी विधियों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रक्रिया एवं टूल्स के माध्यम से सम्पादित की गई गतिविधियों से प्राप्त सूचना एवं प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर जलवायुगत आपदा-खतरा-जोखिम संबंधित आवश्यक सूचनाओं का संकलन किया गया। आपदा-खतरा-जोखिम से संबंधित सूचनाएं निम्नवार हैं -

## 1- गांव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान करना एवं इनका प्राथमिकीकरण

ग्राम पंचायत बादशाहपुर को प्रभावित करने वाली आपदाओं के संबंध में समुदाय के साथ विस्तृतरूप से चर्चा व विचार-विमर्श किया गया। दैनिक दिनचर्या, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं साफसफाई आदि को प्रभावित करने वाली आपदाओं की एक सूची तैयार की गई। इस सूची में सम्मिलित आपदाओं के प्रभाव को एवं इनसे उत्पन्न समस्याओं की तुलनात्मक रैंकिंग करते हुए आपदाओं का प्राथमिकीकरण किया गया। इस गांव की मुख्य आपदा जलजमाव है। इससे आजीविका, स्वास्थ्य एवं पेयजल, साफ-सफाई आवागमन, घर, खेत, पशुपालन आदि में जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही इस ग्राम पंचायत की मुख्य आजीविका कृषि, पशुपालन एवं मजदूरी को सूखा, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान, शीतलहर आदि प्रभावित कर रहे हैं।

### आपदा का इतिहास एवं क्षति

समुदाय के साथ उन आपदाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा व विचार-विमर्श किया गया जिसके नुकसान को गांव के लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं और जिसका व्यापक प्रभाव समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ा है। समुदाय के साथ चर्चा से यह निकलकर आया कि ग्राम बादशाहपुर में वर्ष सन् 1998 एवं 2007 में बाढ़ आई थी। इसमें 10 कच्चे घर नष्ट हो गये थे तथा 100 एकड़ की खेती-बाड़ी के साथ पशुपालन भी प्रभावित हुआ था। इसके बाद जलजमाव ने पूरे गांव को प्रभावित किया है जिससे भारी नुकसान हुआ है।

2006 एवं 2017-18 में पूर्णतः सूखा की स्थिति बनने से पूरा गांव प्रभावित हुआ जिसमें सभी किसानों की खड़ी फसल सूख गई थी। सूखे की स्थिति में खरीफ फसल तो प्रभावित होती ही है साथ में रबी की फसल भी प्रभावित होती है।

### विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 04 देखें।

ग्राम पंचायत बादशाहपुर को आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर निम्न आपदाएं प्रभावित करती हैं -

आपदा	जन0	फर0	मार्च	अप्रै0	मई	जून	जुला0	अग0	सित0	अक्टू0	नव0	दिस0
बाढ़												
सूखा												
जलजमाव												
आंधी-तूफान												
ओलावृष्टि												
शीतलहर												
आगजनी												
आकाशीय बिजली												

आपदा का ऐतिहासिक मानचित्रण, मौसमी कैलण्डर एवं समुदाय में हुई चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम पंचायत बादशाहपुर की प्रमुख आपदा जलजमाव है। जलजमाव की समस्या लगभग प्रत्येक वर्ष रहती है। मानसून के दिनों में वर्षाविहीन दिनों की संख्या में वृद्धि एवं कम दिनों में तीव्र वर्षा, एवं गर्मी के मौसम में तापमान में वृद्धि से बहुत सारी समस्याओं का सामना गांव वालों को करना पड़ रहा है। कम दिनों में अधिक वर्षा से जलजमाव की समस्या प्रत्येक वर्ष होती है। इस क्षेत्र में पानी निकासी हेतु नाले की स्थिति खराब

## 2 | क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना 2024

होने के कारण पानी की निकासी नहीं होने से फसल बर्बाद हो जाती है। मानसून समय से न आने, तापमान में अत्यधिक वृद्धि एवं तेज हवा के कारण आंशिक सूखा की स्थिति हमेशा उत्पन्न हो जाती है।

समुदाय में यह स्पष्ट किया गया कि सभी सेक्टरों (मानवजीवन, स्वास्थ्य, पशु, आजीविका एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर) पर आपदाओं के पड़ने वाले प्रभावों को पूर्व अनुभवों के आधार पर आकलन करें और 01 से 10 के बीच में कोई संख्या प्राथमिकता के लिए अंकित करें। यह ध्यान रखें कि सबसे कम प्रभाव पड़ने के लिए 01 और सबसे अधिक प्रभाव के लिए 10 नम्बर प्रदर्शित करना है। समुदाय से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका तैयार की गयी—

आपदा	प्रभाव का क्षेत्र							योग
	मानव	पशु	खेती	आजीविका	पशुचारा	मकान	इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़क, नाली, बिजली, सरकारी भवन आदि)	
जलजमाव	4	8	10	9	10	5	6	52
सूखा	6	8	9	6	8	0	0	37
ओलावृष्टि	3	5	9	4	7	5	0	33
शीतलहर	7	8	7	5	2	0	0	29

उपरोक्त तालिका के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जलजमाव और सूखा गांव वालों के लिए सबसे बड़ी आपदा है। प्राप्त के आधार पर ओलावृष्टि तीसरे तथा शीतलहर चौथे क्रम की आपदा है जो ग्राम पंचायत को प्रभावित करती है।

## 2- जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन

समुदाय के सभी वर्गों पुरुष, महिला, वृद्धजन, बच्चे दलित एवं वंचित समुदाय की सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग से गांव को प्रभावित करने वाली उपरोक्त आपदाओं का बादशाहपुर के भौतिक/प्राकृतिक संसाधनों एवं समुदाय पर पड़ने वाले संभावित/अनुमानित प्रभाव तथा जोखिम आदि से होने वाले नुकसान की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई।

आपदाओं का प्रभाव ग्राम पंचायत बादशाहपुर के भौतिक, प्राकृतिक संसाधनों एवं आधारभूत संरचना पर पड़ रहा है इसके साथ ही मानव जीवन का स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका आदि भी प्रभावित हो रही है। जलजमाव, सूखा, शीतलहर ओलावृष्टि, एवं बाढ़ आदि का विभिन्न क्षेत्रों पर, विभिन्न प्रकार से, बादशाहपुर ग्राम पंचायत के संदर्भ में जोखिम की संभावना बनती है। समुदाय के साथ पीआरए टूल्स को करने के दौरान गांव के लोगों ने माना है कि इन जोखिमों से तरह-तरह के नुकसान को सहना पड़ता है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपदाओं के प्रभावों व खतरों की जानकारी पर अत्यधिक जोर देते हुए चर्चा किया गया। इस दौरान यह ध्यान दिया गया कि सभी वर्गों के लोगों, विशेषकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रहे एवं सभी को अपने विचार एवं समस्याएं रखने का पर्याप्त अवसर मिले।

### 3 | क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना 2024

प्राप्त जानकारी को एक तालिका में संकलित किया गया जो निम्नवत् है-

खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं -

क्रम	आसन्न आपदा/ खतरे	संभावित जोखिम का क्षेत्र /सेक्टर	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
1.	जलजमाव	पेयजल	पेयजल का दूषित होना	पूरा गांव विशेषकर पासी टोला एवं गोली टोला	150 घर	16 इण्डिया मार्का खराब पानी दे रहें है। यह जलजमाव से प्रभावित होते है। एक को चिन्हित कर बन्द (Sealed) दिया गया है ताकि कोई गलती से इसका पानी नहीं पी लें।
		स्वच्छता	ठोस अपशिष्ट का बहकर फैल जाना/शौचालय नहीं होने से मल का इधर-उधर फैलना	पूरा गांव	310	कूड़ा एकत्र करने की व्यवस्था नहीं है। 100 परिवारों के पास शौचालय की उपलब्धता नहीं है।
		स्वास्थ्य	जलजनित बीमारियों का जोखिम	पूरा गांव	310	15 लोग बीमार 3 टायफॉइड से
		शिक्षा	वर्षा के दिनों में आवागमन बाधित होने से विद्यालय में उपस्थिती कम होना	पूरा गांव	270 बच्चे	प्राइमरी स्कूल के गेट से लेकर सभी कक्षा के दरवाजें तक जलजमाव रहता है।
		सामाजिक सुरक्षा	गर्भवती महिलाएं वृद्धजन, बच्चे, विकलांग, महिलाओं का गिरना/घायल हो जाना	पूरा गांव	42 मिट्टी एवं खपरैल के घर 218 वृद्ध 270 बच्चे 18 गर्भवती महिलाएं 5 विकलांग	मिट्टी एवं खपरैल के घरों में पानी भरने से उनके गिरने की अधिक आशंका कच्ची सड़क का टूट जाना आवागमन बाधित
		कृषि	खरीफ की फसल का नुकसान, धान की नर्सरी का नुकसान, रबी की फसल की बोआई में विलम्ब,	पूरा गांव	....	62 हे0 कृषि भूमि
		उद्यान/सब्जी	बीमारियों, कीट का प्रकोप पेड़-पौधें एवं सब्जी फसल का खराब हो जाना।	पूरा गांव	....	80 डिसमिल झमड़े वाली लतादार सब्जियों में नीचे अत्यधिक घास के उगने से फसल उत्पादन कम होना
		पशुपालन	पशुउत्पाद का कम होना, बीमारी आदि का प्रकोप, मच्छरों का प्रकोप			45 घर

4 | क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना 2024

Page

		आजीविका	स्थानीय स्तर पर मजदूरी नहीं मिलना	85	85 लोग	...
		जल निकाय	जल निकाय में गंदा पानी भरना	पूरा गांव	....	45 डिसमिल का तालाब
		खुले क्षेत्र	खुले में खर-पतवार, घास-पात की अधिकता होने से कीट-पतंगों का प्रकोप, सर्प बिच्छू का प्रकोप			88 डिसमिल खुला क्षेत्र में घास-पात की अधिकता होना।
2.	सूखा	पेयजल	जलस्तर का नीचे जाना पेयजल में कमी / संकट	पूरा गांव	310 घर	31 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प एवं 150 सामान्य निजी नल का जलस्तर नीचे चला जाता है / पानी छोड़ देता है।
		कृषि	फसलों का सूखना / नष्ट होना खरीफ की फसल का नुकसान, धान की नर्सरी का नुकसान	पूरा गांव	310 घर	खरीफ की सब्जी / फसल का नुकसान, 100 एकड़ धान की नर्सरी का नुकसान
		उद्यान / सब्जी उत्पादन	सिंचाई की लागत में वृद्धि	पूरा गांव	46 घर	40 पेड़-पौधे 15-20 एकड़ सब्जी की खेती में 6-7 बार सिंचाई
		पशुपालन	जानवरों को चारा का संकट, तापमान बढ़ने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां एवं पशु उत्पाद में कमी	गाय, भैंस एवं बकरी पालन	45 पशुपालक	30 डिसमिल हरे पशुचारे का सूखना 18 जानवरों के दूध न देना। बकरियों में बिमारी एवं दूध में कमी। प्रत्येक वर्ष 3-4 भैंस एवं 8-10 बकरी की मृत्यु।
3.	ओलावृष्टि	भौतिक संसाधन	भौतिक व प्राकृतिक संसाधन की क्षति	पूरा गांव		57 कच्चे मकानों व पेड़-पौधे की क्षति
		कृषि	फसल क्षति उत्पादन पर प्रभाव व संकट	पूरा गांव		62 हे0 की खेती
		मानव स्वास्थ्य एवं पेयजल	छोटे बच्चे, वृद्धजन, महिलाओं के गिरने / चोट लगने का खतरा।	.....	310 घर 46 बुजुर्ग एवं 111 बच्चे 18 गर्भवती महिलाएं 5 विकलांग	...
		पशुपालन	जानवरों के घायल होने का खतरा	.....	45 पशुपालक का घर	.....
4.	शीतलहर / पाला	स्वास्थ्य	ठण्ड लगने से स्वास्थ्य में गिरावट / बीमारियों का प्रकोप मुख्यतः स्वास संबंधी	पूरा गांव, बुजुर्गों एवं बच्चों में सांस की बीमारी में वृद्धि	46 बुजुर्ग एवं 111 बच्चें	शीतलहर के प्रकोप से सभी परिवारों का स्वास्थ्य खराब अर्थात कोई न कोई प्रभावी होता है।

		कृषि	शीतलहर से फसलों को नुकसान/पाला की समस्या	....	...	62 हे० की खेती प्रभावित
		पशुपालन	पशु क्षति, खेत में पशुचारे का नुकसान होना	पूरा गांव	45 पशुपालक	प्रत्येक वर्ष गाय/भैंस का अस्वस्थ होना एवं 10-12 बकरी की मृत्यु।

### आजीविका पर आपदा का प्रभाव

इस क्षेत्र के आजीविका का मुख्य साधन कृषि, पशुपालन, कृषिगत एवं दैनिक मजदूरी है। महिलाएं दैनिक मजदूरी का काम नहीं करती हैं। महिलाएं कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त गांव में दुकान आदि का कार्य करती हैं। जलजमाव के दौरान आजीविका हेतु लोग आस-पास के शहरों में पलायन भी करते हैं। बादशाहपुर ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या जलजमाव है। इसके साथ ही मई-जून में अत्यधिक गर्मी पड़ने, मानसून के दौरान जून-जुलाई माह में वर्षा न होने एवं जमीन के बलुई होने के कारण से सूखे का प्रभाव हो रहा है जिसका अंततः प्रभाव सिंचाई, पेयजल, खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुचारे पर पड़ रहा है, परिणाम स्वरूप समुदाय भी प्रभावित हो रहा है। चर्चा से निकल कर आया कि प्रत्येक वर्ष खरीफ की फसल जलजमाव अथवा सूखे से प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रबी की फसल में आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, असमय वर्षा, तेज गर्मी एवं लू के कारण कम पैदावार की संभावना भी बनी है। आजीविका के साधन आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जिससे संबंधित सूचनाएं संकलित कर संलग्न की गई है।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 05 देखें।

### 3- नाजुकता विश्लेषण

एक क्षेत्र विशेष में बार-बार आने वाली आपदाओं का प्रभाव संचयी हो सकता है अथवा समुदाय के लिए दीर्घ कालिक प्रभाव छोड़ने वाला हो सकता है। विभिन्न जलवायुगत आपदाओं से प्रभावित समुदाय आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत के भौतिक संसाधनों को भी क्षति पहुंचाकर कमजोर कर सकता है। ग्राम पंचायत बादशाहपुर एवं समुदाय को जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम के प्रभावों से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नाजुक समुदाय, नाजुक संसाधन एवं नाजुक स्थल आदि की जानकारी अति आवश्यक है। इसे जानने के लिए ग्राम भ्रमण कर एवं ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, समुदाय, समूह सखी, बैंक सखी, प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिक, आशा, आदि की मदद से नाजुक वर्ग (जाति, लिंग, उम्र एवं आय के आधार पर), ग्राम पंचायत में नाजुक स्थान, एवं आपदा से प्रभावित होने वाले संसाधनों आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त की गयी।

#### 3.1 जलजमाव

बादशाहपुर ग्राम पंचायत में जलजमाव एक प्रमुख समस्या है। जलनिकास के लिए ग्राम पंचायत में केवल एक प्राकृतिक नाला है, जिस पर वर्तमान में पूरी तरह से अतिक्रमण हो चुका है और यह धीरे-धीरे पूरी तरह से भर गया है। नाले की सफाई न होने के कारण, इसमें संचित पानी बाहर नहीं निकल पाता और ग्राम पंचायत के खेतों तथा बसाहट क्षेत्र में भर जाता है। गांव में जलजमाव और उसकी अवधि को बढ़ाने वाली निम्नलिखित परिस्थितियाँ हैं:

- राष्ट्रीय राज्यमार्ग (गोरखपुर-सोनौली) के निर्माण के बाद इस ग्राम पंचायत के टोलों को जोड़ने के लिए बनाई गई अतिरिक्त लिंक रोड एवं सड़कों की ऊंचाई सामान्य स्तर से अधिक कर दी गई है। इसके अलावा, इन सड़कों पर साइफन या जल निकासी व्यवस्था का भी अभाव है। परिणाम स्वरूप,

एक क्षेत्र में एकत्रित पानी दूसरे क्षेत्र में नहीं जा पाता, जिससे वर्षा के दिनों में लगातार जलभराव की समस्या बनी रहती है।

- ग्राम पंचायत में जल निकास के लिए केवल एक प्राकृतिक नाला है, जो वर्तमान में पूरी तरह से अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। बार-बार होने वाली वर्षा के कारण इस नाले में गंदगी और झाड़ियाँ जम गई हैं। इसके बाद, गांव के लोगों ने अवैध रूप से इस नाले को पाटकर इस पर खेती शुरू कर दी जिससे यह नाला बंद हो गया।
- राष्ट्रीय राज्यमार्ग (गोरखपुर-सोनौली) के निर्माण के बाद ग्राम पंचायत की जलजमाव की समस्या अधिक गंभीर हो गई है। वर्तमान में जलजमाव क्षेत्र से पानी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है, जिसके कारण स्थिति लगातार बिगड़ रही है।
- ग्राम पंचायत में केवल एक ही तालाब मौजूद है। तालाब जलजमाव की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे अतिरिक्त पानी को संचित कर लेते हैं। अगर गांव में तालाब की कमी है, तो जलजमाव की समस्या बड़ी समस्या हो जाती है। इस स्थिति में तालाब की अहमियत और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि तालाब अतिरिक्त पानी को प्रबंधित करता है। इस प्रकार, तालाब की मरम्मत या नए तालाब का निर्माण, जल निकासी व्यवस्था के सुधार के लिए महत्वपूर्ण व ठोस उपाय है। इस समस्या को हल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।
- ग्राम पंचायत के अन्दर बनी सड़कों की उंचाई से बसाहट क्षेत्र का अपेक्षाकृत नीचे होना। जिससे वर्षा के दिनों में या वर्षा होने पर घरों के दरवाजों पर भी जलजमाव की स्थिति बन जाती है।
- पूरे ग्राम पंचायत में नालियों की कमी होने से पानी इधर-उधर फैलकर खेतों में आ जाता है। नालियां जगह-जगह से टूटी हैं। अधिकांश घरों से नालियां जुड़ी ही नहीं हैं। सभी टोलों पर अधिकांश कच्ची नालियां हैं जिनकी सफाई नहीं हुई है। गांव में नाली की व्यवस्था नहीं होने से इन घरों का पूरा पानी या तो खुले छोटे गड्डो में जमा रहता है या इधर-उधर बहता है।
- ग्राम पंचायत में कुल 16 कुएं हैं जिनमें से 2 कुएं खेत में हैं और भठ (भर) चुके हैं। इसके अतिरिक्त सभी कुएं गंदा पानी, कचरा एवं खरपतवार से भरे हैं।
- बादशाहपुर खास टोले पर कई मकान अनियोजित ढंग से ग्राम पंचायत की जमीन पर बने हैं, पानी रेलवे की गड्डे वाली भूमि में भी नहीं निकल पाता है। जिसके परिणाम स्वरूप पानी का प्रवाह बाधित रहता है और खेतों में ही संचित होता रहता है, अर्थात् जमा होती है।

### समुदाय पर जलजमाव का प्रभाव

ग्राम पंचायत के पांचों पुरवा पर जलजमाव की स्थिति बनती है। प्रत्येक वर्ष जलजमाव से समुदाय का आवास, आवागमन, खेती, पशुपालन, स्वास्थ्य एवं आजीविका पूरी तरह से प्रभावित होती है।

1. प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत के खेतों में 8-10 दिन का जलजमाव होता है। बादशाहपुर खास, छोटका हरनाथपुर, भरपुरवा, गोली टोला के खेतों में एक से डेढ़ माह तक जलजमाव रहता है। खेतों से सटे कच्चे घर भी प्रभावित होते हैं। जिन घरों की दीवार मिट्टी की है, उनकी दीवार में दरार पड़ जाती है, जिसे लोग प्रत्येक वर्ष मरम्मत करते हैं।
2. अचानक अतिवृष्टि से गांव में पानी भरता है तो सभी टोलों पर भी 4-6 घण्टे के लिए जलजमाव रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप पशुपालन, सब्जी एवं पोषण वाटिका आदि प्रभावित होते हैं।
3. जलजमाव के कारण गृहवाटिका नष्ट हो जाने से पुनः उनका निर्माण करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप महिलाओं का कार्यबोझ बढ़ जाता है। साथ ही उनके पोषण पर भी असर पड़ता है।
4. जलजमाव की स्थिति बनने पर पशुओं को लगातार पानी में रहना पड़ता है जिससे पशुओं को विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं जैसे सर्वा, मुंहपका, खुरपका, गलाघोटू, चर्मरोग आदि। खेतों में घास एवं घर पर रखे चारे के नष्ट हो जाने से पशुओं को चारे की कमी हो जाती है परिणाम स्वरूप पशु उत्पादन प्रभावित हो जाता है।

5. गांव का पूरा कूड़ा-कचरा निचले क्षेत्र में इकट्ठा होता है, जो जलजमाव के दौरान पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। जिससे स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से विशेषकर समुदाय अधिक प्रभावित रहता है जैसे पैरों में सड़न, फोड़ा-फुंसी, सर्दी-जुकाम, दस्त, बुखार आदि।
6. जलजमाव से भू-जल स्तर दूषित हो रहा है। ग्राम पंचायत के सभी हैण्डपम्प प्रत्येक वर्ष जलजमाव से प्रभावित होते हैं। इनकी नाली तथा चबूतरा भी टूटा हुआ है। इससे गांव में शुद्ध जल की उपलब्धता कम हो जाती है।
7. बरसात में जलजमाव होने के कारण आवागमन बाधित होता है। इससे लोगों की दिनचर्या, मजदूरी एवं बच्चों की शिक्षा बाधित होती है।
8. शौचालय में पानी भर जाने से लोगों को खुले में शौच के लिए बाध्य होना पड़ता है। महिलाओं को शौच के लिए जलजमाव वाले क्षेत्र से होकर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्या बढ़ जाती है, पेट में दर्द, खाज-खुजली एवं पैरों में सड़न आदि की समस्या हो जाती है।
9. महिलाओं से चर्चा के दौरान निकल कर आया कि छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें अतिरिक्त समय एवं ध्यान देना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को जलजमाव में बहुत अधिक देखरेख की आवश्यकता होती है। माहवारी के दौरान महिलाओं को अतिरिक्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

### 3.2 सूखा

सूखा गाँव की दूसरी सबसे बड़ी आपदा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि लगभग 10 वर्ष पहले तक मई से अगस्त माह के बीच नियमित अंतराल पर बारिश होती रहती थी। परंतु अब मानसून की शुरुआत देर से होती है। पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से 2016, 2017 और 2018 में, जून के महीने में बारिश नहीं हुई, और जुलाई में केवल एक-दो दिन ही बारिश हुई। इसके बाद लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, जिससे सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ग्राम पंचायत की कुछ गतिविधियाँ सूखे की स्थिति को और भी गंभीर बना रही हैं:

1. **कुंओं की स्थिति:** पूरे ग्राम पंचायत में कुल 16 कुंए हैं, जिनमें से दो कुंए खेतों में स्थित हैं, जो अब मिट्टी से पट चुके हैं। ये कुंए गाँव के भूजल स्तर को प्रबंधित करने में सहायक हो सकते थे, लेकिन सभी कुंओं में पानी के साथ प्लास्टिक, गंदगी, खरपतवार, और मिट्टी भरी हुई है। इसके कारण तालाब की जलधारण क्षमता प्रभावित हो रही है।
2. **जल संरक्षण की कमी:** गाँव के किसी भी खेत में मडेबंदी नहीं की गई है। इसके अलावा, गाँव में बाग-बगीचों की भी कमी है, जिससे जल संरक्षण की दिशा में कोई प्रयास नहीं हो पा रहा है।
3. **वृक्षारोपण का अभाव:** वृक्षारोपण और पौधरोपण की गतिविधियाँ कम हैं। सड़कों के किनारे भी वृक्ष नहीं हैं, और खेतों के मेड़ों पर कृषि या सामाजिक वानिकी का भी अभाव है।
4. **नहर की कमी:** इस ग्राम पंचायत के पास से कोई भी नहर नहीं गुजरती है। अतः सूखा की स्थिति में किसानों को पूरी तरह से सिंचाई के लिए पंपिंग सेट पर ही आश्रित रहना पड़ता है।

### सूखे का समुदाय पर प्रभाव

**पेयजल संकट:** सूखे के कारण गर्मियों में 31 इण्डिया मार्का हैंडपंप और 250 निजी नलों का जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है, जिससे पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है।

**फसल उत्पादन में कमी:** सूखे के प्रभाव से खरीफ की फसल में सिंचाई की लागत बढ़ गई है। जून से अगस्त के बीच सूखा होने से धान की फसल का उत्पादन कम हो जाता है। गाँव की लगभग 40 हेक्टेयर भूमि पर होने वाली फसल सूखे से प्रभावित होती है।

**पशुधन पर प्रभाव:** जानवरों के लिए चारे की कमी हो जाती है, और तापमान बढ़ने के कारण पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैल जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादन में भी कमी आती है।

इस प्रकार, सूखा केवल जलस्तर और कृषि को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि पूरे समुदाय की आजीविका और संसाधनों पर गहरा प्रभाव डालता है।

### 3.3 ओलावृष्टि एवं तूफान का प्रभाव

जलवायु परिवर्तन के कारण ओलावृष्टि की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। बादशाहपुर ग्राम पंचायत में समुदाय के साथ हुई चर्चा से यह निष्कर्ष निकला कि ओलावृष्टि गाँव के लिए एक बड़ी आपदा है। इस क्षेत्र के अधिकांश लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। रबी की फसलों जैसे आलू, गेहूँ, सरसों, समेत कई अन्य फसलों को ओलावृष्टि से भारी नुकसान होता है।

लोगों ने बताया कि ओलावृष्टि के कारण तैयार गेहूँ की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसके साथ ही तिलहन और सब्जी की फसलों को भी गंभीर क्षति होती है। मौसम पूर्वानुमान की चेतावनी प्रणाली की गाँव में पहुँच न होने के कारण, समय से पूर्व सूचना और जानकारी समुदाय तक नहीं पहुँच पाती। इसका परिणाम यह होता है कि ओलावृष्टि एवं आंधी-तूफान का कोई सटीक अनुमान न होने के कारण छोटे पशुओं, जैसे बकरियों और बछड़ों को भी काफी नुकसान होता है। पशुओं का चारा नष्ट हो जाता है, और यदि पशु खुले में होते हैं तो उन्हें चोट लग जाती है, जिससे वे घायल हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं।

### 3.4 समुदाय की व्यवहारगत और ढांचागत कमियाँ

जलवायुगत आपदाओं से निपटने में ग्राम पंचायत और समुदाय की आधारभूत संरचना में कई कमियाँ हैं, जो निम्नलिखित हैं:

**जनसुविधा केंद्रों का अभाव:** गाँव में जनसुविधा केंद्र न होने के कारण लोग विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी से वंचित रह जाते हैं, जिससे समुदाय का सरकारी योजनाओं से जुड़ाव नहीं हो पाता।

**कृषि में विविधता की कमी:** गाँव में मुख्यतः सब्जी, गेहूँ, सरसों और धान की ही खेती की जाती है। मिश्रित खेती, फसलों में विविधता, कम लागत वाली स्थायी कृषि जैसी गतिविधियाँ न के बराबर हैं। इससे किसानों को आपदाओं के समय अधिक जोखिम उठाना पड़ता है।

**ऊँचे स्थान की कमी:** बादशाहपुर ग्राम पंचायत में सड़क के अतिरिक्त ऊँचे स्थानों की कमी के कारण जलजमाव के समय लोगों को शरण लेने के लिए उचित स्थान नहीं मिल पाता। इसके अलावा, पशुओं को रखने के लिए भी उपयुक्त स्थान नहीं है।

**जागरूकता की कमी:** समुदाय में जागरूकता की कमी है। लोगों को कृषि संबंधी कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं, फसल की बीमारियों, कीट नियंत्रण, और कीटनाशकों के उपयोग के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। इससे उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

**कृषि एवं पशुपालन में जानकारी का अभाव:** नस्ल सुधार, पशु बीमा, और फसल बीमा जैसी योजनाओं की जानकारी भी सीमित है। इसके अलावा, उर्वरक, कीटनाशक, और खरपतवारनाशक का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरण और कृषि दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

**रोजगार के अवसरों की कमी:** ग्राम स्तर पर लघु/सूक्ष्म उद्योगों और पारंपरिक रोजगार के अवसर कम हैं। रोजगारपरक कार्यों के प्रति जागरूकता की भी कमी है, जिससे ग्रामीणों को वैकल्पिक आजीविका के साधन नहीं मिल पाते।



## 4- क्षमता विश्लेषण

समग्र ग्राम पंचायत के जलवायु स्मार्ट बनाने और आपदा से निपटने के लिए किए गए क्षमता आकलन को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

### भौतिक संसाधन (Physical Resources):

गाँव में उपलब्ध विभिन्न भौतिक संसाधनों की पहचान सामाजिक मानचित्रण एवं सेवा-सुविधा मानचित्रण के माध्यम से की गई, जैसे पंचायत भवन, सड़कें, पानी के स्रोत, अस्पताल, बिजली, विद्यालय, पुल, आदि। ये संसाधन संकट के समय तात्कालिक आवश्यकता के लिए उपयोगी होते हैं, और इनकी उपस्थिति आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

### पर्यावरणीय संसाधन (Environmental Resources):

पर्यावरणीय संसाधनों में वन, कृषि भूमि, जल निकाय, खुला क्षेत्र और अन्य प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं, जिनका जलवायु परिवर्तन से निपटने में अहम योगदान होता है। ये संसाधन आपदा के प्रभाव को कम करने और दीर्घकालिक टिकाऊ विकास में सहायक होते हैं। इन संसाधनों की पहचान सामाजिक मानचित्रण एवं सेवा-सुविधा मानचित्रण के माध्यम से किया गया।

### मानव संसाधन (Human Resources):

ग्राम में उपलब्ध कुशल व्यक्तियों, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, शिल्पकार, तैराक, गोताखोर एवं अन्य लोगों की जानकारी समुदाय के साथ चर्चा करके प्राप्त की गई। आपदा के समय मानव संसाधनों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनकी क्षमता संकट से निपटने में सहायक होती है।

यह आकलन गांव को जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के संदर्भ में अधिक आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो निम्न प्रारूप पर दर्ज हैं—

#### 4.1 भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से दूरी

विवरण	संख्या	संपर्क व्यक्ति का नाम एवं संख्या	पंचायत भवन से दूरी
<b>भौतिक संसाधन</b>			
पंचायत भवन	01	सरिता देवी 6394697396 8858581162	00 किमी
प्राथमिक विद्यालय बादशाहपुर	01	श्री अजय कुमार शुक्ला 9451816003 श्री वीरेन्द्र कुमार 7408936272 श्री पंकज कुमार 9935304820 श्री शम्भू 8574522223 श्रीमती बिन्दु देवी 9956437531	0.7 किमी
सरकारी बीज केन्द्र (भगवानपुर)	01		04 किमी
थाना (कैम्पियरगंज)	01	101	05 किमी
तहसील (कैम्पियरगंज)	01		04 किमी
विकास खण्ड कार्यालय (कैम्पियरगंज)	01		04 किमी

10 | क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना 2024

पोस्ट ऑफिस, (कैम्पियरगंज)	01	04 किमी
बिजली विभाग, (कैम्पियरगंज)	01	04 किमी
जिला मुख्यालय (गोरखपुर)	01	35 किमी
बस स्टेशन (कैम्पियरगंज)	01	04 किमी
रेलवे स्टेशन (कैम्पियरगंज)	01	04 किमी
बाजार (कैम्पियरगंज)	01	04 किमी

#### 4.2 प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता संख्या एवं दूरी

क्रमांक	संसाधन /	संख्या	विवरण / नाम / संपर्क संख्या	छूरी
<b>पर्यावरणीय संसाधन</b>				
1.	तलाब	1	हरनाथपुर टोला	0.5 – 01 किमी
2.	कुंआ	16	सभी टोले पर एवं खेत के पास	01 किमी
3.	नला	01	अतिक्रमण है	0.5 किमी
5.	बग	04	क्लामुद्दीन भरपुरवा (10 पेड़) पासी टोला में 1 बाग (20 पेड़ आम व जामुन) बागी टोला (10 डिसमिल में आम की बाग) धर्मन्दर के घर के पास (40 पेड़ की बाग आम अमरुद शीशम लीची आदि)	0.2–0.9 किमी
6.	न्दी	02	राप्ती नदी रोहिन नदी	06 किमी 6.5 किमी
7.	कृषिगत क्षेत्र	155 एकड़	.....	01 किमी
8.	खुला क्षेत्र / सामुदायिक भूमि	0.8 एकड़	.....	0.8 किमी

#### 4.3 मानव संसाधन उपलब्धता संख्या एवं दूरी

क्रमांक	नम	पद	मोबाइल नं०	छूरी
<b>मानव संसाधन</b>				
1	श्रीमती सरिता यादव	ग्राम प्रधान	6394697396 8858581162	00 किमी
2	श्री चन्द्रभान यादव	कोटेदार	.....	0.8 किमी
3	सुश्री करिश्मा	बैंक सखी	6386537996	0.8 किमी
4	सुश्री खुशबू तिवारी	आशा	8853875901	0.6 किमी
5	सुश्री सोनी	आशा	7839767466	0.8 किमी
6	श्रीमती राजेश्वरी	आंगनवाड़ी	9125572204	0.5 किमी
7	श्रीमती कौशिल्या	आंगनवाड़ी	8853514763	0.5 किमी

11 | क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना 2024

Page

8	श्रीमती रागिनी यादव	सहायिका	6393827423	0.5 किमी
9	श्रीमती उर्मिला यादव	सहायिका	9695081231	0.5 किमी
10	श्री अजय कुमार शुक्ला	सहायक अध्यापक, प्रा0 वि0	9451816003	0.5 किमी
11	श्री वीरेन्द्र कुमार	प्रधान अध्यापक, प्रा0 वि0	7408936272	0.5 किमी
12	श्री पंकज कुमार	सहायक अध्यापक, प्रा0 वि0	.9935304820	0.5 किमी
13	श्री शम्भू	सहायक अध्यापक, प्रा0 वि0	.8574522223	0.5 किमी
14	श्रीमती बिन्दु देवी	शिक्षामित्र	9956437531	0.5 किमी
15	श्री अजय कुमार पासवान	लेखपाल	7080620979	02 किमी
16	मो0 शमसुददोहा	सफाईकर्मी	9721790390	0.8 किमी
17	श्री विनोद कुमार	सफाईकर्मी	9935027603	0.8 किमी
18	श्री राम गनेश साहनी	सफाईकर्मी	9450571735	0.8 किमी
19	बिन्दु भारती	ए0एन0एम0	7518841985	05 किमी

आपदा के समय ग्राम पंचायत में उपलब्ध भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन व सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह सुविधाएं आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। इसके साथ ही, यह भी आवश्यक है कि इन सुविधाओं तक समुदाय की पहुंच हो और इससे समुदाय लाभान्वित भी हो रहे हो।

ग्राम पंचायत से राष्ट्रीय राज मार्ग गोरखपुर सोनौली 0 किमी की दूरी पर पूरब की ओर स्थित है एवं पश्चिम में ग्राम पंचायत से सटे रामचौरा रेलवे लाइन जाती है। पूरब दिशा में ग्राम पंचायत से 6.5 किमी की दूरी पर रोहिन नदी एवं पश्चिम में 6 किमी की दूरी पर राप्ती नदी गुजरती है।

**सड़कों और परिवहन की स्थिति :** गांव के सभी टोले सड़कों से जुड़े हुए हैं, लेकिन गांव के अंदर आवागमन के लिए केवल खड़जा और मिट्टी की सड़कें हैं।

**स्वच्छता और शौचालय की व्यवस्था :** गांव ओडीएफ प्लस है, इसलिए सामुदायिक और व्यक्तिगत शौचालयों की व्यवस्था की गई है। हालांकि, अभी भी 160 परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालय नहीं हैं, जिससे कई लोग सड़कों के किनारे शौच करते हैं। कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था अपर्याप्त है; कूड़ा पृथक्कीकरण केंद्र, नाडेप, प्लास्टिक एकत्रीकरण नहीं हैं और सोखता गड्डों की कमी है।

**जल निकासी की समस्या :** गांव में जल निकासी की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। कई स्थानों पर नालियां नहीं हैं, और जहां हैं, वहां अधिकांश नालियां टूटी हुई हैं। इस कारण से बरसात के मौसम में जलजमाव की समस्या बनी रहती है।

**पेयजल की स्थिति :** गांव में 31 इंडिया मार्का हैंडपंप हैं, जिनमें से 16 खराब पड़े हैं और 15 से आने वाला पानी पीला होता है। जलजीवन मिशन के तहत बादशाहपुर पुरवा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। अधिकांश घरों में नल कनेक्शन पहुंच रहे हैं, लेकिन पाइपलाइन और पानी की टंकी बनाने का कार्य अभी चल रहा है।

कोई वन क्षेत्र नहीं है, और पशुपालन के लिए चारागाह की कमी है।

**समुदाय आधारित संस्थाएं /संगठन :** गांव में 10 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं, जिनमें 120 महिलाएं सदस्य हैं। इनमें से 9 समूह बैंक से जुड़े हैं, लेकिन कोई भी समूह आय सृजन से संबंधित कार्य नहीं कर रहा है। महिलाएं खेती और पशुपालन के लिए ऋण लेती हैं। गांव में कोई विशेष समुदाय आधारित संस्थाएं नहीं हैं। धार्मिक कार्यों के लिए लोग समय-समय पर एकत्रित होकर उत्सव मनाते हैं।

गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जैसे स्वच्छता, जल निकासी, पेयजल, शिक्षा, और कूड़ा प्रबंधन। इसके अलावा, प्राकृतिक संसाधनों और सामुदायिक संगठनों का विकास भी आवश्यक है।

#### 4.4 वित्तीय संसाधन

उपरोक्त के अतिरिक्त गांव के पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष में उपलब्ध होने वाले संभावित वित्तीय संसाधनों के विवरण निम्न प्रकार होंगे—

क्रम.	वर्ग	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
1.	15वां वित्त आयोग	523064 /—	532238 /—
2.	राज्य वित्त	507480 /—	685574 /—
	स्वयं के राजस्व का स्रोत (ओएसआर)	....	.....

## (ब) क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बादशाहपुर की कार्य योजना

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना बनाने हेतु सभी सहभागी अभ्यासों को करने के उपरान्त सेक्टरवार जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रधान एवं पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में समुदाय के साथ चर्चा की गयी। इस चर्चा के दौरान ही सभी 5 सेक्टरों अन्तर्गत आने वाले विभिन्न बिन्दुओं की ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति, उससे सम्बन्धित समस्याएं, उन समस्याओं के निराकरण हेतु विशिष्ट कार्ययोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। उपरोक्त सूचनाओं, तथ्यों एवं ग्रामीणों से चर्चा व विचार-विमर्श के बाद 'जलवायु स्मार्ट' अवधारणा के तहत ग्राम पंचायत योजना को तैयार किया गया है।

सेक्टरवार ग्राम पंचायत बादशाहपुर की क्लाइमेट स्मार्ट कार्य योजना तालिका -

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिचय
1.	सेक्टर 1- मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा - साफ-सफाई एवं स्वच्छता	कचरे से पटे 10 कुएं की सफाई, सुरक्षा एवं मरम्मत का कार्य	कुएं की सफाई, मरम्मत, चबूतरा उच्चिकरण, कुएं का ढक्कन लगवाना	बादशाहपुर (खास) - 1 भरपुरवा - 1 बागी टोला - 1 गोली टोला - 1 पासी टोला - 2 पक्की टोला - 1 हरनाथपुर बड़का - 2 हरनाथपुर छोटका - 1	10 लाख	2 माह गर्मी के मौसम में	15वां वित्त आयोग
2.		कूड़ा पात्र रखवाना	कूड़ा निस्तारण हेतु 32 कूड़ा पात्र रखवाना	बादशाहपुर (खास) - 3 भरपुरवा - 8, बागी टोला - 3 गोली टोला - 2, पासी टोला - 4 पक्की टोला - 3, हरनाथपुर बड़का - 6 हरनाथपुर छोटका - 3	65 हजार	15 दिन	15वां वित्त आयोग एवं ग्राम निधि
3.		व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	160 शौचालय	बादशाहपुर (खास) - 10 भरपुरवा - 50, बागी टोला - 10 गोली टोला - 10, पासी टोला - 20, पक्की टोला - 10 हरनाथपुर बड़का - 30 हरनाथपुर छोटका - 20	20 लाख	1 वर्ष	15वां वित्त आयोग

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
4.	सेक्टर 1- मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा - साफ-सफाई एवं स्वच्छता	नाडेप जैविक खाद का पिट निर्माण	व्यक्तिगत स्तर पर 10 वर्मी कम्पोस्ट एवं 20 नाडेप कम्पोस्ट पिट का निर्माण	बादशाहपुर (खास) - 2, 2 पासी टोला - 2, 3 गोली टोला - 2, 5 पक्की टोला - 2, 5 हरनाथपुर बड़का - 2, 5	4 लाख	3 माह	15वां वित्त आयोग/मनरे गा/कृषि विभाग
5.		हैण्डपम्प मरम्मत एवं चबूतरे का उच्चीकरण	पेयजल की उपलब्धता हेतु 16 हैण्डपम्पों को मरम्मत कराना	बादशाहपुर (खास) - 2 भरपुरवा - 3, बागी टोला - 2 गोली टोला - 2, पासी टोला - 2 पक्की टोला - 2, हरनाथपुर बड़का - 1 हरनाथपुर छोटका - 2	5 लाख	4 माह	15वां वित्त आयोग
6.		जलनिकासी हेतु साइफन को लगवाना	गंदे पानी के गांव से बाहर निकास हेतु साइफन लगवाना	छोटका हरनाथपुर से गोली टोला की ओर जाने वाली सड़क में 3 जगह बादशाहपुर खास से सटे पासी टोला वाली सड़क में 2 बादशाहपुर ग्राम पंचायत से रेलवे की लाइन की ओर जाने वाले गड़हा के पास साइफन का निर्माण	25 लाख	1 माह	15वां वित्त आयोग/मनरे गा
7.		नाला निर्माण	आरसीसी नाला 400 मी	बादशाहपुर खास से रेलवे लाइन के पास गड़हा तक	15 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
		पानी सफाई हेतु ट्रीटमेंट केन्द्र	गंदे पानी की सफाई हेतु 2 ट्रीटमेंट केन्द्र	तालाब के पास - 1 रेलवे के पास नये तालाब पर - 1	1 लाख	1 माह	15वां वित्त आयोग

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
8.	सेक्टर 1- मानव विकास एवं सामाजिक सुख्खा - साफ-सफाई एवं स्वच्छता	नाली निर्माण कार्य	आरसीसी 500 मीटर 3 फीट गहराई भूमिगत	जयहिन्द मौर्या के घर से वकील कुमार तिवारी के घर तक पासी टोला	8 लाख	5 माह बरसात के बाद	15वां वित्त
			आरसीसी 300 मीटर 3 फीट गहराई भूमिगत	गजराज के घर से रेलवे लाइन वाली सड़क तक गोली टोला			
			आरसीसी 600 मीटर 3 फीट गहराई भूमिगत	अजय के घर से जयकरन के घर तक			
			आरसीसी 500 मीटर 3 फीट गहराई भूमिगत	संजय पासवान के घर से सीताराम चौरसिया के घर तक			
			आरसीसी 600 मीटर 3 फीट गहराई भूमिगत	शफीक के घर से मस्जिद तक			
			आरसीसी 600 मीटर 3 फीट गहराई भूमिगत				
9.	सेक्टर 2- बुनियादी/आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण	1 कमरा, बेबी शौचालय, बरामदा आदि	पंचायत भवन के पास	15 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
		स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	2 कमरा, बरामदा, शौचालय आदि	पंचायत भवन के पास	20 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
11		सोख्खा गढ़डा	भूगर्भ जल प्रबंधन हेतु 50 सोख्खा गढ़डा	बादशाहपुर (खास) - 5 भरपुरवा - 10, बागी टोला - 5 गोली टोला - 5, पासी टोला - 5 पक्की टोला - 5, हरनाथपुर बड़का - 10 हरनाथपुर छोटका - 5	5 लाख	1 माह	15वां वित्त एवं /मनरेगा
12.		तालाब संरक्षण	1 तालाब साफ-सफाई, चौहदी निर्माण, चबूतरा निर्माण एवं वृक्षारोपण आदि कार्य	तालाब हरनाथपुर बड़ा टोला	3 लाख	4 माह	15वां वित्त एवं /मनरेगा/वन विभाग
		तालाब निर्माण का कार्य	1 तालाब खुदाई एवं चौहदी पर वृक्षारोपण का कार्य (10 डिसमिल)	रेलवे के पास निचली भूमि में	1.5 लाख	4 माह	मनरेगा/वन विभाग
13.		सौर ऊर्जा द्वारा घरों में प्रकाश की व्यवस्था	50 घरों के छतों पर सौर ऊर्जा के लिए पैनल एवं प्रकाश व्यवस्था	50 लाभार्थी का घर आवेदन पत्र के अनुसार	20 लाख	3 माह	15वां वित्त

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिचय
14.	सेक्टर 2- बुनियादी / आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	सौर ऊर्जा द्वारा स्ट्रीट लाइट	50 सार्वजनिक स्थान / सड़क पर सौर ऊर्जा के लिए पैनल एवं प्रकाश व्यवस्था	बादशाहपुर (खास) - 5 भरपुरवा - 10, बागी टोला - 5 गोली टोला - 5, पासी टोला - 5 पक्की टोला - 5, हरनाथपुर बड़का - 10 हरनाथपुर छोटका - 5	10 लाख	3 माह	15वां वित्त
15.		सड़क का उच्चीकरण आरसीस / इन्टरलॉकिंग	500मी की सड़क का उच्चीकरण (2 फीट ऊंचा) 500 मी सड़क का उच्चीकरण (2फीट) 200 मी सड़क का उच्चीकरण (2फीट) 125 मी सड़क का उच्चीकरण (2फीट) 200 मीटर सड़क का उच्चीकरण (2 फीट) 500 मी सड़क का उच्चीकरण (2फीट) 800 मी सड़क का उच्चीकरण (2फीट) 200 मी सड़क का उच्चीकरण (2फीट)	मुख्य सड़क से काली मंदिर से होकर ब्रह्मदेव के घर तक विनोद मौर्या के शौचालय से देवनारायण के घर तक रामदवन के घर से प्रेम मिस्त्री के घर तक रामचन्द्र यादव के घर से अदया के घर तक तक मुख्य पक्की सड़क से गोली टोले के अंतिम घर तक शफीक के घर से राजदेव के घर तक रामअचल के घर से बरगद के पेड़ तक सुभान के घर से मस्जिद तक	50 लाख	10 माह बरसात के बाद	15वां वित्त एवं एवं मनरेगा
16.	सेक्टर 3- आजीविका, कृषि, पशुपालन	सब्जी एवं फूलों नर्सरी का निर्माण	समूह के माध्यम से पालीहाउस / नेट हाउस बनाकर नर्सरी तैयार करना	2 डिसमिल में हाईवे के पास	2 लाख	6 माह	मनरेगा
17.		स्थाई पशु आश्रय स्थल निर्माण	8 पशु आश्रयस्थल का निर्माण	सभी टोले पर	4 लाख	3 माह	15वां वित्त आयोग

नोट : उपरोक्त नियोजन में धनराशि का आकलन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सदस्यों के अनुसार अंकित किया गया है।



## (स) क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया के चरण

### 1. वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत बादशाहपुर की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्र जनसमुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2024 को पूरे ग्राम सभा में डुगडुगी/मुनादी के माध्यम से सूचना की गयी कि दिनांक 09.09.2024 को पंचायत भवन, बादशाहपुर खास पर खुली बैठक आयोजित की गई है।

#### **खुली बैठक**

ग्राम पंचायत बादशाहपुर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना निरूपण हेतु हितभागियों की ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 09.09.2024 को पंचायत भवन पर खुली बैठक का आयोजन किया गया।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 01 देखें।

### 2. ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

समग्र ग्राम पंचायत के जलवायुगत स्थितियों, संबंधित आपदाओं एवं उनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमों को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, बैंक सखी, समूहसखी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पंचायत सहायक, सफाईकर्मी के साथ आठों टोले के समुदाय के लोगों ने ग्राम पंचायत का ट्रांजेक्ट वॉक किया। इस भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों की बसाहट, सड़कों, जलस्रोतों और जल निकासी की स्थिति का अवलोकन किया गया। इस भ्रमण के माध्यम से ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं और आवश्यकताओं को समझा गया, जो आगे की योजनाओं और सुधारों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ट्रांजेक्ट वॉक के तीन चरणों में सभी 8 टोलों का दौरा किया गया

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 02 देखें।

### 3. सामाजिक मानचित्रण

दो टोले के भ्रमण के उपरांत, ग्राम पंचायत के पासी टोला पर एक खुली बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक पेड़ की छाया में खुले स्थान पर की गई, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि, किसान, महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मानचित्रण तैयार करना था। इस प्रक्रिया के दौरान समुदाय से गहन चर्चा की गई, जिसके आधार पर गांव की आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की गईं।

यह चर्चा समुदाय के लोगों की भागीदारी और अनुभवों पर आधारित थी, जिससे गांव के विभिन्न पहलुओं, समस्याओं, संसाधनों और जरूरतों की स्पष्ट जानकारी मिली। इस तरह के सामुदायिक सहयोग से विकास कार्यों की दिशा और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 03 देखें।

## वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत बादशाहपुर की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्र जनसमुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2024 को पूरे ग्राम सभा में डुगडुगी/मुनादी के माध्यम से सूचना की गयी कि दिनांक 09.09.2024 को पंचायत भवन, बादशाहपुर खास पर खुली बैठक आयोजित की गई है।

### ग्राम पंचायत बादशाहपुर: क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना हेतु ग्राम सभा की खुली बैठक

ग्राम पंचायत बादशाहपुर में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के निर्माण हेतु हितधारकों की ग्राम सभा की खुली बैठक दिनांक 09.09.2024 को पंचायत भवन पर आयोजित की गई। इस बैठक की सूचना पूर्व में ही जारी कर दी गई थी।

**बैठक में भागीदारी :** बैठक में ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, बैंक सखी, समूह सखी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पंचायत सहायिका, सफाईकर्मी, और आठों टोले के ग्रामीण किसान, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग ग्रामवासी, और बच्चे उपस्थित रहे। इस ग्राम पंचायत के सभी तीन मजरों से कुल 64 लोगों (30 पुरुष, 24 महिलाएं, और 10 बच्चे) ने भाग लिया।

**बैठक की अध्यक्षता :** बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री लालू यादव ने की। बैठक की शुरुआत में सभी उपस्थित लोगों का स्वागत और परिचय प्रधान प्रतिनिधि और पंचायत सदस्य द्वारा किया गया।

**बैठक का उद्देश्य :** बैठक का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और इससे जुड़े समाधानों पर चर्चा करना था। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि जलवायु परिवर्तन आज एक वैश्विक समस्या बन चुकी है, जिसके प्रभाव हमारे गांवों तक भी पहुंच रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से हम किसान लोग अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

**जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव पर प्रकाश :** प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष 39 ग्राम पंचायतों का क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्लान तैयार किया था, जिसका उद्देश्य गांवों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित और समृद्ध बनाना है। इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और इस वर्ष बादशाहपुर ग्राम पंचायत को भी इस योजना के तहत कार्य करने के लिए चुना गया है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जलवायु परिवर्तन का गंभीर प्रभाव देखा जा रहा है। गोरखपुर जनपद भी उन जिलों में शामिल है, जहां इस प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, बादशाहपुर ग्राम पंचायत को भी इस योजना में शामिल किया गया है, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में गांव के विकास के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।

**योजना की रूपरेखा :** प्रधान प्रतिनिधि श्री लालू यादव ने बताया कि पहले भी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ बनी हैं, लेकिन आगामी चार दिनों में जलवायु और मौसम से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना का निर्माण किया जाएगा। इस योजना में विकास के सभी मुद्दों को शामिल किया जाएगा, और सभी ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।

**ग्रामीणों से अपील :** बैठक के अंत में प्रधान प्रतिनिधि ने पूरे समुदाय से अपील की कि वे गांव की जलवायुगत और मौसम से संबंधित समस्याओं की जानकारी दें, ताकि उन समस्याओं पर चर्चा की जा सके और उनका समाधान निकाला जा सके। बैठक का समापन सभी उपस्थित सदस्यों को इस योजना में सक्रिय सहभागिता और सहयोग के लिए प्रेरित करते हुए किया गया।

## ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

समग्र ग्राम पंचायत के जलवायुगत स्थितियों, संबंधित आपदाओं एवं उनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमों को समझने की दृष्टि से खुली बैठक के उपरांत तीन चरणों में ग्राम पंचायत का भ्रमण किया गया। इस भ्रमण के दौरान सभी टोलों की बसाहट, सड़कों, संसाधन, सुविधा केन्द्र, जलस्रोतों और जल निकासी की स्थिति का अवलोकन किया गया। इस भ्रमण के माध्यम से ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं और आवश्यकताओं को समझा गया, जो आगे की योजनाओं और सुधारों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। भ्रमण के तीन चरणों में सभी टोलों का दौरा किया गया

**प्रथम चरण:** इस चरण में हरनाथपुर बडका टोला स्थित पंचायत भवन से भ्रमण की शुरुआत की गई। इस दौरान हरनाथपुर बडका टोला, पासी टोला, और बादशाहपुर खास का निरीक्षण किया गया।

**द्वितीय चरण:** दूसरे चरण में बागी टोला और भरपुरवा क्षेत्रों का दौरा किया गया। इन क्षेत्रों की संरचनात्मक स्थिति, सड़कों, घरों और अन्य संसाधनों की समीक्षा की गई।

**तृतीय चरण:** तीसरे और अंतिम चरण में गोली टोला, पक्की टोला, और हरनाथपुर छोटका टोला का भ्रमण किया गया। यहां के बुनियादी ढांचे, जल निकासी व्यवस्था, और पेयजल संसाधनों का अवलोकन किया गया।

### ट्रांजेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गयी स्थितियाँ

<p><b>बसाहट</b></p>	<p><b>8 टोले</b> गांव में अधिकांश मकान पक्के हैं, लेकिन कुल मिलाकर 30-35 प्रतिशत मकान कच्चे, खपरैल के, और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिनमें अभी भी लोग रह रहे हैं।</p> <p><b>हरिनाथपुर छोटका टोला और पासी टोला:</b> इन टोलों में कुछ घर ऐसे हैं, जिनमें 8-10 लोगों का परिवार एक कमरे और बरामदे में रह रहा है।</p> <p><b>भरपुरवा और बागी टोला:</b> यहां पक्के मकानों के साथ-साथ टिनशेड वाले घर भी देखे गए हैं। विशेष रूप से भरपुरवा में अधिकांश घरों में शौचालय नहीं हैं, जिससे स्वच्छता की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है।</p> <p><b>हरिनाथपुर बडका टोला, बादशाहपुर खास, और पासी टोला:</b> इन टोलों में कई घरों में गृहवाटिका देखी गई, जहां शाक-सब्जियां जैसे नेनुआ, कद्दू, और लौकी उगाई गई हैं, जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता का अच्छा उदाहरण है।</p> <p><b>धान और मचान की खेती:</b> धान की खेती के साथ मचान की खेती भी देखी गई। हालांकि, कई क्षेत्रों में जलजमाव के कारण मचान की खेती सूख गई है, जिससे फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।</p> <p><b>पशुपालन:</b> गांव में बड़ी संख्या में गाय, भैंस, और बकरियां पाली जा रही हैं। विशेष रूप से बकरियों की संख्या अधिक है, जो ग्रामीण आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गांव में बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, जल आपूर्ति, और बिजली की समस्याएं प्रमुख हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है।</p>
---------------------	--

<p><b>ताल-तलैया</b></p>	<p><b>1 तालाब</b> हरनाथपुर टोले पर एक तालाब है जो पूर्णरूप से गंदे पानी से भरा है, इस तालाब पर पेड़-पार्श्वों के साथ जंगली झाड़िया भी लगी है। इस पर सफाई की अत्यन्त आवश्यकता है। हरनाथपुर के 15-20 घरों का गंदा पानी इसमें इकट्ठा होता है। लोगों ने बताया कि इसकी सफाई बहुत दिनों से नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त हरनाथ में सरकारी नलकूप के पूरब पक्की सड़क से दक्षिण एक गडढा है जो लगभग 10 डिसमिल का है। एक छोटा गडढा गोली टोला पर है इसमें भी गंदा पानी भरा रहता है।</p>
<p><b>नाला</b></p>	<p>ग्राम पंचायत के दक्षिण-पश्चिम दिशा में घोलवा नामक एक नाला निकलता है। जो पासी पुरवा के पास से गुजरता है। इसकी सफाई कराने की आवश्यकता है।</p>
<p><b>हरित क्षेत्र बाग-बगीचा</b></p>	<p>भ्रमण के दौरान पासी टोला में 1 बाग में 20 पेड़ आम व जामुन का है। बागी टोला में 10 डिसमिल में आम की बाग है। धर्मेन्द्र के घर के पास लगभग 40 पेड़ का बाग जिसमें आम अमरूद शीशम लीची आदि के पेड़ है।</p>
<p><b>भौतिक संसाधन</b></p>	<p><b>हरिनाथपुर बड़ा टोला</b> में पंचायत भवन, सरकारी ट्यूबवेल सिंचाई के लिए अन्दर ग्राउन्ड वाटर सप्लाई है। <b>बादशाहपुर</b> में एक प्राथमिक विद्यालय एवं एक आंगनवाड़ी केन्द्र भवन है। जहां दो आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। अर्थात आंगनवाड़ी भवन एक है किन्तु पंजीकृत बच्चों दो केन्द्र के बराबर हैं। गोली टोला पर पानी की टंकी बनी हुई है, लेकिन अभी तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई है, जिससे जलापूर्ति की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।</p> <p><b>जल स्रोत और स्वच्छता:</b> गांव में कई जगह हैंडपंप और कुएं देखे गए, लेकिन लगभग सभी हैंडपंप दूषित पानी दे रहे हैं। कुओं में प्लास्टिक कचरा, बोटलें, मिट्टी, और जैविक अवशेष पाए गए, जिससे दुर्गंध आ रही है और स्वच्छता की स्थिति चिंताजनक है।</p> <p><b>हरिनाथपुर छोटका टोला और गोली टोला:</b> इन क्षेत्रों में बिजली के खंभे जर्जर हालत में हैं और बिजली के तार ढीले व लटके हुए हैं, जो दुर्घटनाओं के खतरे की संभावना को बढ़ाते हैं।</p> <p><b>भरपुरवा और बादशाहपुर खास:</b> इन क्षेत्रों में अभी भी विद्युत आपूर्ति बांस के खंभों के सहारे की जा रही है, जो सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बहुत ही असुरक्षित है।</p>




### सामाजिक मानचित्रण

ग्राम पंचायत के पासी टोला पर एक खुली बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक पेड़ की छाया में खुले स्थान पर की गई, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि, किसान, महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मानचित्रण तैयार करना था। इस प्रक्रिया के दौरान समुदाय से गहन चर्चा की गई, जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं-

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहदी का क्षेत्रफल	71.30 हे०	8 बसाहट, बाग-बगीचा एवं खेती का स्थान मिलाकर
कुल टोलों की संख्या	8	1. बादशाहपुर (खास) 2. भरपुरवा 3. बागी टोला 4. गोली टोला 5. पासी टोला 6. पक्की टोला 7. हरनाथपुर बड़का 8. हरनाथपुर छोटका
कुल घरों की संख्या	310	बादशाहपुर (खास) 30, भरपुरवा - 80, बागी टोला - 24, गोली टोला - 20, पासी टोला - 36 पक्की टोला - 30, हरनाथपुर बड़का - 60 हरनाथपुर छोटका - 30
कुल पक्के घरों की संख्या	205	बादशाहपुर (खास) - 22, भरपुरवा - 55, बागी टोला - 13, गोली टोला - 12, पासी टोला - 23, पक्की टोला - 22, हरनाथपुर बड़का - 37, हरनाथपुर छोटका - 21
कुल कच्चे घरों की संख्या	105	बादशाहपुर (खास) - 8, भरपुरवा - 25, बागी टोला - 11, गोली टोला - 8, पासी टोला - 13, पक्की टोला - 8, हरनाथपुर बड़का - 23, हरनाथपुर छोटका - 9
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	82	सभी टोले पर
विकलांग जनों की संख्या	10	3 महिला, 7 पुरुष
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	12	सभी टोले पर
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	16	बादशाहपुर (खास) - 2, भरपुरवा - 3, बागी टोला- 2 गोली टोला - 2, पासी टोला - 2 पक्की टोला - 2, हरनाथपुर बड़का - 1 हरनाथपुर छोटका - 2

ग्राम पंचायत बादशाहपुर कैम्पियरगंज विकासखण्ड से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव गोरखपुर सोनौली राज्यमार्ग पर सटे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। राज्यमार्ग से पश्चिम सटे गांव का पक्की टोला है जिसमें कुल 30 घर है। पक्की टोला के पश्चिम में लगभग 100 मीटर पर हरिनाथपुर बड़का टोला है जिसमें 36 घर है। इससे पश्चिम में 250 मीटर पर बागी टोला है जिसमें 24 घर है। इससे पश्चिम में लगभग 100 मीटर पर भरपुरवा टोला है। जो पंचायत का बड़ा टोला है। इसमें 80 घर है। बागी टोला से दक्षिण में लगभग 200 मीटर पर बादशाहपुर खास टोला है। बादशाहपुर खास से दक्षिण में 200 मीटर गोली टोला है। जिसमें 20 घर है। गोली टोला से पूरब लगभग 300 मीटर पर हरिनाथपुर टोला है इसमें 30 घर है। सभी टोले प्रत्येक वर्ष जलजमाव से प्रभावित होते है।

## आजीविका के साधन



आजीविका का प्रकार	परिवारों की संख्या
सेवा क्षेत्र (शिक्षण, बैंक, सरकारी नौकरी, आदि)	30
लघु/कुटीर उद्योग	0
कृषि*	250
कला/हस्तशिल्प	0
पशुपालन	70
व्यवसाय (स्थानीय दुकानें)	10
उद्यमशीलता	0
मजदूरी (गैर-कृषि)	140
अन्य	0



### आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाक्रम

ग्राम पंचायत बादशाहपुर का ऐतिहासिक समय रेखा, घटनाक्रम आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के लिए आपदाओं पर चर्चा किया गया। ग्राम पंचायत बादशाहपुर में आपदाओं की चर्चा के दौरान समुदाय ने माना कि जलजमाव एक प्रमुख समस्या है, जो हर वर्ष गांव को प्रभावित करती है, जिससे फसल और आजीविका पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही, विगत कुछ वर्षों में सूखे ने ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया, जिससे बच्चों की पढ़ाई, विवाह और स्वास्थ्य सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। विगत वर्षों में, कोरोना महामारी ने गांव को नई आपदा का सामना कराया, जिसके कारण दो लोगों की मृत्यु हुई और लॉकडाउन के चलते कामकाजी लोग अपने घरों में बंद हो गए, जिससे खेती व आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई। विशेष रूप से, सब्जी उत्पादों के लिए बाजार की कमी हो गई, जिससे मजदूरों पर कर्ज बढ़ गया और आर्थिक संकट गहरा गया। प्राप्त सूचनाओं को निम्नवत् दर्ज किया गया –

क्रम	वर्ष	आपदा / खतरा	घटनाओं के कारण	मृतकों की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1.	1998	बाढ़	राप्ती नदी में जलस्तर का अचानक बढ़ना	....	पूरा गांव	100 एकड़ धान की फसल खराब 10 कच्चे घर नष्ट 20 पशुओं का स्वास्थ्य प्रभावित	कोई कार्य नहीं
2.	2006, 2016, 2017, 2018	सूखा	वर्षा देर से होने से पूर्ण रूप सूखा (आंशिक सूखा प्रत्येक वर्ष)	...	पूरा गांव	सभी फसल सूख गई	समर्थ लोगों ने व्यक्तिगत पम्पिंग सेट खरीद कर लगाए।
3.	प्रत्येक वर्ष	जलजमाव	कम दिनों में तीव्र वर्षा होने से, जलनिकासी का अभाव, नाले पर अतिक्रमण	....	90 किसान	1.5 महीने जलजमाव से पूरी फसल खराब	कोई कार्य नहीं
4.	1980	आंधी तूफान	मौसम खराब	10 भैंस 5 गाय	पूरा गांव	खेत में लगी फसल खराब, छप्पर वाले घर टूट गये।	कोई कार्य नहीं
5.	2014	हुदहुद	समुद्री तूफान	...	पूरा गांव	फसल काली हो जाने से उत्पादन कम	कोई कार्य नहीं
6.	1997, 2019, 2022	ओलावृष्टि	मौसम खराब	...	पूरे गांव	फसल और उत्पादन का नुकसान	कोई कार्य नहीं
7.	1993 2005	शीतलहर	मौसम खराब	...	पूरे गांव	फसल का नुकसान	कोई कार्य नहीं
8.	2015	हैजा का प्रकोप	संक्रमण	...	पूरा गांव	खेती का काम पिछड़ गया।	कोई कार्य नहीं
9.	2020	करोना	संक्रमण	2 व्यक्ति	पूरा गांव	...	कोई कार्य नहीं



आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव

क्रमांक	आजीविका के प्रकार	परिवार की संख्या	तापदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है ?
				अधिक	मध्यम	कम	
1.	कृषि	250	जलजमाव				<ul style="list-style-type: none"> <li>● लगभग 155 एकड़ की फसल का उत्पादन कम हो जाता है।</li> <li>● आगामी कृषिगत गतिविधियों में समस्या होती है।</li> <li>● रबी के मौसम में लगभग 155 एकड़ की भूमि में बुवाई का कार्य नहीं हो पाता है।</li> <li>● धान की 100 एकड़ की फसल पूरी तरह प्रभावित हो जाती है।</li> <li>● धान में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, विशेष कर हर्दिया रोग लग जाता है।</li> <li>● जलजमाव के कारण कृषि उत्पाद का भण्डारण करने एवं बाजार ले जाने में समस्या होती है।</li> </ul>
			सूखा				<ul style="list-style-type: none"> <li>● रोपाई का समय बदलना पड़ता है।</li> <li>● कृषि लागत में वृद्धि।</li> <li>● धान की नर्सरी सूख जाती है। खेत की खड़ी फसल सूख जाता है।</li> <li>● फसलों की बढ़वार कम होने से उत्पादन भी कम हो जाता है।</li> </ul>
			ओलावृष्टि				<ul style="list-style-type: none"> <li>● फसलें नष्ट हो जाती हैं।</li> <li>● फसलों का बढ़वार प्रभावित हो जाती है।</li> <li>● गृहवाटिका का उत्पादन प्रभावित होता है।</li> </ul>
2.	मजदूरी	140	जलजमाव				<ul style="list-style-type: none"> <li>● मजदूरी कार्य की जानकारी नहीं मिल पाती है।</li> <li>● आवागमन बाधित होता है। रोजगार बाधित होता है।</li> <li>● कृषि मजदूरी बाधित होती है।</li> </ul>

			सूखा				<ul style="list-style-type: none"> <li>• कृषिगत मजदूरी का कार्य नहीं मिलता है।</li> <li>• खान-पान पर प्रभाव पड़ता है।</li> <li>• आजीविका प्रभावित होती है।</li> <li>• आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है।</li> <li>• पलायन करना पड़ता है।</li> </ul>
3.	पशुपालन (गाय, बैस, बकरीपालन, मुर्गीपालन आदि)	70	जलजमाव				<ul style="list-style-type: none"> <li>• पशुओं को आश्रय नहीं मिल पाता है। पशुओं में बीमारी हो जाती है।</li> <li>• गलाघोटू एवं सर्प होने पर मृत्यु हो जाती है।</li> <li>• चारे की गुणवत्ता खराब हो जाती है। चारा आदि की समस्या हो जाती है।</li> <li>• पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जात है।</li> <li>• गाय-बैसों को नहलाने के लिए पानी की कमी हो जाती है।</li> <li>• चारा कम हो जाता है।</li> <li>• तपती धूप के कारण पशुओं में भयंकर बीमारी का होना।</li> <li>• मुर्गीपालन में बहुत नुकसान होता है। चूजे मर जाते हैं।</li> </ul>
			सूखा				<ul style="list-style-type: none"> <li>• पशुचारे की समस्या हो जाती है।</li> <li>• पशुओं में बीमारियां हो जाती है।</li> <li>• बकरियों में पोकनी की बीमारी होने से बकरियों की मृत्यु हो जाती है।</li> </ul>
4.	स्वयं का व्यवसाय (छोटी दुकान आदि)	10	जलजमाव				<ul style="list-style-type: none"> <li>• सामान लाने में असुविधा होती है।</li> <li>• सामान महंगा हो जाता है।</li> <li>• कच्चा माल खराब हो जाता है।</li> <li>• जलजमाव के कारण माल के रखरखाव में समस्या होती है।</li> </ul>

.....

# अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
<b>हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना</b>				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p><b>चरण 1:</b> वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p><b>चरण 2:</b> भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p><b>चरण 3:</b> भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)<sup>88</sup> = <b>₹70 प्रति पेड़</b> (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)<sup>89</sup> = <b>₹1,200 प्रति इकाई</b></p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: <b>₹1.5 लाख/हेक्टेयर</b></p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO<sub>2</sub>e)</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> <li>300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है।</li> <li>लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है।</li> </ul>		<p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ <b>चरण 1</b> से शुरू की जा सकती हैं )</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत<sup>90</sup> = <b>₹40,000/हेक्टेयर<sup>91</sup></b></p>	

88 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

89 लागत बाजार भाव के अनुसार

90 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

91 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p><b>चरण 1:</b> कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	मेड़बंधी का निर्माण	<p><b>चरण 1:</b> सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p><b>चरण 2:</b> सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p><b>चरण 3:</b> मेड़बंधी का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है</li> <li>- ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं।</li> </ul>	1 मी. मेड़बंधी के लिए <sup>92</sup> = ₹150	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p><b>चरण 1:</b> 5-10 तालाब</p> <p><b>चरण 2:</b> 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m<sup>3</sup></p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण <sup>93</sup> = ₹90,000	

92 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

93 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	प्राकृतिक खेती अपनाना	<p><b>चरण 1:</b> कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): <b>₹60,000</b></p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): <b>₹33,000</b></p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--&gt; प्रति एकड़ लागत = <b>₹2,500</b></p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---&gt; प्रति एकड़ लागत = <b>₹2,500</b></p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = <b>₹1,00,000</b></p> <p>कुल लागत<sup>94</sup>: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e-&gt;2.471 * 1,00,000 = <b>₹2,47,100</b></p>	

94 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी ( UPSOCA\_Tariff\_20March.pdf (apeda.gov.in) ) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p><b>चरण 1:</b> सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p><b>चरण 2:</b> सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p><b>चरण 3:</b> 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<p>10 m<sup>3</sup> क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत<sup>95</sup> = <b>₹35,000</b></p> <p>1 पुनर्भरण गड्डे की लागत = <b>₹35,000<sup>96</sup></b></p>	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p><b>चरण 1:</b> जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p><b>चरण 2:</b> जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p><b>चरण 3:</b> जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत<sup>97</sup>: 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = <b>₹7 लाख</b></p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 m<sup>3</sup> क्षमता) का निर्माण = <b>₹7 लाख</b></p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = <b>₹1,200 प्रति यूनिट</b></p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = <b>₹3,75,000</b></p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = <b>₹50,000</b></p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = <b>₹20 प्रति यूनिट</b></p>	

95 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

96 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

97 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	अपशिष्ट जल प्रबंधन	<b>चरण 1:</b> विकेंद्रित अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (DEWATS) की स्थापना	DEWATS के लिए: 2,007 जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत के लिए और जल आपूर्ति मात्रा 120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन; उत्पन्न अपशिष्ट जल जल आपूर्ति का 80% है, इसलिए कुल उत्पन्न अपशिष्ट जल 2,00,700 लीटर/दिन या लगभग 200 KLD है। भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए, DEWATS की अनुमानित क्षमता = 200 KLD है। 1 KLD क्षमता वाले DEWATS की लागत ₹30,000 है, इसलिए 200 KLD की क्षमता वाला 1 DEWATS लगभग ₹60 लाख होगा	

## सतत और उच्च गतिशीलता

1	मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्षा	1 ई-ऑटोरिक्षा की कीमत: ~ <b>₹3,00,000</b> उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक	
2	ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टर को अपनाने हेतु बढ़ावा देना	<b>चरण 1:</b> डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना <b>चरण 2 और 3:</b> निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = <b>₹6,00,000</b> 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = <b>₹5 लाख से ₹10 लाख</b>	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<p><b>चरण 1:</b></p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को शामिल करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्क्रेप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या<sup>98</sup> =</p> <p>कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है</p> <p>स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p><b>चरण 2:</b></p> <p>a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई</p> <p>b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>e. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना।</p>	

98 लागत बाजार भाव के अनुसार



क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<b>चरण 3:</b> a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत <sup>99</sup> : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹95,000 से ₹1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर <sup>100</sup> = ₹15,000 3. प्लास्टिक श्रेडर यूनिट <sup>101</sup> = ₹50,000 प्रति यूनिट	
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	<b>चरण 1:</b> a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/ जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार) संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न <sup>102</sup> की जा सकती है = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)	

99 लागत बाजार भाव के अनुसार

100 एसबीएम गाइडलाइन्स और एचआरवीसीए में इनपुट के अनुसार लागत

101 लागत बाजार भाव के अनुसार

102 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<b>चरण 2 और 3:</b> a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत <sup>103</sup> : 1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹4,50,000 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ: ₹35,00,000	
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	<b>चरण 1:</b> a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	
		<b>चरण 2:</b> a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएं	

103 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<b>चरण 3:</b> a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	
4	स्वच्छता अवसंरचना को बढ़ाना	<b>चरण 1:</b> घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना <b>चरण 2 और 3:</b> शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव	1 ट्विन पिट शौचालय की लागत <sup>104</sup> = ₹15,000 से ₹20,000	

## स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

1	सौर छतें	<b>चरण 1:</b> सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि) अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता	प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 kWh परिवार स्तर पर स्थापन कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 kWh  वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)  स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से  कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन  प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000 <sup>105</sup>  प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365	उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)* $0.82/1000 =$ ___ टन CO <sub>2</sub>
---	----------	--	--	---

104 [https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/SBM\\_Guideline.pdf](https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/SBM_Guideline.pdf)

105 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<p><b>चरण 2 और 3:</b> परिवार अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p><b>चरण 2:</b> स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p><b>चरण 3:</b> स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000<sup>106</sup></p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
2	कृषि-फोटोवोल्टिक	<p><b>चरण 2:</b> उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p><b>चरण 3:</b> उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत<sup>107</sup> = ₹1 लाख</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

106 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

107 स्थापना/लगाने की लागत बाजार दर के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	सौर पंप	<p><b>चरण 1:</b> 20% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> 50% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पादन = कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = वार्षिक उत्पादित बिजली / 365</p> <p>प्रति पंप लागत<sup>108</sup> = ₹3 से 5 लाख</p>	<p>डीजल की खपत को कम करना = 390 लीटर/ प्रति/वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390</p> <p>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO<sub>2</sub>e)</p>
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग	<p><b>चरण 1:</b> 25% घरों में बायोगैस स्थापित + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास उन्नत चूल्हों की उपलब्धता</p> <p><b>चरण 2:</b> 50% घरों में बायोगैस स्थापित + शीर्ष आय वर्ग के 50% घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में उन्नत चूल्हों की उपलब्धता</p> <p><b>चरण 3:</b> 100% घरों में बायोगैस स्थापित + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = <b>₹50,000</b></p> <p>2 से 3 m<sup>3</sup> बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = <b>₹45,000</b></p> <p>1 उन्नत चूल्हे की लागत = <b>₹3,000</b><sup>109</sup></p>	

108 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशकों के अनुसार

109 बाजार दर के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
5	ऊर्जा कुशल फिक्स्चर	<p><b>चरण 1:</b> सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p><b>चरण 2:</b> सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = <b>₹70</b></p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = <b>₹220</b></p> <p>1 ईई पंखे की लागत = <b>₹1,110<sup>110</sup></b></p>	
6	सौर स्ट्रीट लाइट	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	<p>1 हाई-मास्ट की लागत = <b>₹50,000</b></p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = <b>₹10,000<sup>111</sup></b></p>	

## आजीविका और हृदित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	<p>क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित</p> <p>लागत<sup>112</sup>: <b>₹8-15 लाख प्रति यूनिट</b></p>	
---	---	--------------------------	---	--

110 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

111 बाजार दर के अनुसार लागत

112 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

# अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

## एसडीजी 2: जीरो हंगर



**लक्ष्य 2.3:** भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

**लक्ष्य 2.4:** वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

**लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.:** सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

## एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



**लक्ष्य 3.3:** एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

**लक्ष्य 3.9:** खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

## एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



**लक्ष्य 6.1:** पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

**लक्ष्य 6.3:** वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

**लक्ष्य 6.4:** सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

**लक्ष्य 6.5:** सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

**लक्ष्य 6.8:** स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

**लक्ष्य 6.a :** अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

## एसडीजी 7: किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



**लक्ष्य 7.1:** किफ़ायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।


**लक्ष्य 7.2:** ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

**लक्ष्य 7.3:** ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

**लक्ष्य 7.a :** नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

**लक्ष्य 7.b:** विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

## एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



**लक्ष्य 8.3:** विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

## एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



**लक्ष्य 9.1:** गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

## एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



**लक्ष्य 11.2:** सभी के लिए सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

**लक्ष्य 11.4:** विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

**लक्ष्य 11.7:** वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।



## एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



**लक्ष्य 12.2:** प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

**लक्ष्य 12.4:** वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

**लक्ष्य 12.5:** वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

**लक्ष्य 12.5:** वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

**लक्ष्य 12.8:** वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

## एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही



**लक्ष्य 13.1:** सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

**लक्ष्य 13.2:** जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

**लक्ष्य 13.3:** जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

## एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



**लक्ष्य 15.1:** अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

**लक्ष्य 15.2:** वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

**लक्ष्य 15.3:** वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्यवाही करना।

**लक्ष्य 15.9:** वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

## अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
<b>इमारती लकड़ी के पेड़</b>			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
<b>फल और जंगली खाद्य पौधे</b>			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रीस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

### औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
<b>औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़</b>			
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंटेसरोक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
<b>अन्य पेड़</b>			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।



# નોંધ



